खण्ड-180, अंक-7
बुधवार, 9 कार्तिक, शक संवत् 1878
(31 अक्टूबर, 1956 ई0)

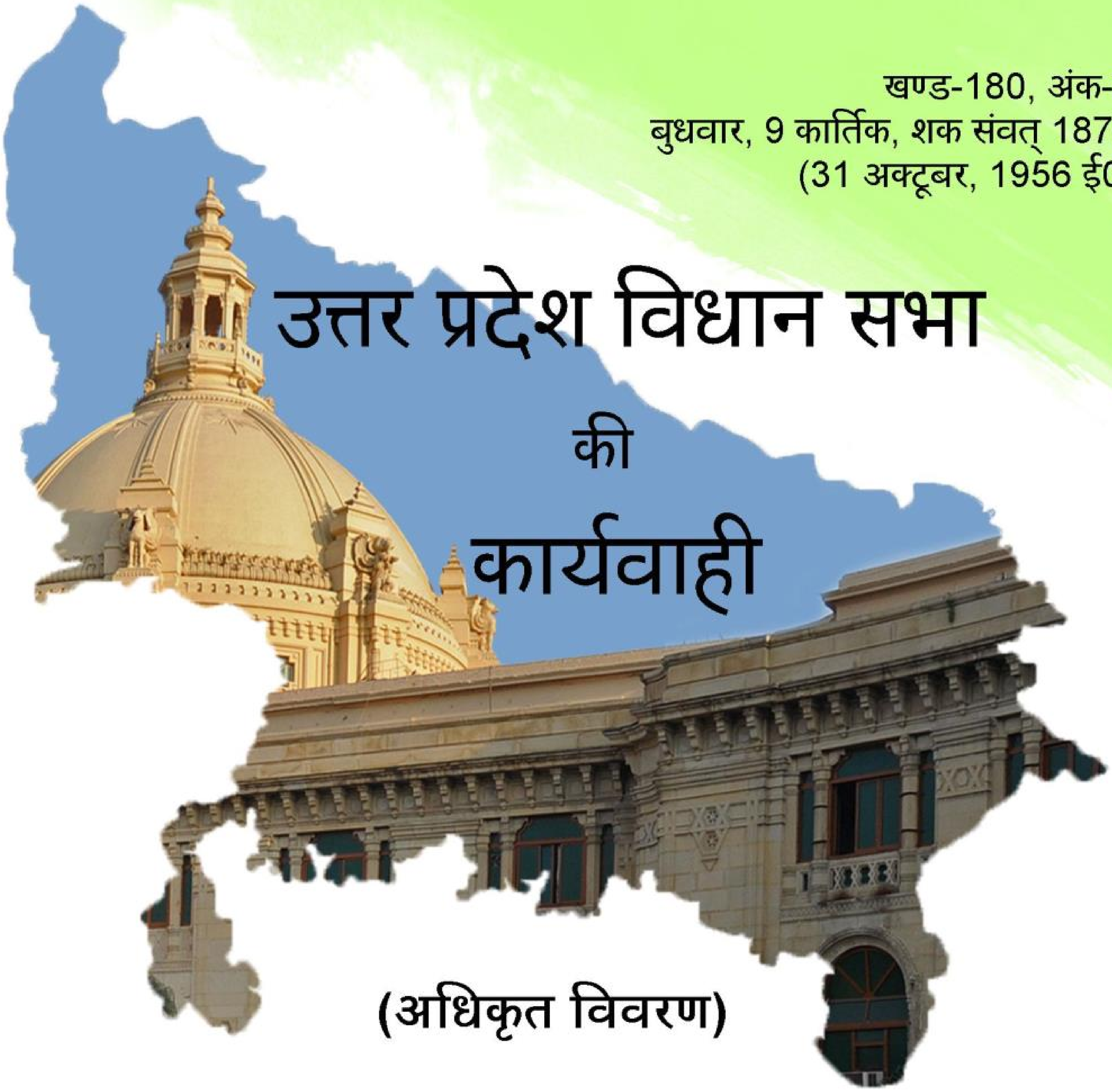

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 180 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ३१ अक्तूबर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४५)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिकासिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केबलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री

चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल वालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सागर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल राहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बलरायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनार्थसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री (वाराणसी)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबला मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री

रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अग्रवाल, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाबख्श सिंह, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ३१ अक्तूबर, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

**१-२—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर आगामी बैठक के लिये स्थगित किये गये ।]

ग्रामीण क्षेत्रों में गृह निर्माणार्थ केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन योजना

**३—श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या ग्रामों को भी शहर की तरह मकान बनाने के लिये लम्बी अवधि की किस्त पर कर्ज देने के सम्बन्ध में सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं तो क्यों ?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—जी नहीं, अभी नहीं है ।

भारत सरकार की जो योजना अभी चालू है वह विशेषकर नगर क्षेत्रों के लिये ही बनाई गई थी । ग्रामीण क्षेत्रों में गृह निर्माण के लिये भी एक योजना भारत सरकार के विचाराधीन है । उसके कार्यान्वित होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिये उसके अन्तर्गत भारत सरकार से आर्थिक सहायता मिलने की आशा है । प्रदेशीय सरकार अपने सीमित साधनों के कारण कोई ऐसी योजना स्वयं नहीं चला सकती ।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह योजना कब तक बन जायेगी और कब से लागू होगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—जैसा मैंने निवेदन किया है यह योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है । जब वह विचार कर लेंगे तभी इस पर कोई अन्तिम निर्णय होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या प्रदेशीय सरकार को केन्द्रीय सरकार की इस योजना की रूपरेखा मालूम है ? यदि हां, तो क्या सांकेतिक रूप से इस रूपरेखा को बतलायेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं । इस विषय में कोई चीज मालूम नहीं है । जब उन को लिखा गया था तो उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई एक योजना उनके विचाराधीन है ।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी आवश्यकता को देखते हुये इस तरह की योजना के लिये पत्र-व्यवहार कर रहे हैं केन्द्रीय सरकार से कि ग्रामीणों को लम्बी अवधि के लिये तकावी देने की व्यवस्था पर विचार करे ?

श्री कैलाशप्रकाश—मैं अभी निवेदन कर चुका हूं कि यहां से लिखा गया और उन्होंने उत्तर में यही लिखा है कि वे ऐसी योजना पर विचार कर रहे हैं ।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिये अपनी तरफ से कोई योजना बना कर प्रांतीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को भेजी है ?

श्री कैलाशप्रकाश---इसमें कोई योजना का प्रश्न नहीं उठता । ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिये रुपया चाहिये । रुपये का प्रश्न है, उन को लिखा है कि वे इस तरह से रुपया दे सकें तो दें और वह इस पर विचार कर रहे हैं ।

बाढ़पीड़ितों को सहायता देने के लिए नियम

*४---श्री बद्रीनारायण मिश्र---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि बाढ़ के कारण जो छूट या छात्रों की फीस माफी तथा छात्रवृत्ति या अनुदान दिये जा रहे हैं उनको किस आधार पर दिया जाता है ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)---बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण मालगुजारी में छूट रेवेन्यू मैनुअल के अध्याय ६ तथा जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २६८ तथा २९४ के अनुसार दी जाती है । छात्रों की फीस माफी तथा अनुदान हानि की मात्रा तथा लोगों की सामान्य आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख कर स्वीकृत की जाती है । छात्रवृत्ति के लिये अभाव विभाग के आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री बद्रीनारायण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि किसके घर बाढ़ग्रस्त हैं, किसके नहीं हैं इसको कहां से प्रमाणित कराती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---बाढ़ग्रस्त क्षेत्र सबको मालूम होता है । एक-एक घर का प्रश्न नहीं उठता । उस क्षेत्र में जितने घर होते हैं, जितने लोग होते हैं, सब को देखा जाता है ।

श्री बद्रीनारायण मिश्र---क्या सरकार ने कोई सरकुलर विभिन्न विभागों को भेजा है कि फलां अधिकारी का लिखा हुआ ही माना जायगा कि फलां का घर बाढ़ में है या फलां का नहीं है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जिले के जो अधिकारी कलेक्टर वगैरह हैं वे सब इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं और प्रबन्ध कर लेते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या नियमों के आधार पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जहां फीस माफ की जा रही है वहीं अतिवृष्टि और अनावृष्टि वाले क्षेत्रों में भी आ जाता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---प्राकृतिक सभी आपदायें आ जाती हैं ।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जिन स्कूलों को मान्यता प्राप्त नहीं है उनमें पढ़ने वाले लड़कों की फीस माफ की गई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---वहां के लोगों का मामला तो अलग है । लेकिन अगर कोई ऐसी बात आयेगी तो उस पर विचार किया जायगा और रिआयत देने की व्यवस्था की जायगी ।

मुख्य सचिव द्वारा जेल विभाग से संबंधित हिन्दी में तार भेजने के सम्बन्ध में परिप्रश्न

**५---श्री बद्रीनारायण मिश्र---क्या सरकार बतायेगी कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल विभाग से सम्बन्धित कितने तार जनवरी, १९५६ से सितम्बर, १९५६ तक जिला अधिकारियों को अंग्रेजी तथा हिन्दी में भेजे हैं ?

कारावास उपमंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—मुख्य सचिव की ओर से जेल विभाग से सम्बन्धित कोई तार हिन्दी या अंग्रेजी में जिला अधिकारियों को नहीं भेजा गया।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—जो तार सरकार की तरफ से भेजे जाते हैं उनमें से कितने तार हिन्दी में और कितने अंग्रेजी में भेजे गये हैं?

श्री अध्यक्ष—इसमें तो आपने पूछा है कि मुख्य सचिव ने कितने भेजे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। तो उसके बाद यह सवाल नहीं उठता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या इस प्रश्न का उत्तर यह समझा जाय कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल विभाग से संबंधित कोई भी तार हिन्दी में नहीं भेजा?

श्री मुजफ्फर हसन—आप इसका मतलब लगा लीजिये।

तारांकित प्रश्न

*१-३—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[स्थगित किये गये।]

इलाहाबाद जिले में संक्रामक रोगों की चिकित्सा का प्रबंध

*४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में १ जून, १९५६ से २० जुलाई तक कितने आदमी कालरा बीमारी से मर गये और कितनों की चिकित्सा अस्पतालों में हो रही है?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—इस प्रदेश में १ जून, १९५६ से २० जुलाई तक कालरा की बीमारी से २०२ मृत्युयें हुईं। उन आदमियों की संख्या जिनकी चिकित्सा अस्पतालों में हो रही है इस समय नहीं बताई जा सकती क्योंकि इसके आंकड़े अस्पतालों से नहीं मंगाये जाते।

*५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में देहातों से कालरा के रोगियों को अस्पताल लाने के लिये कितनी एम्बुलेंस कारें हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इलाहाबाद जिले में देहातों से कालरा के रोगियों को अस्पताल लाने के लिये एक एम्बुलेंस जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पास मौजूद है, अगर अधिक आवश्यकता हो तो दूसरी एम्बुलेंस सिविल सर्जन के पास भी मौजूद है।

*६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में किन-किन अस्पतालों में (छूतही बीमारी) कालरा तथा प्लेग की व्यवस्था है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—कालरा तथा गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस्ट की बीमारी के लिये इलाहाबाद शहर में एक बहुत बड़ा छूतहा अस्पताल है जो कि बहुत ही सुव्यवस्थित है। इलाहाबाद के देहातों में जहां कि ग्राम चिकित्सालय हैं उन सब में कालरा के इलाज के लिये इन्जेक्शन व दवाइयां मौजूद हैं। इसके अलावा जब कभी आवश्यकता होती है तो अस्थायी चिकित्सालय ग्राम चिकित्सालयों में छप्परों में सरकार की ओर से खोल दिये जाते हैं।

इलाहाबाद जिले में और शहर में प्लेग की बीमारी नहीं है। लेकिन इसके इलाज की व्यवस्था न सिर्फ जिले के अस्पतालों में है बल्कि हर एक ग्राम चिकित्सालय में मौजूद है, जिनमें इस बीमारी के इलाज के लिये स्टेप्टोमाइसीन के इन्जेक्शन और शल्फोगुनाडीन भी रक्खी गई है और जो चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संचालक के मेडिकल स्टोर्स डिपो से जब कभी मांग होती है भेज दी जाती है। इसके अलावा

ग्राम आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालयों में भी आयुर्वेद व यूनानी के तरीके से इन बीमारियों का इलाज किया जाता है और जिले के स्वास्थ्य अधिकारी के पास भी ऐसी दवाइयां मौजूद रहती हैं और जब जरूरत पड़ती है इनका इस्तेमाल होता है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या यह सही है कि जो मोटर जिला स्वास्थ्य अधिकारी को दी गयी है वह सालों से टूटी हुई पड़ी है?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या यह सही है कि जो एम्बुलेंस कार जिला स्वास्थ्य अधिकारी को दी गयी है वह सालों से टूटी हुई पड़ी है तथा उसकी लिखा-पढ़ी होने के बाद भी सरकार ने कोई प्रबन्ध नहीं किया है?

श्री बलदेवसिंह आर्य---मैंने आपको बतलाया कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पास एक एम्बुलेंस कार है, वह किस अवस्था में है, इसके बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

*७०८---श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)---[स्थगित किये गये।]

*९०---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---[स्थगित किया गया।]

आगरा जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खुलने वाले गृह तथा कुटीर उद्योग

*१०---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (अनुपस्थित)---क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिला और शहर में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार कौन-कौन से छोटे (गृह और कुटीर) तथा बड़े उद्योग खोलने जा रही है?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---दूसरी पंचवर्षीय योजना में चर्म एवं चर्मशोधन उद्योग, दरी तथा कम्बल उद्योग, करघा उद्योग खोलने के साथ-साथ सरकार आगरा जिले एवं शहर में छोटे गृह और कुटीर उद्योगों के विकास तथा विस्तार के लिये औद्योगिक शिक्षालय योजना, पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की योजना, औद्योगिक सहकारी योजना को भी चलाने जा रही है। इसके अतिरिक्त रूड़ी उद्योग के विकास के लिये फिरोजाबाद में एक गैस प्लांट लगाया जा रहा है और आगरा में एक औद्योगिक आस्थान स्थापित होने जा रहा है। उद्योगों के लिये स्थानों का चुनाव जिला नियोजन समिति के परामर्श से होगा। सरकार द्वारा कोई बड़ा उद्योग इस जिले में खोलने का आयोजन नहीं है।

आगरा जिले में नियोजन समितियों द्वारा कूप निर्माणार्थ सहायता

*१०---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिला में जिला नियोजन समिति के पास १९५४-५५ और १९५५-५६ में प्रतिवर्ष कुओं के बनाने में सहायता के लिये तहसीलवार कितने आवेदन-पत्र आये और उनमें कितनों को सहायता दी गई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६१५ पर)

गाजियाबाद तहसील में सीमेंट का वितरण

*१२—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जून, जुलाई, अगस्त, १९५६ में गाजियाबाद तहसील में कितना सीमेंट दिया गया ? उसमें से कितना शहर में कितना गांवों में दिया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जून, जुलाई, अगस्त, १९५६ में गाजियाबाद तहसील में ५,४६० बोरे सीमेन्ट के प्राप्त हुये। इसमें से १,७८१ बोरे सीमेन्ट शहरी क्षेत्र तथा ३,६७९ बोरे सीमेंट देहाती क्षेत्र में वितरित किये गये ।

श्री तेजासिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो बोरे शहरी और देहाती क्षेत्रों में बांटे गये हैं वह उनकी जरूरत के अनुसार बांटे गये हैं या किसी खास निस्बत पर ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—हर कार्य के लिये कोटा निश्चित है और आवश्यकता और स्टाक के अनुसार वितरण किया जाता है ।

श्री तेजासिंह—मैंने यह पूछा था कि शहर और देहात में सीमेंट बांटने के लिये आबादी या जरूरत का खयाल रखा जाता है या जो पहुंच जाय उसी को मिल जाता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जैसा मैंने बताया आवश्यकता और स्टाक को देख कर ही पूर्ति करने की कोशिश की जाती है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ३,६७९ कट्टे देहात में तकसीम किये गये हैं, ये ग्रामवासियों के प्रार्थना-पत्रों पर किये गये हैं या प्लानिंग विभाग के द्वारा दिये हुए भी इसमें सम्मिलित हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—ग्रामवासियों को सीमेंट तहसीलदार गाजियाबाद ने वितरित किया है। उनके पास ग्रामवासियों की दरख्वास्तें आती हैं और वे उन पर विचार करते हैं। गांव में भी इसकी तस्दीक कर ली जाती है कि दरख्वास्त देने वाले को भी इसकी जरूरत है या नहीं। इसी आधार पर गांव में सीमेंट वितरित किया जाता है ।

श्री बलवंतसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जितना कोटा एस० डी० एम० साहब को दिया गया वह किसने निश्चित किया था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जिलाधीश जिले के कोटे के हिसाब से तहसीलों को वितरित करते हैं ।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सरकार के पास कोई ऐसी शिकायत गाजियाबाद क्षेत्र के देहाती क्षेत्रों के रहने वालों की तरफ से आयी है कि शहरी क्षेत्र के प्रपोर्शन में देहाती क्षेत्र को कोटा कम दिया जाता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आयी है ।

श्री तेजासिंह—क्या माननीय मंत्री जी के पास कोई प्लानिंग कमेटी का यह रेजोल्यूशन आया है कि देहातों में सीमेंट कम दिया जाता है और उनकी निस्बत बढ़ायी जाय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, यह तो बराबर जिलों से आता रहता है कि उनका कोटा बढ़ाया जाय लेकिन जो कोटा निर्धारित होता है वह केन्द्रीय सरकार के द्वारा राज्यों को निर्धारित होता है। केन्द्रीय सरकार जो कोटा स्टेट को देती है स्टेट से उसी के हिसाब से कोटा जिलों म वितरित किया जाता है ।

*१३-१४—श्री तेजासिंह—[स्थगित किये गये।]

मध्यवर्गीय तथा छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिये योजना

*१५—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किन-किन जिलों में किन-किन मध्यवर्गीय तथा छोटे उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इस सम्बन्ध में क्या योजना है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६१६ पर)

हाथरस तथा मेरठ में कटलरी उद्योग के केन्द्र खोलने का आयोजन

*१६—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कटलरी वर्ष के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितना व्यय करने का अनुमान है और उसके उत्पादन केन्द्र कहां-कहां पर खोले जायेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—दूसरी पंचवर्षीय योजना में कटलरी उद्योग पर कुल ६,५१,००० रुपया व्यय होने का अनुमान है और उसके लिये केन्द्र हाथरस में खोले जाने का तथा मेरठ में चलने वाले कटलरी केन्द्र का विस्तार करने का आयोजन है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार को हाथरस में औद्योगिक प्रशिक्षण के लिये आवश्यक इमारत की भूमि उपलब्ध हो गयी है ? यदि हां, तो वहां कब से प्रशिक्षण प्रारम्भ हो सकता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इस प्रशिक्षण के लिये वहां पर जमीन उपलब्ध है या नहीं इसकी सूचना अभी मेरे पास नहीं है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार हाथरस में औद्योगिक विकास योजना, सहकारी विकास योजना तथा पाइलट शिल्पशाला, नयी कालीन तथा दरियों और चमड़े के सूटकेस बनाने के केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—हाथरस में जो-जो उद्योग खुलेंगे उनकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है जिससे माननीय सदस्य को भली प्रकार से मालूम हो सकता है कि कौन-कौन से उद्योग हाथरस या अलीगढ़ में शुरू किये जाने वाले हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई कुटीर उद्योग मुजफ्फरनगर जिले में भी खोलने की उनकी कोई स्कीम है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

करघा उद्योग विकास के कर्मचारियों द्वारा करघा वस्त्रों का उपयोग

*१७—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि करघा उद्योग विकास में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिये करघा के बुने वस्त्रों का उपयोग अनिवार्य किया जा रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—ऐसी कोई आज्ञा सरकार द्वारा जारी नहीं की जा रही है ।

ग्राम सेवकों में परिगणित तथा पिछड़ी जातियों के कर्मचारी

*१८—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने बी० एल० डब्ल्यू० (ग्राम सेवक) मुकर्रर किये गये, और उनमें (१) परिगणित; तथा (२) हिन्दुओं की पिछड़ी हुई जातियों के कितने हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१,७३९। इनमें से ७६ ग्रामसेवक परिगणित जाति के एवं १३३ ग्राम सेवक पिछड़ी हुई जातियों के हैं।

औद्योगिक आस्थान योजना

*१९—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक आस्थान (Industrial Estates) की पूरी योजना क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आगरा तथा कानपुर में एक-एक औद्योगिक आस्थान बनाने का आयोजन है जिसके अन्तर्गत सरकार छोटे-छोटे उद्योग चलाने वालों को बनी हुई जगह, पानी, बिजली, यातायात की सब सुविधायें प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त सामूहिक सुविधायें जैसे बिजली से निकिल करना, धातु को बिजली की भट्ठी में गरम करना, विशेषज्ञ की जांच तथा परामर्श भी कम से कम खर्च पर प्रदान की जायेंगी।

*२०—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि वह औद्योगिक प्रशिक्षण के साधनों की वृद्धि करने के लिये क्या विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—औद्योगिक प्रशिक्षण के साधनों की वृद्धि हेतु सरकार औद्योगिक शिक्षालय योजना का विस्तार करने जा रही है।

ग्रीष्म ऋतु में बांदा जिले की कर्वी तथा मऊ तहसीलों में पशुओं को जल कष्ट

*२१—श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बांदा जिले के कर्वी, मऊ तहसीलों के दक्षिणी भाग में गर्मी के दिनों में तालाबों के सूख जाने पर दो मील तक पशुओं को पानी न मिलने से अधिकांश पशुओं की मौत हो जाती है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)—जी नहीं। यह तो सही है कि गर्मी में कर्वी व मऊ तहसीलों के दक्षिणी भाग के कुछ तालाब सूख जाते हैं और पशुओं को दो या तीन मील चलने पर नदी का पानी पीने को मिलता है, परन्तु पानी की कमी से उनकी मृत्यु नहीं होती। हाल ही में सरकार ने बांदा जिले की कर्वी सब-डिवीजन के पथरा क्षेत्र में गाधव, गौतमपुर और चित्तूपुर ग्रामों में तीन कुओं के बनाने के लिये ७०,००० रुपय की स्वीकृति दी है।

*२२—श्री जगपतिसिंह—क्या सरकार वहां पहाड़ी नालों को बांध कर पशुओं को जल पीने का प्रबन्ध करने को सोच रही है ?

श्री फूलसिंह—जी हां।

*२३—श्री जगपतिसिंह—यदि हां, तो सरकार ऐसे बांधों की सर्वे कब तक करायेगी ?

श्री फूलसिंह—अधिकांश बन्धियों का सर्वे किया जा चुका है और कुछ का अभी हो रहा है।

श्री जगपतिसिंह---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के इस पिछड़े हुये क्षेत्र में सोशल ओवरसियर मुकर्रर कर के वहां का सर्वे कराने का जल्द प्रयत्न करेंगे ?

श्री फूलसिंह---सर्वे तो बहुत कुछ हो चुका है और कुछ जगह काम भी शुरू हो गया है ।

श्री जगपतिसिंह---वहां पर ओवरसियर न मिलने से काम बहुत कम हुआ है और मेरी प्रार्थना है कि वहां की पानी की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---यह सूचना है, वह उनको मालूम हो गई ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां जल कष्ट को दूर करने के लिये कोई विशेष अनुदान या स्पेशल ग्रांट सरकार ने देने की व्यवस्था की है ?

श्री फूलसिंह---इस क्षेत्र में बन्धियां बनाई जा रही हैं और सर्वे भी हो रहा है ।

आजमगढ़ जिले के डेवलपमेंट ब्लाक, लालगंज में ली गयी जमीन का मुआवजा

*२८---श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले के डेवलपमेंट ब्लाक, लालगंज के लिये कितने किसानों की कितनी जमीन ली गई है ?

श्री फूलसिंह---जिला आजमगढ़ के विकास खंड लालगंज के निमित्त केवल श्री रघुनाथ प्रसाद ग्राम चकिया के १ एकड़ १७ बिस्वा १२ बिस्वांसी भूमि अधिकृत की गई है ।

श्री विश्रामराय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे काश्तकारों को मुआवजा दिया गया है या नहीं ?

श्री फूलसिंह---उसके मुआवजे के लिये लिख दिया गया है ।

श्री विश्रामराय---यह जमीन कब ली गई है और कब तक मुआवजा दिया जायगा ?

श्री फूलसिंह---इसकी तिथि तो नहीं बता सकता लेकिन मुआवजा जल्द दिया जायगा ।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि यह जमीन किस वास्ते ली गई है ?

श्री फूलसिंह---ब्लाक की इमारत बनाने के लिये ।

बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील के बूड़ा पंचायती क्षेत्र में श्रमदान न होना

*२९---श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में अदालत पंचायत बूड़ा के क्षेत्र में इस साल (१९५६-५७) में कितना श्रमदान हुआ है ?

श्री फूलसिंह---कोई श्रमदान कार्य नहीं हुआ ।

*३०---श्री मथुराप्रसाद पांडेय---क्या यह सही है कि श्रमदान द्वारा निर्मित सड़कों में पुलिया नहीं बनायी गई ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्य में अनुदान देने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री फूलसिंह---प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामेश्वरलाल---क्या मंत्री जी को जानकारी है कि पंचायत विभाग ने अपने पंचायत सेक्रेटरियों को इस तरह का आदेश दिया था कि हर गांव सभा में श्रमदान का कार्य करें ? यदि हां, तो क्या उन्होंने इस तरह का कोई कार्य नहीं किया ?

श्री फूलसिंह---हां, यह तो कोशिश थी कि हर क्षेत्र में कुछ न कुछ श्रमदान का काम होना चाहिये। इस क्षेत्र में क्यों नहीं हुआ इस की सूचना मैं इस वक्त नहीं दे सकता।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी विभागीय जांच करा कर उन सेक्रेटरियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे क्योंकि उन्होंने सरकारी आदेश का पालन नहीं किया ?

श्री फूलसिंह---ऐसी हिदायतें पहले से जारी रहती हैं कि जो कार्यकर्त्ता ठीक से कार्य नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

बस्ती जिले की खलीलाबाद तहसील में श्रमदान से निर्मित मार्ग

*२७---श्री रामसुन्दरराम (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की खलीलाबाद तहसील में श्रमदान द्वारा किन-किन गांवों में सड़कें बनाई गई हैं ? यदि हां, तो उनकी क्या लम्बाई है ?

श्री फूलसिंह---जिला बस्ती की तहसील खलीलाबाद में श्रमदान द्वारा बनाई गई सड़कों का विवरण पंचायत निरीक्षक क्षेत्रवार इस प्रकार है:---

नाम पंचायत निरीक्षक क्षेत्र	वर्ष											
	१९५२-५३			१९५३-५४			१९५४-५५			१९५५-५६		
	मी०	फ०	गज	मी०	फ०	गज	मी०	फ०	गज	मी०	फ०	गज
खलीलाबाद	२	४	०	१	२	०			..			..
मेहदावल ..	०	४	६०	१	०	०	०	३	०	२	०	०
नाथ नगर ..			.			..	०	०	१००	१	७	०
राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड घनघटा			..			..			..	१	६	२०
	३	८	६०	२	२	०	०	३	१००	५	५	२०

*२८---श्री रामसुन्दरराम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्रमदान द्वारा निर्मित खलीलाबाद तहसील के किन-किन गांवों की सड़कें पक्की बनवाने की सिफारिश पंचायत विभाग द्वारा सरकार से की गई है ?

श्री फूलसिंह---किसी भी सड़क को पक्की बनवाने की सिफारिश पंचायत विभाग द्वारा नहीं की गई है।

श्री रामसुन्दरराम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि खलीलाबाद पंचायत निरीक्षक क्षेत्र में १९५५-५६ में मनसिर से मौलनापुर सड़क, कटका से मगहर व मौलनापुर से काली जगदीशपुर सड़क श्रम द्वारा बनाई गई थीं, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है ?

श्री फूलसिंह---अब यह तफसील तो मैं नहीं बतला सकता। माननीय सदस्य को उस इलाके से वाकफियत अधिक होगी।

श्री रामसुन्दर राम---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह सड़क जो बनाई गई इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई ?

श्री फूलसिंह---यह मैं नहीं कह सकता हूं कि यह बनाई भी गई या नहीं बनाई गई। इसलिये रिपोर्ट क्यों नहीं आई इसके बारे में कहना कठिन है।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस प्रकार जो श्रमदान से सड़कें बन रही हैं और बनती चली जा रही हैं इसका ध्यान रखते हुये कि ये बरबाद न हो जायं सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था की है कि आगे कोई कदम उठाया जाय ? यदि हां, तो क्या ?

श्री फूलसिंह---जितनी सड़कें श्रमदान से बनती हैं सब को पक्का करना असंभव है। तब भी कुछ सड़कों को हर साल पक्का करने की कोशिश की जाती है ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र---क्या मंत्री महोदय माननीय रामसुन्दर राम के प्रश्न को नोटिस मान कर इसकी जांच करेंगे कि वह सड़क बनी है या नहीं बनी है ?

श्री फूलसिंह---वह प्रश्न मुझे याद भी नहीं है। माननीय सदस्य अगर लिख कर देंगे तो उसका नोटिस लिया जायगा ।

श्री नोराधर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उन्होंने कुछ ऐसा निश्चित कोटा तय कर दिया है कि इतने प्रतिशत श्रमदान की सड़कों को वह पक्का बनवायेंगे ?

श्री फूलसिंह---कोई परसेंटेज नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत रुपया निकाल कर हर साल काम करने की कोशिश की जाती है ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्रमदान से बनी हुई सड़कों की पड़ताल कागज में करा दी गई ?

श्री फूलसिंह---पड़ताल तो खेतों की होती है। सड़कों की तो होती नहीं ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि खलीलाबाद में जितनी सड़कें श्रमदान से बनायी गयी हैं क्या उनका विचार किसी भी अंश को पक्की सड़क बनवाने का है ?

श्री फूलसिंह---जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है यहां से तो किसी पंचायत क्षेत्र की सड़क के सम्बन्ध में लिखा नहीं गया कि इसको पक्की कराया जाय। लेकिन ऐसी छोटी-छोटी सड़कों को पक्का करने का काम प्लानिंग कमेटियों का है। तो माननीय सदस्य अपनी प्लानिंग कमेटी में इस प्रश्न को उठा कर तय कर लें ।

देवरिया जिले में मादक द्रव्यों की चोर बाजारी के मुकदमे

*२९---श्री रामेश्वरलाल---क्या आबकारी मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया जिला में सन् १९५५ से अब तक कितने मादक द्रव्यों के चोर बाजारी के केस पकड़े गये, और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

मादक कर मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---देवरिया जिला में जनवरी सन् १९५५ से १५ अगस्त सन् १९५६ तक कुल ३६१ मुकदमे मादक द्रव्य के चोर बाजारी में पकड़े गये। उनमें से २८१ मुकदमों में अभियुक्तों को सजा मिली तथा २३ छोड़ दिये गये। शेष ५७ मुकदमे न्यायालय के विचाराधीन हैं।

*३०---श्री रामेश्वरलाल---क्या आबकारी मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि देवरिया जिला में भंग रखने व बेचने के उपर्युक्त अवधि में कितने केस पकड़े गये और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गिरधारीलाल---जनवरी, १९५५ से १५ अगस्त, १९५६ तक भंग रखने व बेचने के सम्बन्ध में कुल १७ मुकदमे पकड़े गये और उनमें से १२ मुकदमों में अभियुक्तों को जुर्माने की सजा मिली। शेष पांच मुकदमे न्यायालय के विचाराधीन हैं।

*३१—श्री रामेश्वरलाल—क्या आबकारी मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया जिला में कितने ताड़ के पेड़ से नीरा पिछले साल निकाली गई ?

श्री गिरधारीलाल—१९५४-५५ में कुल २५ ताड़ के पेड़ से नीरा निकाली गयी ।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जो ३६१ के मुकदमे चोरबाजारी के पकड़े गये उनमें गैरकानूनी शराब की भट्ठियों के भी मुकदमे हैं ?

श्री गिरधारीलाल—हां, शराब की भट्ठियों के भी मुकदमे थे ।

श्री रामेश्वरलाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि देवरिया जिले के घाघरा, बड़ी गंडक और छोटी गंडक के कछार के इलाकों में भांग के वृक्ष प्राकृतिक ढंग से बहुत होते हैं और वहां के लोग ईंधन के अभाव में उसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं ?

श्री गिरधारीलाल—जरूर करते होंगे ।

श्री रामेश्वरलाल—क्या यह सही है कि बहुत से उन क्षेत्रों के उन ग्रामीणों पर भांग रखने के जो मुकदमे चलाये गये हैं उनमें से अधिकतर उन्हीं पर चलाये गये हैं ?

श्री गिरधारीलाल—मुझे इसकी इत्तला नहीं है । भांग एक नशीली चीज है जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत है । अगर वह कहीं मिलती है तो जरूर मुकदमा चलाया जा सकता है ।

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या यह सही है कि ५५ से आज तक बराबर ऐसे केस बढ़ते जा रहे हैं जिनमें नैपाल से हिन्दुस्तान लोग गांजा लेकर ज्यादा आ रहे हैं, ऐसे केस पकड़े गये हैं ?

श्री गिरधारीलाल—नैपाल से गांजे की स्मगिलग हो रही है । जरूर उसके केसेज पकड़े गये हैं ।

श्री तुलाराम (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जो व्यक्ति लकड़ी सहित गांजा यानी गांजे का दरख्त जिस आदमी के घर में मिलता है उसके ऊपर भी केस चलाया जाता है ?

श्री गिरधारीलाल—जैसा मैंने पहले कहा इन नशीली चीजों का जिनका बिला इजाजत घर में रखना जुर्म है अगर वह घर में रखी जाती हैं तो जरूर उनके ऊपर केस चलेगा ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जब सरकार को मालूम है कि नैपाल से गांजे की स्मगिलग हो रही है और पास के जिलों में देवरिया आदि में जा रहा है तो उसको चेक करने का क्या प्रबन्ध है ?

श्री गिरधारीलाल—उसके चेक करने के लिए बार्डर पर दो गांजा स्क्वेड रखे गये हैं ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को पता है कि नैपाल की सरकार ने जो नैपाल से गांजे की स्मगिलग होती है और उत्तर प्रदेश के सूबे में चला आता है, उस स्मगिलग को न पकड़ने की सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की पुलिस की बतायी है ?

श्री गिरधारीलाल—इस बात में मुझे नैपाल की गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं। लेकिन जहां तक इंतजाम करने की बात है जैसा मैंने कहा इस इलाके की तरफ दो स्क्वेड रखे हुए हैं । उनकी इस बात की जिम्मेदारी है कि स्मगिलग को रोकें और वह अपनी पूरी कोशिश से रोक भी रहे हैं ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि नैपाल से भारत में गांजा न प्रवेश करने पाये इसके लिये नैपाल की सरकार की ओर से कोई प्रबन्ध है सीमा के ऊपर ?

श्री गिरधारीलाल—मेरा यह ख्याल है जैसे दो इंडिपेंडेंट सरकारों के बीच में प्रबन्ध हुआ करता है उसी प्रकार का इसमें भी प्रबन्ध होगा, जिसकी इस वक्त मुझे इत्तला नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा हमारे दो स्क्वेड्स हैं जो वहां से किसी प्रकार से स्मगलिंग रोकने का काम कर रहे हैं।

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब से यह चैक पोस्ट्स स्मगलिंग को रोकने के लिये रखे गये हैं तब से स्मगलिंग के केसेज कम हुए हैं या उनमें भी वृद्धि हो रही है ?

श्री गिरधारीलाल—जब से रखे गये हैं तभी से पकड़े भी जा रहे हैं और मैं समझता हूं कमी ही हो रही है।

श्री रुद्रीनारायण मिश्र—क्या मादक कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में जब कि बाढ़ के इलाके में भांग अपने आप होती है तो अनिवार्य रूप से किसानों के घर में रहती है फिर उन पर क्यों मुकदमे चलाये जाते हैं ?

श्री गिरधारीलाल—इसका जवाब शुरू में दिया जा चुका है कि जिस वक्त भांग का रखना और इस्तेमाल करना जुर्म है तो अगर घर में रखी गई है तो उसके ऊपर जरूर मुकदमा चलेगा।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्हें इस बात की सूचना है कि नहीं कि नैपाल में गांजे के उत्पादन और उसके बेंचने और उसके बाहर भेजने पर कोई प्रतिबन्ध है या नहीं ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—नैपाल गवर्नमेंट से दर्याफ्त किया जा सकता है।

प्रदेश में नवीन चीनी मिलें खोलने का आयोजन

*३८—श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिल खोलने के सम्बन्ध में जो सर्वे कराया जा रहा था उसका क्या नतीजा हुआ ?

श्री फूलसिंह—सर्वे के फलस्वरूप राज्य में १३ नये स्थान नई चीनी मिलें लगाने के लिये उपयुक्त समझे गये हैं और इस मामले में अब कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज कमेटी उचित कार्यवाही कर रही है।

*३९—श्री कमलासिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में जिलेवार कौन-कौन चीनी मिल काम कर रही हैं ?

श्री फूलसिंह—१९५५-५६ सीजन में चलने वाली चीनी मिलों के जिलेवार नाम संलग्न सूची में दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ..६१७-६१९..पर)

श्री कमलासिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में जिन जिलों का सर्वे कराया गया है उनमें गन्ने की उपज क्या है ?

श्री अध्यक्ष---सब जिलों के बारे में पूछना चाहते हैं ?

श्री कमलासिंह---नहीं। जिनका सर्वे कराया गया है उनका।

श्री अध्यक्ष---हर एक का अलग-अलग चाहते हैं ?

श्री कमलासिंह---जी हां।

श्री फूलसिंह---सरकार ने एक अफसर को नियुक्त किया था वह प्रान्त भर में दौरा करके रिपोर्ट करे कि कौन-कौन क्षेत्र एसे हैं जहां मिल लगायी जा सकती है। उस रिपोर्ट को फिर एक कमेटी के सामने रखा गया उसने यह नाम छांटे हैं।

श्री बलवन्तसिंह---मुजफ्फरनगर जिले में भी कोई और पांचवीं मिल लगाने को उसने बतलाया है ?

श्री फूलसिंह---जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी उन १३ जगहों का नाम बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री फूलसिंह---हस्तिनापुर जिला मेरठ, बागपत जिला मेरठ, बड़ोत जिला मेरठ, बाजपुर जिला नैनीताल, किछा जिला नैनीताल, सरसावा जिला सहारनपुर, ननौत जिला सहारनपुर, दिवाई जिला बुलन्दशहर, गुलौठी जिला बुलन्दशहर, नजीबाबाद जिला बिजनौर, पलिया जिला खेरी, मझोला जिला पीलीभीत, राजा तालाब जिला वाराणसी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि योजनानुसार इन तेरह जगहों में फैक्ट्रियां किस वर्ष में खुलेंगी ?

श्री फूलसिंह---इनमें से कुछ जगहों पर तो फैक्ट्रियों का तय हो गया है और कुछ जगह जहां फैक्ट्री शिफ्ट होंगी उनमें से भी कुछ का तय हो गया है, कुछ के लिये केन्द्रीय सरकार को लिखा गया है और कुछ का मामला विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि किन फैक्ट्रियों का तय हो गया है, किन का विचाराधीन है और किन-किन जगहों में शिफ्ट होने वाली है और कब से ?

श्री फूलसिंह---हस्तिनापुर का तो तय हो गया है और यह गवर्नमेंट आफ इंडिया को रिकमेंड कर दिया गया है कि श्री बी० डी० गुप्ता को फैक्ट्री लगाने की इजाजत दी जाय। बागपत में कोआपरेटिव फैक्ट्री का लाइसेंस मिल गया है। बड़ोत में खलीलाबाद की फैक्ट्री को शिफ्ट करने के लिये रिकमेंड कर दिया गया है। बाजपुर में कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लगायी जा रही है। किछा में मेसर्स दान सिंह ऐंड संस की फैक्ट्री लगायी जा रही है। सरसावा में ऐसा मालूम हुआ है कि एक कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री के लिये लाइसेंस गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिल गया है। ननौत के लिये मंशूरपुर शुगर फैक्ट्री प्लांट को शिफ्ट करने के लिये मामले को केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है। दिवाई में मुफ्त लाल ऐंड को० बम्बई की एक फर्म है उनसे बातचीत हो रही है। गुलौठी का मामला अभी विचाराधीन है। नजीबाबाद का मामला भी विचाराधीन है। पलिया का मामला भी विचाराधीन है। मझौला के लिये तय हो गया है।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो सर्वे कराया गया इसके अन्तर्गत बुंदेलखंड डिवीजन में भी किसी हिस्से में सर्वे किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री फूलसिंह---जहां-जहां गन्ना ज्यादा था और जहां-जहां चांसेज फैक्ट्री लगाने के थे वहां-वहां उन-उन इलाकों का सर्वे कराया गया ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार बतायेगी कि वाराणसी में राजातालाब का क्षेत्र जहां मिल खोलने की योजना विचाराधीन है वहां पर गन्ने की उत्पादन शक्ति को देखते हुये फैक्ट्री शीघ्रातिशीघ्र खोलने के उपाय पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री फूलसिंह---वाराणसी में मिल खोलने की बात कुछ कठिन मालूम होती है क्योंकि न तो वहां के किसान कोआपरेटिव सोसाइटी के लिये रुपया दे सकेंगे और न कोई फैक्ट्री वहां जाने के लिये तैयार है । लेकिन इस मामले को देखा जा रहा है ।

श्री तुलाराम रावत (जिला लखनऊ)---क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जितने मामले विचाराधीन हैं वह कितने अर्से के अन्दर तय हो जायेंगे ?

श्री फूलसिंह---सम्भवतः नवम्बर के महीने में ही दूसरी मीटिंग होगी । तब तक और सब इंफारमेशन मिल जायगी और यह तय हो जायेगा ।

श्री रामकुमार शास्त्री---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जो बस्ती जिले की खलीलाबाद फैक्ट्री शिफ्ट होने के लिये रिकमेंड की गई है उस के न शिफ्ट करने के लिये वहां के गन्ना उत्पादकों ने सरकार को कोई रिप्रेजेन्टेशन दिया है ?

श्री फूलसिंह---इस की तो मुझे सूचना नहीं है । पर यह बात सही है कि जो किसान वहां गन्ना देते थे उन के गन्ने का उचित प्रबंध कर दिया जायगा तभी वह फैक्ट्री शिफ्ट होगी ।

खुर्जा में मिट्टी के बर्तनों का उद्योग

*३४---श्री रामदुलारे मिश्र---क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि खुर्जा में मिट्टी के बर्तन के उद्योग के सम्बन्ध में जो प्रमुख योजना चल रही थी उस में कितनी प्रगति हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ . . ६२० . . पर)

श्री रामदुलारे मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इस केन्द्र को उत्पादन और शिक्षा प्रदान कार्य को जारी रखने में क्या दिक्कत थी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---यह केन्द्र सन् १९४६ तक प्रशिक्षण और कच्चे माल की सप्लाई का काम करता रहा । लेकिन १९४६ के बाद इसको कच्चे माल की बिक्री का केन्द्र बना दिया गया है और यह केन्द्र सफलतापूर्वक अब तक चल रहा है ।

श्री रामदुलारे मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इस केन्द्र से २७ कुटम्ब किस प्रकार लाभ उठा रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---२७ परिवार वहां बसे हुये हैं और वह गमले, चाय के सेट आदि बनाने का काम करते हैं और उनको कच्चा माल सप्लाई किया जाता है ।

श्री रामदुलारे मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि सन् ५५ और ५६ में जिस ६७,००० रुपये के कच्चे माल की बिक्री हुई वह माल क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---यह तो माननीय सदस्य को जो संलग्न सूचना है उससे ज्ञात हो गया होगा और वह हैवरक्ले है उससे चाय के सेट, गमले वगैरा तैयार करते हैं ।

**३५-३७---श्री रामसुभग वर्मा---[स्थगित किये गये ।]

कुमायूं डिवीजन के उत्तरी क्षेत्र में नमक मंहगा बिकने की शिकायत

*३८—श्री राजवंशी (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चालू वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश में नमक का कोटा किस जिले को अलग-अलग कितना-कितना मिला है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सूची मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ .... ६२१-६२२ . . .पर)

श्री राजवंशी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि नमक का भाव ५ पैसे सेर है मगर वह ६ पैसे, ७ पैसे और ८ पैसे सेर बिकता है यह गवर्नमेन्ट को पता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं, इसकी तो कोई सूचना सरकार को नहीं है कि नमक किसी जिले में महंगा बिका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि कुमायूं डिवीजन के दूर के, अन्दर के पहाड़ी हिस्से जैसे पिथौरागढ़ या गढ़वाल के उत्तरी क्षेत्र में नमक बहुत महंगा बिकता है और कोटा सप्लाई का ढंग भी ठीक नहीं है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं, इसकी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं है। जो कुमायूं का उत्तरी क्षेत्र है वहां के जो भोटिया व्यापारी हैं वे तिब्बत का नमक वहां लाते हैं और लोगों को बेचते हैं और यहां से भी सरकार की व्यवस्था है वहां नमक पहुंचाने की। इसलिये अब तक सरकार के पास कोई ऐसी सूचना नहीं है या शिकायत नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वहां नमक नहीं पहुंचता है और लोगों को तकलीफ होती है।

श्री जगन्नाथमल्ल—क्या सरकार माननीय राजवंशी राय जी की बात को सूचना मान कर कि नमक ज्यादा दाम पर बिकता है, इसकी जांच करायेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसके लिये अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो उसकी जांच करा दी जायगी।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतावेंगे कि कोटा सिस्टम बनाये रखने के लिये क्या कारण है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—नमक ठीक तरह से जनता को वितरित होता रहे और जिलों में बंटता रहे, इसलिए कोटा सिस्टम जारी रखा गया।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश को खुद कितना नमक का कोटा मिलता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—नमक के अलग-अलग सोर्सेज हैं जहां से कि उत्तर प्रदेश को नमक आता है। राजस्थान है, वहां ७१७ मीटर गाज वैगन सप्लाई होते हैं, सरगोधा से ६३७ ब्राड गाज वैगन सप्लाई होते हैं, और धारंगधारा से ३९२ मीटर गाज वैगंस आते हैं। और कांधला सूत्र से ४२० मीटर गाज वैगंस सप्लाई होते हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश में विभिन्न सोर्सेज से नमक आता है।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, शेरवा, जिला मिर्जापुर में आपरेशन रूम निर्माण तथा रोगी शय्याओं को बढ़ाने की योजना

*३९—श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने १४ अप्रैल, १९५६ ई० को मिर्जापुर स्थित शेरवा राजकीय आयुर्वेदीय चिकित्सालय के उद्घाटन के समय वहां एक आपरेशन रूम निर्माण का आश्वासन दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

*४०—क्या स्वास्थ्य मंत्री को पता है कि वहां दूर-दूर के रोगी आते हैं ? यदि हां, तो क्या वहां कम से कम चार रोगी शय्याओं की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—तखमीने मांगे गये हैं। इसके लिये शीघ्र प्रबन्ध करने की चेष्टा की जा रही है ।

श्री राजकुमार शर्मा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तखमीना कब तक आ जायगा और निर्माण-कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सरकार ने उपसंचालक आयुर्वेद से तखमीना ३१-५-५६ को मांगा था और ६ अगस्त तथा २५ सितम्बर को याद दिलाई गई कि वह शीघ्रातिशीघ्र तखमीना शासन को भेज दें।

श्री राजकुमार शर्मा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह तखमीना आपरेशन रूम का है या शय्याओं के लिये भी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—तखमीना आपरेशन रूम के लिये भी और शय्याओं के लिये भी जिसको माननीय सदस्य ने मांग की थी, मांगा गया है ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या इस वित्तीय वर्ष में यह निर्माण कार्य हो जायगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—यह तो तखमीने के आने पर ही होगा।

पीलीभीत जिले में गन्ने का अनुमानित उत्पादन

*४१—श्री मुनीन्द्रपालसिंह (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गन्ना कारखानों में गन्ने की रिकवरी निकालने का क्या तरीका है और सरकार की तरफ से उसकी निगरानी का क्या प्रबंध है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रत्येक मिल द्वारा पेरे गये गन्ने की मात्रा और उत्पादित चीनी की मात्रा सदैव मालूम रहती है। इन आंकड़ों से यह हिसाब निकाल लिया जाता है कि मिल को १०० मन गन्ने से कितनी चीनी प्राप्त हुई, यही उस मिल की रिकवरी होती है। केन्द्रीय सरकार के (Excise Inspector) चीनी उत्पादन आदि का हिसाब रखते हैं।

*४२—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलायेगी कि पीलीभीत जिले में इस वर्ष कितने मन गन्ना होने का अनुमान है और वहां का कारखाना किस तारीख से चलाया जायेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पीलीभीत जिले में सीजन १९५६-५७ के लिये एक करोड़ मन गन्ने के होने का अनुमान किया जाता है और जो बात गन्ना उत्पादकों तथा मिल मालिकों में चल रही है उसके अनुसार इस मिल के ८-११-५६ से चालू होने की आशा है।

बलिया जिले के राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड

*४३—श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बलिया में कितने और कहां-कहां एन० ई० एस० ब्लाक (राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड) स्थापित हैं और कितने और कहां-कहां स्थापित होने को हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बलिया में गरवार, बेरुवाबारी में सन् १९५५ में एन० ई० एस० ब्लाक खुले थे। २ अक्तूबर, १९५६ को एक और ब्लाक बांसडीह में खोला गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरे जिले में एन० ई० एस० ब्लाक खोलने की योजना है ।

*४४--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---[स्थगित किया गया।]

*४५-४७---श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला गोंडा)---[स्थगित किये गये।]

बस्ती जिले के मेहदावल कछार में पेचिस तथा अतिसार रोगों की रोकथाम

*४८---श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)---क्या सरकार को ज्ञात है कि मेंहदावल कछार (बस्ती) में पेचिस तथा अतिसार की बीमारी फैली हुई है ? यदि उत्तर हां में है, तो इसकी रोकथाम के लिये क्या उपाय हो रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां, उक्त बीमारियों का जोर मेंहदावल कछार (बस्ती) में अक्तूबर के प्रथम सप्ताह तक रहा किन्तु अब पूर्णतया नियंत्रण कर लिया गया है। बीमारियों के नियंत्रण तथा रोगियों की चिकित्सा के हेतु एक एपीडेमिक असिस्टेंट तथा एक वैद्य भेज दिया गया था, औषधियां भी पर्याप्त मात्रा में भेजी गई थीं। एपीडेमिक असिस्टेंट वहां अब भी कार्य कर रहा है।

श्री राजाराम शर्मा---क्या सरकार इस क्षेत्र के अस्पतालों में इस बीमारी की रोकथाम के लिये विशेषरूप से दवाओं का प्रबन्ध करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां, सभी राजकीय चिकित्सालयों तथा दूसरे चिकित्सालयों में इसकी रोकथाम और चिकित्सा के लिये औषधियों की व्यवस्था रहती है।

गोंडा जिले में चौधरीडीह का एलोपैथिक अस्पताल खोलने का आयोजन

*४९---श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)---क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोंडा जिले में चौधरीडीह का एलोपैथिक अस्पताल कब तक खुल जायेगा और इस सम्बन्ध में बलरामपुर राज्य से जगह प्राप्त करने के लिये जो प्रयास किया जा रहा था, क्या वह सफल हो गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल के अन्दर इसको शीघ्र खोलने का प्रयत्न किया जा रहा है। यहां पर राज्य की एक इमारत (जिसमें पहले राज्य द्वारा संचालित एक अस्पताल चलता था और अब बन्द हो गया है) खरीदने का प्रयत्न हो रहा है। अभी बलरामपुर राज्य का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बलरामपुर राज्य को इस सम्बन्ध में कब पत्र लिखा गया और उसका क्या जवाब मिला ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इस सम्बन्ध में ठीक तारीख तो मैं नहीं बतला सकता हूं। किन्तु इतना बतला सकता हूं कि बलरामपुर राज्य को इस सम्बन्ध में कई बार लिखा गया। यह जो भवन है इसकी कीमत का तखमीना राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग से मांगा गया था। उसने १६ हजार रुपये का तखमीना दिया है। शायद बलरामपुर राज्य इससे अधिक कीमत चाहता हो इसलिए उत्तर देने में विलम्ब कर रहा हो।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि बलरामपुर राज्य ने इसके लिये कितना तखमीना बिया था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---वह तो मेरे पास नहीं है।

मेमोरियल अस्पताल, बलरामपुर, जिला गोंडा के प्रान्तीयकरण में विलम्ब

*५०.—श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेमोरियल अस्पताल, बलरामपुर, जिला गोंडा का प्रान्तीयकरण किस तिथि को होगा तथा उससे सम्बन्धित कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में किन शर्तों पर रक्खा जायेगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—मेमोरियल अस्पताल, बलरामपुर, जिला गोंडा का प्रान्तीयकरण शीघ्र होगा। अभी तिथि निश्चित नहीं है। अस्पताल के सारे कर्मचारियों को, जहां तक हो सकेगा, उन्हीं शर्तों पर सरकारी नौकरी में लिया जायगा जिन शर्तों पर वे इस समय हैं।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि पूर्वादेशानुसार सरकार को पहली अक्तूबर से ही इस अस्पताल को लेना चाहिये था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, इसके लिये ऐसे आदेश थे, पर वित्त विभाग ने इसके प्रान्तीयकरण के लिये कुछ आपत्तियां कीं। उन बातों का उत्तर दे दिया गया है और अब आशा की जाती है कि १५ नवम्बर तक आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

श्री रामनारायण—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि वित्त विभाग ने क्या आपत्तियां की हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—वहां के कर्मचारियों और इन खर्चों के सम्बन्ध में आपत्ति की थी।

*५१.—श्री देवनन्दन शुक्ल (जिला देवरिया)—[स्थगित किया गया।]

गांव प्रतापपुर (किछा), नैनीताल में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव

*५२.—श्री देवनन्दन शुक्ल—क्या गांव प्रतापपुर (किछा), नैनीताल में सरकार कोई आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो उस औषधालय के खुलने में कितनी देर लगेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक चिकित्सालय खुल जाने की पूर्ण सम्भावना है।

नैनीताल जिले के तराई क्षेत्र में मलेरिया की रोकथाम

*५३.—श्री देवनन्दन शुक्ल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मलेरिया का प्रकोप तराई, नैनीताल में कम हो रहा है या इसका प्रकोप वृद्धि पर है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—मलेरिया का प्रकोप निश्चित रूप से नैनीताल जिले के तराई के भागों में कम हो रहा है। रुद्रपुर, हल्द्वानी और काशीपुर यूनिट में (Spleen Rate) स्प्लीन रेट ३९.९ प्रतिशत, ९३.६ प्रतिशत; ४८.६ प्रतिशत १९४९ से कम होकर ३.४ प्रतिशत, ९.८ प्रतिशत और २.३ प्रतिशत, १९५५ में क्रमशः शेष रह गया है। इसी प्रकार मलेरिया मारबिडिटी रेट (Malaria Marbidity Rate) में भी उक्त समय से कमी हुई जो कि ९.९ प्रतिशत, १८ प्रतिशत और १९ प्रतिशत से कम होकर केवल १.१ प्रतिशत, ७.८ प्रतिशत और ११.३ प्रतिशत क्रमशः शेष रह गया है।

नोट—तारांकित प्रश्न ५३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी इसके आंकड़े प्रस्तुत करेंगे कि आज से २ वर्ष पहले यानी १९५४ में और १९५५ में मलेरिया से कितने लोग बीमार हुए ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

*५४-५५--श्री झारखंडे राय--[स्थगित किये गये।]

देवरिया जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत होने वाले विकास तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्य

*५६--श्री रामेश्वरलाल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया जिला के ग्राम में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में होने वाले विकास कार्यों की सूची बन गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक सदस्यों की जानकारी के लिये उसे सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--देवरिया जिले की योजना (plan) जो कि प्रत्येक ग्राम-सभा के अन्तर्गत होने वाले सामुदायिक विकास कार्यों पर आधारित है, उसका विस्तृत विवरण प्रकाशित होने के लिये प्रेस में है। प्रकाशित होने के उपरान्त उक्त योजना (plan) विधान सभा के सभी सदस्यों को प्रेषित की जायगी।

*५७--श्री रामेश्वरलाल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक १,००० से ऊपर आबादी वाले ग्राम में अपर प्राइमरी पाठशाला खोलने की क्या योजना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस योजना के अनुसार १९४७ में लगभग २२,००० प्राइमरी स्कूलों की आवश्यकता थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इनमें से प्रायः १७,८५० खुलने की आशा है। जून १९५६ तक १२,८५० प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं और मार्च १९६१ तक ५,००० और खोलने का विचार है।

*५८--श्री रामेश्वरलाल--क्या नियोजन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया खास में भी कोई एन० ई० एस० ब्लाक खोलने की उनकी योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--देवरिया खास में एन०ई०एस ब्लाक, सन् १९६०-६१ में, खुलने की योजना है।

*५९-६०--श्री राजाराम शर्मा--[स्थगित किये गये।]

राज्य में लोहे का अपर्याप्त कोटा

*६१--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में लोहे के कितने डीलर्स हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इनकी संख्या २७० है।

*६२--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार को मालूम है कि इस समय लोहे का प्रदेश में अभाव है जिसके कारण लोहे की कीमत बढ़ गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार को ज्ञात है कि लोहे की कुछ किस्मों की कमी है किन्तु यह सही नहीं है कि उनकी कीमतें बढ़ गई हैं।

*६३--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि लोहे के इस अभाव को दूर करने और बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिये वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त---लोहे का वितरण केन्द्रीय सरकार द्वारा होता है। कमी अधिक अलाटमेन्ट और प्राप्ति द्वारा दूर हो सकती है। इसके लिये केन्द्रीय सरकार से राज्य का कोटा बढ़ाने के लिये अनुरोध किया गया है।

*६४-६५---श्री रामसुन्दर पांडेय---[स्थगित किये गये।]

जिला बोर्ड बांदा द्वारा सेनेटरी इन्सपेक्टरों के लिये मांगे गये अनुदान की अस्वीकृति

*६६---श्री जगपति सिंह---क्या सरकार बतायेगी कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण जिला बोर्ड बांदा ने सेनेटरी इंस्पेक्टरों पर होने वाले व्यय के लिये आर्थिक अनुदान की याचना की थी और सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---बोर्ड ने आर्थिक अनुदान संचालक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग से मांगा था जो कि संचालक महोदय ने अस्वीकार कर दिया है।

*६७---श्री जगपतिसिंह---यदि उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या ऐसे भी जिला बोर्ड हैं जिनको ऐसी ग्रान्टें दी जाती हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---निम्नलिखित जिला बोर्ड को आर्थिक सहायता दी जाती है :---

(१) देहरादून, (२) अलीगढ़, (३) मैनपुरी, (४) जालौन, (५) एटा, (६) अल्मोड़ा, (७) कानपुर, (८) गढ़वाल।

डिबाई, जिला बुलन्दशहर में चीनी मिल खुलने की संभावना

*६८---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि डिबाई, जिला बुलन्दशहर में वह कोई चीनी मिल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---डिबाई, जिला बुलन्दशहर में कोई सरकारी चीनी मिल खोलने पर विचार नहीं हो रहा है अलबत्ता एक Private industrialist से इस सम्बन्ध में बातचीत हो रही है।

प्रतापगढ़ में हैजे से मृत्युयें

*६९---श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला प्रतापगढ़ के सदर मुकाम प्रतापगढ़ शहर में हैजे के प्रकोप से अगस्त सन् १९५६ ई० में कितनी जानें गयीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रतापगढ़ जिला के सदर मुकाम प्रतापगढ़ शहर में हैजे के प्रकोप से अगस्त सन् १९५६ ई० में कुल ४ जानें गयी हैं।

*७०-७१---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---[स्थगित किये गये।]

सोरों व लहरा गंगा घाट के बीच रहने वाले कोढ़ियों व भिखारियों के रहन-सहन की व्यवस्था के लिये प्रार्थना-पत्र

*७२---श्री तिरमलसिंह (जिला एटा)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सोरों में व लहरा गंगा घाट के बीच में जो भिखारी व कोढ़ी काफी संख्या में पड़े हुए हैं, जिनके कारण जनता में छुआछूत की बीमारी फैलने का भय रहता है उनके शिफाखाना

खोलने व भरण-पोषण व बसाने के विषय में कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आया है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या प्रबन्ध किया ? यदि नहीं, तो इस विषय में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, वह पत्र अभी सरकार के विचाराधीन है। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

उन्नाव जिले में चर्खा केन्द्र खोलने की प्रार्थना

*७३—**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन्नाव जिले में कितने सरकारी चर्खा केन्द्र कहां-कहां हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उन्नाव जिले में इस समय कोई सरकारी चर्खा केन्द्र नहीं चल रहा है।

*७४—**श्री देवदत्त मिश्र**—क्या सरकार सुमेरपुर राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड के अन्तर्गत जगतपुर, भगवन्तनगर और सुमेरपुर तथा बीघापुर शेडों ब्लाक के अन्तर्गत घाटमपुर, बारा, बीघापुर और मगरायर गांवों में सरकारी चर्खा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर विचार कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, इस विषय में सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

देवरिया जिले में चर्खा केन्द्रों पर काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन

*७५—**श्री रामेश्वरलाल**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया जिले में कुल कितने कर्मचारी चर्खा केन्द्रों पर ट्रेनर का काम करते हैं और उन्हें क्या वेतन दिया जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—देवरिया जिले में २८ स्पिनिंग गाइड तथा ९० स्थानीय कार्यकर्ता चर्खा केन्द्रों पर ट्रेनर का काम करते हैं। उनका वेतन निम्नलिखित है :—

पद	वेतन	भत्ता
स्पिनिंग गाइड	३५ रुपया मासिक	२० रुपया मासिक महंगाई भत्ता तथा ५ रुपया मासिक मार्ग-व्यय।
स्थानीय कार्यकर्ता	३५ रुपया मासिक	

मथुरा जिले में खुलने वाले कुटीर उद्योगों के केन्द्र

*७६—**श्री रामहेतसिंह** (जिला मथुरा)—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का विकास कहां-कहां, किस-किस जिले में किया जायेगा। क्या इस योजना के अन्तर्गत मथुरा जिले की तहसील छाता भी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का विकास करने के हेतु पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों की विकास योजना प्रारम्भ की गई है। वर्तमान में सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत २६ विकास क्षेत्रों में से १८ क्षेत्रों को जारी रखा जा रहा है। भविष्य में किस किस जिले में कहां कहां पर केन्द्र स्थापित किये जायेंगे इसका निश्चय नहीं किया गया है। उक्त योजना के अन्तर्गत सन् १९५८-५९ में मथुरा जिले में ५ केन्द्र खोले जाने का आयोजन है। यह केन्द्र जिले में किन स्थानों में खोले जायेंगे इसका निर्णय जिला नियोजन समिति द्वारा किया जायगा।

विदेशी औद्योगिक परामर्शदाताओं पर कथित व्यय

*९७--श्री रामहेतसिंह--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक परामर्शदाताओं के रूप में कार्य करने वाले विदेशी विशेषज्ञों पर सरकार कितना व्यय कर रही है तथा इस वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में यह धनराशि कितनी होगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस समय कोई विदेशी विशेषज्ञ औद्योगिक परामर्शदाता के रूप में कार्य नहीं कर रहा है। अतः उन पर व्यय होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ग्रामीण कारीगरों को इंजीनियरिंग तथा शिल्प-कला सिखाने के लिये व्यवस्था

*९८--श्री रामहेतसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देहातों में काम आने वाली वस्तुओं (विशेष कर कृषि से संबंधित) को दस्तकारी के रूप में सिखाने के लिये शिक्षण केन्द्र देहाती क्षेत्रों में खोलने की तथा सिखाने की कोई योजना सरकार के विचारार्थ न है? यदि हां, तो क्या?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--ग्रामीण कारीगरों को इंजीनियरिंग तथा अन्य सम्बन्धित उद्योगों की शिक्षा प्रदान करने के हेतु राज्य में पाइलट शिल्पशाला योजना चलाई गई है। जिसका उद्देश्य ग्रामीण कारीगरों को उनके गांव के निकट ही विभिन्न कृषि यंत्रों तथा घरेलू प्रयोग की वस्तुओं के मरम्मत तथा उत्पादन में सहायता उपलब्ध करना है। इस योजना के अन्तर्गत बकेवर, जिला इटावा तथा कुरवार, जिला सुल्तानपुर में पाइलट शिल्पशालायें खोली गयी हैं जिनमें क्रम से टर्निंग, फिटिंग, बढ़ईगीरी, लुहारगीरी, आयल इंजिन चलाना तथा बढ़ईगीरी, मोल्डिंग, लोहारगीरी, फिटर, आयल इंजिन चलाना विषयों में शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस योजना का विस्तार करने का आयोजन है।

---

२१ अक्तूबर, १९५६ के तारांकित प्रश्न ७-९ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन†

पुलिस उप-मन्त्री (श्री जगनप्रसाद रावत)--अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की २५ अक्तूबर, १९५६ की बैठक में श्री श्रीकृष्ण दत्तपालीवाल ने अपने प्रश्न संख्या ७-९ के संबंध में निम्नलिखित अनुपूरक प्रश्न किया था:--

"उत्तर में कहा गया है कि मंदिर और पुलिस चौकी की दूरी १५० कदम है तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन शख्सों ने गोली चलाई उनमें से किसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया या पुलिस चौकी में उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई और वह क्या की गई?

इसका उत्तर निम्न प्रकार दिया गया था:--

"मैंने ऐसा कहा कि गोली दोनों तरफ से चलाई गयी।"

किन्तु सही उत्तर निम्न प्रकार है:--

'घटना स्थान पर अभियुक्त नहीं पकड़े जा सके। वे बाद में पकड़े गये तथा उन पर मुकदमा चलाया गया।"

---

†२१ अक्तूबर, १९५६ की कार्यवाही में तदनुसार शोधन कर दिया गया।

८ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न ३६–३८ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

सिंचाई उप-मन्त्री (श्री राममूर्ति)––अध्यक्ष महोदय, श्री राजाराम शर्मा द्वारा दिनांक ७ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३६–३८ से संबंधित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि "१३६१ फसली की मालगुजारी सब की माफ कर दी गई और जो टेस्ट वर्क में ८५६ रुपये खर्च हुआ" इत्यादि। वास्तव में उत्तर के उक्त अंश को इस प्रकार होना चाहिये:––

"खरीफ १३६३ फसली की पूरी मालगुजारी ग्राम थांथर, बांडागोर तथा थरौली के लिये माफ कर दी गई थी और ८५,००० रुपये टेस्ट वर्क में खर्च हुआ"।

मंत्रिगण द्वारा प्रश्न के उत्तर में शोधन करने की व्यवस्था

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)––अध्यक्ष महोदय, देखने में आया है कि मंत्रिगण संशोधन बहुत अधिक देते हैं और उस समय जब सवाल पूछा जाता है कोई उत्तर नहीं देते हैं। जब संशोधन करते हैं तो प्रश्न करने का अभिप्राय नहीं रह जाता है, इसलिये उसकी कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष––यह व्यवस्था इसीलिये की गई है कि बाद में दुरुस्ती कर ली जाय तो अच्छा है। उसके बाद चूंकि इस प्रकार के आक्षेप होते हैं तो जब उत्तर दें आइन्दा तो बहुत सोच-समझ कर दें और यदि मालूम नहीं हो तो अध्यक्ष से कह दें कि मुझे सूचना की आवश्यकता है। यह उचित होगा क्योंकि बार-बार उत्तर दुरुस्त किये जायेंगे तो लोग थोड़ा-सा हंसेंगे और कहेंगे कि पहले क्यों गैरजिम्मेदारी से उत्तर दिया था। ऐसी बात लोग कह सकते हैं। इसीलिए यह तरीका रखा गया कि प्रत्यक्ष सबके सामने दुरुस्ती की जाय और ऐसा नहीं हो कि खाली मेरे पास ही लिखकर भेज दें। इसलिये मैं चाहता हूं कि सदन में हो और लोग उसे जान लें और अगर कोई प्रश्न हो तो बाद में मुझे भेज दें। बाद में दुरुस्ती से सदन में थोड़ी सी शर्म मालूम होती ही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––कुछ टाइम लिमिट भी होनी चाहिये कि इस समय के अन्दर वह दुरुस्त कर लें। अब २ या ३ महीने बाद ख्याल हुआ कि गलती हो गई है।

श्री अध्यक्ष––जब तक कार्यवाही छपती नहीं तो ज्यादातर छपने के पहले ही दुरुस्ती कर देते हैं और यदि बाद में हुई तो वह दुरुस्ती उस दिन की कार्यवाही में ही छप सकेगी। इस तरह से कार्य होता है।

प्रदेश के पूर्वी जिलों में बीज के अभाव से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना–(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष––रामसुन्दर पांडेय जी ने कामरोको प्रस्ताव जो कल दिया था उसके बारे में कृषि मंत्री ने कहा था कि वह उस विषय में जानकारी देंगे। मैं प्रस्ताव पढ़कर सुनाये देता हूं क्योंकि लोगों को शायद याद नहीं रहा हो। "आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया आदि बाढ़-पीड़ित पूर्वी जिलों के बीज भंडारों में किसानों के आवश्यकतानुसार रबी का बीज न मिलने, बाजारों में महंगा बीज बिकने तथा सरकार द्वारा बीज के लिये केवल १०,१०व २०,२० रुपये

[श्री अध्यक्ष]

प्रत्येक परिवार को, उसके खेतों का ख्याल न करके तकावी देने के कारण, लाखों एकड़ खेत बीज के अभाव में परती पड़ने जा रहे हैं, जिससे भविष्य में भी विकट अकाल की संभावना स्पष्ट दिखाई देती है। विधान सभा के प्रश्नों व भाषणों, माननीय सदस्यों तथा जनता के पत्रों द्वारा बार-बार स्मरण दिलाने पर भी सरकार का ध्यान न जाने के कारण विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। अतएव विकट परिस्थिति पर विचार करने के हेतु सदन आज का अपना कार्य स्थगित करता है।"

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)---अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत ही अनिश्चित-सा है। जैसा कि उसकी इबारत से प्रत्यक्ष रूप से जाहिर होता है। उन्होंने कहा है कि लाखों एकड़ खेत बीज के अभाव से परती पड़ने जा रहे हैं जिससे भविष्य में भी विकट अकाल की संभावना स्पष्ट दिखाई दे रही है। यह तो बुवाई का सीजन खत्म होने के बाद ही पता चलेगा कि परती पड़ी हैं या नहीं। रूल यह कहता है कि रिसेंट आकरेंस की बात होनी चाहिये। अभी इसमें आकरेंस हुआ ही नहीं है। आकरेंस भी अभी हुई नहीं क्योंकि परती पड़ी नहीं लेकिन पड़ने की संभावना है। इसलिये परती पड़े या न पड़े इस डर से, ऐसा प्रस्ताव उपस्थित कर दिया जाय, यह रूल के कतई खिलाफ है।

इसके अतिरिक्त एक बात और कह देना चाहता हूं। यह बात भी सर्वथा असत्य है कि सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं गया। मैं श्रीमान् जी की इजाजत से बता देना चाहता हूं इस बारे में कि तकावी कम दी गयी कि गाजीपुर में १२,८८,००० रुपया तकावी दी गयी, देवरिया में १०,१५,००० रु० और आजमगढ़ में ९ लाख की तकावी दी गई है। इस तरह से काफी तादाद में तकावी दी गयी है। दूसरी बात यह है कि प्रस्ताव का मूल यह निकलता है कि जितने बोने वाले काश्तकार हैं उन सबको उनकी आवश्यकता के अनुसार बीज दिया जाय और वह सरकार द्वारा दिया जाय। अभी तक सरकार का यह दस्तूर रहा है वह अच्छा बीज देती है और इस आशय से कि वह मल्टीप्लाई करके खुद काम चला लिया करें। अपने सूबे में ३ करोड़ २० लाख मन के करीब बीज की आवश्यकता होती है और हम देते हैं अभी करीब ८ परसेंट और बाकी बीज किसान खुद लाता है। सरकार की ओर से, जिनको आवश्यकता होती है तकावी भी दी जाती है। अब रहा रेट का सवाल तो वह डिमांड और सप्लाई की बात है। अभी तो रेट का कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसलिये यह ग्राउन्ड्स ऐसे नहीं हैं जिनके आधार पर ऐसा कोई प्रस्ताव लाया जा सके। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि यह बिलकुल अनिश्चित-सा है और एक आगे होने वाली बात के आधार पर ही लाया गया है। इसके अतिरिक्त यहां पर सैलाब के संबंध में तकावी और बीज पर भी बहस हो चुकी है और उनके मुताल्लिक सब बातों पर बहस हो चुकी है। उन पर इस प्रस्ताव के जरिये से फिर बहस करना और डिसकस करना न्याय विरुद्ध है। इसलिये मैं इन ग्राउन्ड्स पर इस प्रस्ताव को अपोज करता हूं।

श्री अध्यक्ष---(श्री गेंदा सिंह से) अब आप दो बातों के बारे में कहें। एक तो यह कि इसमें निश्चित विषय कौन-सा है, जिसके ऊपर बहस होनी चाहिये। दूसरे यह कि यह विषय रीसेंट आकरेंस का किस प्रकार से है यानी अभी कौन से नये वाकयात हुए हैं। तीसरे जो उन्होंने वस्तुस्थिति के बारे में आक्षेप किये हैं उस संबंध में भी यदि आपका कोई बयान हो तो कहें।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं कि जो तीन जिलों का नाम बिलकुल निश्चित तौर पर माननीय रामसुन्दर जी ने दिया है वह इसलिये दिया कि जिससे कामरोको प्रस्ताव निश्चित कहा जा सके और इसलिये यह निश्चित है।

दूसरे माननीय कृषि मंत्री जी का यह कहना है कि खेत पड़ती पड़ जायं उसके बाद रीसेंट आकरेंस माना जायगा लेकिन हमारा यह मत है कि हम इस सदन में इसलिये बैठे हैं कि जब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई विपत्ति आने वाली हो तो उससे पहले ही सदन को उससे अवगत करा दें कि ऐसी विपत्ति आने वाली है। इसके बारे में कुछ समाचार-पत्रों के कटिंग्स भी आपकी सेवा में भेजे हैं और माननीय सदस्य जो उस क्षेत्र से आते हैं उन्होंने भी उन सब बातों को स्वयं जाकर जानने का प्रयत्न किया है और खुद जानकारी हासिल की है कि किसानों के पास रबी के लिये बीज नहीं है जिसकी वजह से खेत पड़ती रह सकते हैं। इन सारी बातों को देखने के बाद हम अपनी बुद्धि से यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि लाखों एकड़ भूमि पड़ती पड़ने जा रही है। उस साधारण बुद्धि से काम ले कर हम समझते हैं कि यह आसन्न है अकाल है, इसलिये आज हम इस सदन का इतना क़ीमती समय ले कर इस प्रश्न पर विचार करने के लिये आग्रह कर रहे हैं। मैं केवल इतनी बात कह दूं कि एक करोड़ ८ लाख मन की बात जो कृषि मंत्री जी ने कही और कहा कि हम केवल ८ प्रतिशत बीज दे पाते हैं। इसके अलावा लोग अपने घरों से ही खर्च करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह बात कह दूं कि पिछले वर्ष जिन बीजों का ज़िक्र रबी और ख़रीफ फसलों के लिये रामसुभग जी ने किया था कि कितने घरों में बीज बचा हुआ है। किसान लोग कर्ज लेकर अपनी जमीन को बो सके। यहां पर इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि यह बिलकुल निश्चित है, अर्जेंट भी है और इसमें कोई वेगनस नहीं है। इसलिये अगर इस ओर हम सरकार का ध्यान नहीं दिलायेंगे तो हम दोषी ठहराये जायेंगे और इस सदन के काम में कोताही करने वाले कहे जा सकते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में दो तीन आक्षेप कृषि मंत्री जी ने किये हैं वैधानिकता के सम्बन्ध में और वाकयात के सम्बन्ध में भी। वैधानिकता के सम्बन्ध में पहला आक्षेप उनका यह है कि यह निश्चित विषय नहीं है। जहां तक निश्चित है या नहीं है उसके बारे में दो तीन जिलों का नाम उन्होंने दिया है कि इन जिलों के बीज भंडारों में किसानों को आवश्यकतानुसार रबी का बीज न मिलने, बाजारों में मंहगा बीज बिकने तथा सरकार द्वारा बीज के लिये केवल दस-दस, बीस-बीस रुपये प्रत्येक परिवार को, उसके खेतों का ख्याल न करके तकावी देने के कारण लाखों एकड़ खेत बीज के अभाव में पड़ती पड़ने जा रहे हैं। इस तरह से प्रत्येक परिवार की यहां निश्चित रकम बतलायी गई है। अपनी जानकारी का स्पष्टीकरण देते हुए माननीय कृषि मंत्री जी ने यह नहीं बतलाया कि यह बात सत्य है। यह कथन सत्य या असत्य है उससे इस समय मुझे कोई सम्बन्ध नहीं है। इस विषय में जब सदन की अनुमति लेने का प्रश्न होगा तो सदन द्वारा विचार कर लिया जायगा। प्रश्न यह है कि यह विषय निश्चित है या नहीं। उन्होंने कहा कि निश्चित नहीं है लेकिन मुझे तो निश्चित मालूम होता है। दूसरे विषय रिसेंट आकरेंस का है। इस सम्बन्ध में बाढ़ के सम्बन्ध में बहस हो चुकी है, यह माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा। पहले जो बहस हो चुकी है वह इन बातों पर थी कि जो बाढ़ आयी थी वह किस तरह से आयी और उस सम्बन्ध में सरकार क्या-क्या काम करने जा रही है। जहां तक मुझे याद पड़ता है सरकार ने इस बहस के दौरान में यह आश्वासन दिया था कि जो नुक्सान हुआ है उसके कारण जो लोगों को तकलीफ है उस तकलीफ को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया जायगा।

बीज देने का जहां तक प्रश्न है यह काफी महत्व रखता है इसलिये माननीय कृषि मंत्री का यह कहना है कि हम सिर्फ ८ प्रतिशत दे सकते हैं और चूंकि पूरा बीज नहीं दे सकते हैं लिहाजा इस पर आधारित जो यह कामरोको प्रस्ताव है वह बेबुनियाद कल्पना पर आधारित-सा मालूम होता है लेकिन वह बे बुनियाद नहीं है। यहां सदन में उस बहस में घोषणा हुई थी वह ८ परसेंट से ज्यादा देने की थी क्योंकि यहां पर बाढ़ सम्बन्धी क्षेत्रों में बीज देने का प्रश्न है। हर साल का जो रवैया ८ प्रतिशत देने का है उससे सम्बन्धित प्रश्न नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक बीज देने की व्यवस्था करने का प्रश्न है। बीज देने के लिये जो आश्वासन दिया गया था वह इससे कहीं अधिक का था यदि वह नहीं दिया गया तो मैं समझता हूं कि जमीन पड़ी रह सकती है। ८ प्रतिशत के भरोसे पर मंत्री जी द्वारा उत्तर दिया गया इससे प्रस्ताव के वाकयात कम से कम सत्य मालूम होते हैं। यह स्पष्ट है कि अधिक नहीं दिया गया यानी जितने की आवश्यकता है उससे कहीं कम दिया गया है। तो यह रिसेंट आकरेंस

[श्री अध्यक्ष]

का प्रश्न अवश्य है और वह वस्तु नहीं दी गयी है जो कि अवश्य दी जानी जाहिये थी। ऐसी आशंका मंत्री जी के उत्तर से ही पैदा होती है। अब निश्चय क्या हो यह तो बहस से मालूम होगा लेकिन इस कारण से यह प्रस्ताव नामंजूर नहीं हो सकता कि रीसेन्ट आकरेन्स वाली बात यह नहीं है क्योंकि बोआई का समय है और इस विचार से कि अगर ८ प्रतिशत ही बीज दिया गया बाढ़ क्षेत्रों में तो लाखों एकड़ जमीन पर्ती रह जायगी यह उसका परिणाम होगा। इसलिये जो रीसेन्ट आकरेन्स की बात कही गई यह रिसेंट आकरेन्स की बात अवश्य है क्योंकि अभी बीज की बोआई का समय है तो इसमें आक्षेपात्मक कोई बात नहीं दिखलाई पड़ती। ऐसी अवस्था में मैं इसको वैध करार देता हूं और माननीय गेंदासिंह जी से कहूंगा कि वह सदन से अनुमति के लिये प्रार्थना करें।

*श्री गेंदासिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि जो बातें आपने अभी कुछ देर पहले सदन के सामने कहीं उससे अच्छी तरह से तो मैं अब नहीं कह सकता हूं लेकिन यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसका सम्बन्ध उन लाखों गरीब किसानों से और खेतिहर मजदूरों से है जो उस इलाके में रहते हैं, उनको अगर रबी का बीज नहीं मिल सका तो उसका कुपरिणाम यह होने वाला है कि उनकी खरीफ की फसल तो बर्बाद हो ही चुकी, अब रबी की भी आशा खत्म हो जायगी। अब तक तो हमें १ करोड़ के करीब ही टेस्टवर्क्स सहायता और पशुओं के चारे के प्रबन्ध के लिये चाहिये। वह बन्दोबस्त जो इस समय एक सीमित बन्दोबस्त है उसको हम ने इस समय न किया तो मैं समझता हूं कि रबी के खराब या न होने पर जो भार स्टेट के ऊपर पड़ेगा वह काबिल बर्दाश्त न रह जायगा और वह करोड़ों रुपये का भार हो सकता है और एक ऐसी बर्बादी की आशंका है जो किसी के बस की न रह जायगी। इससे अधिक और कोई बात नहीं की जा सकती। अगर सरकार साधारणतौर पर ८ प्रतिशत बीज दे रही है तो इस वक्त तो सरकार को वहां के लिये कम से कम ८ प्रतिशत की बात न कहना चाहिये और १०० प्रतिशत नहीं तो कम से कम ९० या ८० प्रतिशत का बन्दोबस्त जो कुछ भी हो सकता है वह सरकार को करना चाहिये और जैसा कि सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया था और जिसको आपने भी याद रखा है और सरकार ने जब इसके बन्दोबस्त करने का वादा किया था और जब कि फ्लड रिलीफ बोर्ड और हर तरह की कोशिश की जा रही है और करोड़ों का बन्दोबस्त हो रहा है तो सब से पहले बीज का बन्दोबस्त क्यों नहीं किया जाता और क्यों नहीं खेतों को पड़ती पड़ने से बचाया जाता है। और आने वाली मुसीबत को किसी तरह से हम बचा सकें, तो अच्छा है। इसलिए इन बातों को कहते हुए मैं आशा करता हूं और चाहता हूं कि आपकी ही बातों पर विशेष ध्यान देते हुए आज इस कामरोको प्रस्ताव को आने की अनुमति देगा और किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करेगा।

श्री हुकुमसिंह--मुझे आक्षेप है।

श्री अध्यक्ष--आपको आपत्ति है ?

श्री हुकुमसिंह--जी हां।

श्री अध्यक्ष--जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों कि इसकी अनुमति दी जाय, वह कृपा करके अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(१७ सदस्य खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष--केवल १७ माननीय सदस्य अनुमति देने के पक्ष में हैं और जो निश्चित संख्या ३६ की चाहिए उस से वह बहुत कम है, इसलिए सदन को अनुमति इस के लिए नहीं है।

अब बाकी कामरोको प्रस्ताव जो हैं वह बाद में लिये जायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा सोचता था कि शायद अब तो इस असेम्बली की अवधि समाप्त होने जा रही है और इन पिछले ५ सालों में कभी एक कामरोको प्रस्ताव की भी अनुमति नहीं मिली। मेरा आप से कहना है कि आपको अधिकार है और आप नियम को भी सस्पेंड कर सकते हैं और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप कम से कम एक बार तो सरकार की अनुमति के विरुद्ध नियम सस्पेंड करके ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जैसा कि आपने उसे समझा है, हमें विचार करने का अवसर दे दें।

श्री अध्यक्ष---नियम तो है, लेकिन सदन की राय की आवश्यकता तो होती है। मैं अगर नियम सस्पेंड भी कर दूं तो सस्पेंशन के बाद भी नतीजा यह होगा कि सदन की राय बहुमत से निश्चित होगी। अभी तो कामरोको प्रस्ताव में केवल ३६ सदस्यों के समर्थन की ही आवश्यकता थी, लेकिन उसमें आधे से ज्यादा वोट मिलें तब आप कामयाब हो सकते हैं। वह तो आपके खिलाफ जायगा नियम सस्पेंड करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि अब तो बारहवां हिस्सा सदस्यों का अनुमति देता है, तो पूरे सदन की अनुमति मान ली जाती है और फिर जो संविधान में दिया हुआ है कि सब प्रस्ताव केवल उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निश्चित होंगे। इसलिए सस्पेंशन आपके हित में नहीं है, वर्ना एक दो दफा आवश्यकता होती तो मैं उन्हें सस्पेंड कर भी देता।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---आप से तो रिक्वेस्ट यह थी कि यह क्लाज ही सस्पेंड कर दिया जाय। पहले भी एक बार प्रश्न उठ चुका है। जब वह क्लाज ही सस्पेंड हो जायगा तब तो यह बहस के लिए आ जायगा। यह सही है कि सरकार अपनी ओर से बहस करे और हम अपनी ओर से बहस करें। जो शर्तें लगी हुई हैं उस शर्त वाले क्लाज को ही सस्पेंड कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---मोशन लाना पड़ता है कि इसके ऊपर बहस की जाय। फिर उसके ऊपर विरोध हुआ तो मुझे सदन की राय लेनी पड़ेगी, यह बात है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---शायद गवर्नमेंट मान जाय।

श्री अध्यक्ष---नहीं, गवर्नमेंट तब भी नहीं मानेगी।

श्री राजनारायण और श्री जगन्नाथमल्ल द्वारा विशेषाधिकार के प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास श्री राजनारायण जी और श्री जगन्नाथमल्ल जी ने विशेषाधिकार प्रश्न उपस्थित करने के लिए सूचना दी है। मैंने अभी उनके ऊपर पूरे तरीके से विचार नहीं किया है। दूसरे मुझे यह भी जानकारी हासिल करनी होगी कि जिनके विरुद्ध वे ये प्रश्न उठाना चाहते हैं, उनको नियमों के अनुसार उन्होंने सूचना भी दे दी है या नहीं। इसके लिए कोई समय की बाधा नहीं होगी। इस विषय पर मैं इसकी जांच करा लूंगा कि यह प्रश्न उठता है या नहीं। दूसरे जिनसे यह सम्बन्धित हैं, उनको नोटिस दिया या नहीं फिर इनको बाद में लिया जायगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, हमारे दो विशेषाधिकार के प्रश्न हैं। एक तो श्री हरगोविन्दसिंह जी और दूसरा ठाकुर हुकुम सिंह के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष---दोनों के लिए ही मैं कह रहा हूं।

सदन के स्थगन के सम्बन्ध में सूचना

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---यह हाउस कब तक के लिए स्थगित होगा?

श्री अध्यक्ष---माननीय मन्त्री जी इसे बतलायेंगे।

श्री हुकुमसिंह—जो बिल इस वक्त सदन में उपस्थित है उसके खत्म होने के बाद असेम्बली साइन डाई एडजर्न होगी।

श्री अध्यक्ष—आप निश्चय नहीं कर सके ?

श्री हुकुमसिंह—जी नहीं।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)—सरकार की तरफ से यह वायदा किया गया कि सरकार इस बात की सूचना देगी कि असेम्बली फिर कब बैठेगी। अगर माननीय मन्त्री जी को मालूम न हो तो फिर मालूम करके इत्तिला दे दें।

श्री अध्यक्ष—उनका निश्चय हो चुका है कि वह कोई निश्चित दिन निश्चय नहीं कर सके हैं।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—मुझे मालूम करना है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज बिल जो सदन के सामने है, वह भी लिया जायगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—आज नहीं लिया जायगा। आज सदन उठ जायगा और जब सदन फिर बैठेगा तो लिया जायगा।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—अगर आज यह बिल खत्म नहीं हुआ तो क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—यह तो पहले निश्चय हो चुका है कि आज ही यह विधेयक खत्म हो जायगा।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५६

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५६, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ७ मई, १९५६ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २१ मई, १९५६ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २४ मई, १९५६ को प्राप्त हो गयी और वह १९५६ का उत्तर प्रदेश का १५वां अधिनियम बन गया।

यू० पी० पंचायतराज नियमों में किये गये संशोधन*

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—मैं यू० पी० पंचायतराज नियमों के अध्याय १, २ और ३ से १२ तक के पंचायतराज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५४२६/३३—२९६-५६, दिनांक २२ अगस्त, १९५६ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। जो नियमावली अभी मेज पर रखी गयी, पंचायतराज ऐक्ट के अधीन, २२ अगस्त को यह प्रकाशित हुई और अमेंडिंग ऐक्ट बहुत पहले पास हो चुका है। तो इतने दिनों जो यह सदन बैठा उसमें क्यों यह नियम नहीं लाये गये। २२ अगस्त को प्रकाशित हो गये तो उसके बाद इतनी देर क्यों हुई ?

---

*छापे नहीं गये।

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, यह विज्ञप्ति २२ अगस्त को गजट में छपी। उसके बाद सदन में वितरित करने के लिए छपवायी गयी। उसमें कुछ देरी हुई। केवल इतनी ही देरी हुई।

श्री अध्यक्ष—छापने में देरी, आप कह रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां।

*उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक, १९५६

†खंड ४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६ पर विचार जारी होगा।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। जैसा कि सदन ने तय किया है केवल साढ़े तीन घंटे समय रह गया है और संशोधन बहुत हैं। तो अगर बोलने वालों के लिए समय निश्चित कर दिया जाय तो हम पूरे बिल पर विचार कर सकेंगे। महत्वपूर्ण विषय तो अभी बाकी ही रह गये हैं।

श्री अध्यक्ष—इस तरीके से आप समझते हैं कि पूरे संशोधनों पर विचार हो जायगा या खंडों के ऊपर आप समय का निश्चय चाहते हैं ?

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—जो संशोधन आये हुए हैं उन पर मैं चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—तो आप क्या सुझाव दे रहे हैं।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—मेरा सुझाव यह है कि जो संशोधन पेश करें उनके लिए सात मिनट और जो समर्थन करें उनके लिए पांच मिनट।

श्री अध्यक्ष—तो इसमें सबकी अनुमति है ?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

**श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, अन्ततोगत्वा तो आपकी ही शरण में जाना पड़ता है और फिर मैं उसी के लिए निवेदन कर रहा हूं। मैं अपनी स्पष्ट सम्मति बता देना चाहता हूं। तो जबान बन्द करके विधेयक पेश करने की सरकार की प्रवृत्ति है, इसका खुल कर विरोध हो जाना चाहिए। और मैं आपकी आज्ञा चाहूंगा कि सरकार की इस गतिविधि पर अंकुश लगाने की कोई आप व्यवस्था करें। सारे मजदूरों से सम्बन्धित यह विधेयक है। माननीय अवस्थी जी और दूसरे सदस्य जानते हैं कि इतना महत्वपूर्ण विधेयक है और इतने संशोधन उसके लिए आये हुए हैं और दो दिन का समय दिया गया तो हम कैसे अपने अधिकारों की सुरक्षा कर पायेंगे। माननीय अवस्थी जी तो दो मिनट में अपनी बात कह सकते हैं या माननीय अवस्थी जी कह दें कि इस पर विचार होना चाहिए, उस पर विचार हो और दूसरे पर न हो। श्रीमन्, तमाम आंकड़े इकट्ठे करके, तमाम लेबर लीडर्स से सम्मति और सुझाव लेकर, लेबर डिपार्टमेंट्स से तमाम फैक्ट्स लेकर रखे हैं, उस पर अगर श्रीमन्, इस तरह से जबानबन्दी का अंकुश लगेगा तो ऐसी हलात में हमारे लिए सदन में बैठना असम्भव हो जायगा और वाकआउट करना जरूरी हो जायगा।

---

*२२ अक्तूबर, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

†३० अक्तूबर, १९५६ की कार्यवाही से।

**वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---उनके सुझाव का मतलब यह है कि हरएक खंड के ऊपर---आप कृपा करके बैठ जायं, मैं बोल रहा हूं---थोड़ा सा वाद-विवाद हो जाना चाहिए। वह यह चाहते हैं। अगर एक ही खंड के ऊपर तीन चार घंटे बहस होती जाय तो बाकी खंडों के ऊपर आपको मौका स्वयं नहीं मिलेगा। आपको पांच मिनट के लिए एतराज है लेकिन उस दशा में एक मिनट भी नहीं मिलेगा बाकी खंडों पर।

श्री राजनारायण---श्रीमन्,.....

श्री अध्यक्ष---पहले सुन लीजिये। अगर आप किसी बाद के खंड पर बोलना चाहते हैं तो आपको समय ही नहीं मिलेगा। यह हो सकता है। पांच और सात मिनट आमतौर पर रहे और अगर कोई विशेष महत्वपूर्ण विषय आ जाय तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा अधिक मौका दे सकता हूं। इतना अगर हो जाय तो बहुत से खंड भी आ जायंगे और अगर महत्व-पूर्ण विषय पर बोलना कुछ सदस्य चाहते हैं तो कुछ अधिक समय भी उन्हें दे सकता हूं। इस तरह से काम चल सकता है।

श्री राजनारायण---हमारा जो अन्तिम निवेदन था वह कृपा करके सुन लें।

श्री अध्यक्ष---उसके लिए लाचारी है।

श्री राजनारायण---लाचारी है ?

श्री अध्यक्ष---क्योंकि उसमें सदन का निश्चय हो गया है।

श्री राजनारायण---सदन अपने निश्चय को उलट सकता है।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, इसके लिए मैं इजाजत नहीं देता।

*श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, कल श्री जगन्नाथमल्ल द्वारा उपस्थित संशोधन के विरोध में मैं अपनी दलीलें दे रहा था और मेरा इतना कहना था कि यदि उनका संशोधन मान भी लिया जाय तो लेबर के कानकरेंट सबजेक्ट होने की वजह से सेन्ट्रल ऐक्ट प्रिवेल करेगा और सेन्ट्रल ऐक्ट में जो ऐनोलागस प्रासीजन मौजूद है तो उसकी वजह से उनका संशोधन और उसकी मंशा बेकार हो जायगी।

इसके सिवा जहां तक उन आशंकाओं का प्रश्न है जो उन्होंने आपके द्वारा उपस्थित कीं, मैं उनका ध्यान इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ऐक्ट की उस धारा की ओर ले जाना चाहता हूं जिसके अनुसार पहले यह व्यवस्था थी कि जब कभी कोई ट्रिब्यूनल फैसला देती थी तो उस फैसले के इम्प्लीमेंटेशन के सिलसिले में अगर अपील हो गई तो यह प्रावीजन था कि अपीलेट ट्राइब्यूनल, यदि इंडस्ट्री पर सीरियल रिपरकशन पड़ने वाला हो, उससे कोई इंडस्ट्री पर गम्भीर परिस्थिति आने वाली हो, उन फैसलों को रोक देती थी। तो सीरियस रिपरकशन और गम्भीर परिस्थिति इन दोनों पर कई फैसले अदालतों से हो चुके हैं कि उनके क्या माने होंगे। और इस क्लाज में भी बिल्कुल वही शब्द हैं कि जब कभी नौकरी की शर्तों को रोकने के सम्बन्ध में, बदलने के सम्बन्ध में, जो आवश्यकता २१ रोज के नोटिस की इस कानून द्वारा निश्चित की गई है, उसे बदलना हो तो.....

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---तो इस स्थिति में सरकार को यदि यह दिखाई पड़ेगा कि मिल के ऊपर ऐसा कुप्रभाव पड़ने वाला है जिसका असर उद्योग पर पड़े और यही नहीं उसके साथ ही साथ सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक हो तो वह जो सार्वजनिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हित की बात है वह ओवर राइडिंग कन्सीडरेशन इसमें रखा गया है और मैं समझता हूं वह चाहे श्रमिकों के संगठनों से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति हो, चाहे उद्योग के साथ ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति हो, यह तो सबकी राय होगी कि श्रमिक या उद्योगपति कोई भी ऐसा हक हासिल करने के लिये समाज को बाध्य नहीं करेंगे जिसका पूरा असर सामाजिक ढांचे पर, दृष्टिकोण पर पड़ने वाला है। तो सरकार जब कभी इस तरह का आदेश करेगी तो सरकार को इतनी शर्तों को पूरी तौर से समझ लेना पड़ेगा कि वह कन्डीशन्स ऐग्जिस्ट करती हैं, जिसमें एग्जेमप्शन देने की बात आती है। इसलिये जो भय उनका है वह सर्वथा निर्मूल तो ही है लेकिन जो उन्होंने अपना संशोधन रख कर भय को दूर करने की चेष्टा की थी वह भी बेकार हो जाता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया सेन्ट्रल ऐक्ट में इस तरह का प्रावीजन मौजूद है। यदि यह संशोधन मन्जूर भी कर लिया गया, तो वही हम पर लागू होगा। मैं आशा करता हूं कि वह अपने उस भय को इस धारा को पढ़ने से दूर कर सकेंगे और जो मैंने उनके सामने प्रश्न उपस्थित किये हैं उनको विचार कर अपना संशोधन वापस लेंगे।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं माननीय जगन्नाथ मल्ल जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरे मित्र बहुगुणा जी ने एक यह दिक्कत बतायी कि अगर हम इस धारा को नहीं हटा देते या इस धारा को हटा देते हैं तो जो केन्द्र के ऐक्ट की धारा है वह हमारे ऊपर लागू हो जायगी। कानकरेंट लेजिस्लेशन के कामप्लीकेशन्स को समझना जरा दुष्कर कार्य होता है। वैसे सिद्धान्त तो उन्होंने बनाया है अब इस सम्बन्ध में सेन्ट्रल ऐक्ट भी है और प्रान्तीय ऐक्ट भी है। बहुगुणा जी कहते हैं एक ही धारा की उपधारा अगर हमारे ऐक्ट में न हो और केन्द्र के ऐक्ट में हो तो उस उपधारा के हेतु केन्द्र का ऐक्ट हमारे ऊपर लागू हो जायगा। तो इस दिक्कत को बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता है। हम यह लिख दें कि जो खंड ४ है वह नये प्रकार से हम ला रहे हैं और इसमें लिखा है कि मूल अधिनियम की धारा ४ हटा दी जाय। अगर माननीय बहुगुना जी उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मूल अधिनियम की धारा ४ हटा रहे हैं और नयी धारा ४ रखी जा रही है और उसके छः सात उपखंड (ञ) तक रखे जा रहे हैं। तो जहां सारी धारा हटाकर हमने अपना नया ऐक्ट बना लिया है वहां सेन्ट्रल ऐक्ट लागू नहीं होता। नहीं तो फिर उसका अर्थ क्या होगा? आपका प्रान्तीय ऐक्ट बनाना ही बेकार होगा। अगर ऐसा हो कि जहां कहीं सेन्ट्रल ऐक्ट और प्राविंशियल ऐक्ट में मतभेद हो, वहां सेन्ट्रल ऐक्ट प्रिवेल करेगा तो फिर प्राविंशियल ऐक्ट की जरूरत ही क्या रह जाती है। इसलिए माननीय बहुगुणा जी का यह कहना कि अगर हम हटा देंगे तो केन्द्र की धारा लागू हो जायगी, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर उनका कहना मान लिया जाय तो फिर यह ऐक्ट बनाना ही बेकार है। जो केन्द्र का ऐक्ट है वही हम पर भी लागू हो जायगा। चूंकि हम कुछ भिन्न धारायें रखना चाहते हैं, कुछ भिन्न परिस्थितियों में कम करना चाहते हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि इस धारा का हटाया जाना आवश्यक है।

दूसरा कारण यह भी है कि इस धारा के जरिये सरकार को यह अधिकार मिल जाता है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जहां पर पब्लिक सेक्टर में कोई इन्डस्ट्री है, उनके मजदूरों के लिए, सरकार इस धारा का उपयोग कर सकती है। और वहां इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट या उसकी इस धारा ४(घ) को लागू नहीं कर सकती है। अब आप यू० पी० सरकार की हालत देखिये। यू० पी० सरकार ने कहीं भी इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट को लागू नहीं किया है जब कि एम्प्लायर्स की परिभाषा में राज्य सरकार शामिल है। उसका ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट रोडवेज के लिए आता है, उसका एलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बिजली मजदूरों के लिए आता है, लेकिन राज्य सरकार ने आज तक इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट को कहीं पर भी ठीक प्रकार से लागू नहीं किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

है। तो इस उपधारा ४—ञ का प्रयोग करके वह अपनी इन्डस्ट्री के लिए एक्जेम्पशन ले सकती है। जहां मजदूर को नोटिस देने की जरूरत है वहां नोटिस देने से अपने को एक्जेम्ट कर सकती है। तो यह मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का अधिकार सरकार को देना उचित नहीं है।

अब माननीय बहुगुणा जी कहते हैं कि मजदूरों के वर्ग के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो राज्य सरकार को शक्ति नहीं रह जायगी। लेकिन अगर राज्य सरकार शक्ति का प्रयोग करना चाहे तो उसको दूसरी धाराओं में भी ऐसे अधिकार हैं और इसी अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार की धाराएं हैं जिनके अनुसार सरकार को अधिकार प्राप्त है कि सरकार इन्टरवीन कर सकती है और मिल मालिक मजदूरों के विरुद्ध कोई कार्य करना चाहें तो उनको रोक सकती है। वह अगर कोई स्टैन्डिंग आर्डर्स में परिवर्तन करना चाहें, तो राज्य सरकार उनको रोक सकती है। इसलिए मैं समझता हूं कि धारा ४-ञ जरूर हटा दी जानी चाहिए। इससे राज्य सरकार अपने लिए एक अवांछनीय अधिकार ले रही है और इससे मिल मालिकों के हित का ही वर्द्धन होता है मजदूरों का किसी प्रकार का हित नहीं होता।

*श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)—जनाब वाला, मैं यह समझता हूं कि ज्यादा तादाद हाउस के मेम्बरान की इस गलतफहमी में मुबतिला है कि अगर सेन्ट्रल ऐक्ट और प्राविंशियल ऐक्ट में कोई रिपगनेंसी हो तो सेन्ट्रल ऐक्ट प्रिवेल करेगा। जब कि लायक मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने यह बतलाया कि हमको दिक्कत यह है कि सेन्ट्रल ऐक्ट की दफात ऐसी हैं कि उनके होते हुए हमारे लिए जरूरी है कि प्राविंशियल ऐक्ट को लागू करें और उसी तरीके पर, उसी किस्म की दफात रखें, जो उनसे टक्कर न लें। मैं समझता हूं कि इस गलतफहमी को रफा हो जाना चाहिए, पेश्तर इसके कि यह बिल यहां से खत्म हो, क्योंकि बहुत सी बातें इस गलतफहमी को लेकर हो सकती हैं। यह सवाल फुल बेंच के सामने आया था और वह केस है बस्ती शूगर वर्क्स लिमिटेड वर्सेज दी स्टेट। उसमें यह सवाल पैदा हुआ था कि अगर रिपगनेंसी है सेन्ट्रल ऐक्ट के किसी प्राविजन में और प्राविंशियल ऐक्ट के किसी प्राविजन में तो कौन सा प्राविजन प्रिवेल करेगा? वह फुल बेंच का फैसला है और उसमें कहा गया है कि रिपगनेंसी की हालत में प्राविंशियल ऐक्ट प्रिवेल करेगा न कि सेन्ट्रल ऐक्ट। जब दोनों को अख्तियार है, कानकरेंट लिस्ट पर है, और लेबर लेजिस्लेशन कानकरेंट लिस्ट पर है तो कोई माने नहीं रहते इस हाउस के सामने किसी बिल को लाने के। तो पूरी फुल बेंच की इस पर रूलिंग मौजूद है और अगर हम इस गलतफहमी को रफा कर देंगे तो ज्यादा बेहतर है।

रहा यह सवाल कि यह पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी जानी चाहिए या नहीं? इसमें मैं कुछ ज्यादा बहस में नहीं जाना चाहता। मगर हां, यह जरूर है कि . . .

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—रिपगनेंसी का सवाल नहीं है। जहां हमारा ऐक्ट साइलेंट हो वहां सेन्ट्रल ऐक्ट लागू हो सकता है?

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—जी हां, ऐक्ट अगर साइलेंट हो और रिपगनेंसी न हो वहां सेन्ट्रल ऐक्ट लागू होगा, लेकिन अगर रिपगनेंसी है तो प्राविंशियल ऐक्ट ही रहेगा। इस ऐक्ट में कोई ऐसी चीज नहीं है जो सेन्ट्रल ऐक्ट के खिलाफ हो। मैं तो यह कहता हूं कि आप अपनी स्टेट के हालात को देखते हुए, यहां की लेबर कन्डीशन्स को देखते हुए, वर्कर्स के बेनिफिट में ऐसे प्राविजन्स रख सकते हैं, जो सेन्ट्रल ऐक्ट के खिलाफ भी हों तो कोई मुजायका नहीं है। मैं यह कहना चाह रहा था कि हमारे ऊपर कोई पाबन्दी नहीं है, हमारे हाथ पैर कोई बंधे नहीं हैं सेन्ट्रल ऐक्ट से, लिहाजा इस गलतफहमी को रफा कर देंगे।

दूसरी चीज मैं यह अर्ज करूंगा कि मुझे इसमें मुतलक कोई शको शुबहा नहीं है कि मौजूदा मन्त्री के होते हुए किसी किस्म की नाइन्साफी लेबर के साथ होगी, लेकिन किसी ऐक्ट को यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समझकर नहीं पास किया जाता कि कौन सी गवर्नमेंट है जो फंक्शन करेगी या कौन सा मिनिस्टर है जो उसकी मुताबकत में काम करेगा। हमें तो यह सोच कर चलना चाहिए कि बदतरीन हालात में भी, खुदा न करे कोई दूसरी हुकूमत इस किस्म की आ जाय .....

श्री अध्यक्ष---आप समझ रहे हैं कि ये लोग आ जायेंगे तो गड़बड़ी करेंगे ?

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा---ये आ जायेंगे या मैं खुद आ जाऊंगा, यह सवाल नहीं। सवाल यह है कि हम में से बदतरीन अंसर क्यों न आ जायं, लेकिन उसको अख्तियार नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ किसी किस्म की ज्यादती कर सके। मेरी नजर में तो एक उसूल है और बहुत बड़ा उसूल है कि अगर बदतरीन आदमी भी आकर बैठे तो वह पावर का अब्यूज न कर सके। मैं तो यह अर्ज करूंगा कि हर इन्सान में, हर गवर्नमेंट में, कमजोरियां होती हैं। किसी वक्त कैपिटलिस्ट की ज्यादा सुनी जाती है, किसी वक्त लेबर की ज्यादा सुनी जाती है। अतः यदि ये पावर्स अब्यूज होनी शुरू हो गयीं, तो जितने भी इंस्टीट्यूशन्स कम्पनीज या कार्पोरेशन्स होंगे, उनको अगर हम बराबर मुस्तसना करते चले गये तो यह ऐक्ट मजाक होकर रह जायगा---कम से कम यह सेक्शन जो आपके सामने आ रहा है।

इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि अगर मिनिस्टर इस पर दोबारा गौर करेंगे और उस गलत-फहमी को रफा कर दें कि प्रांविंशियल ऐक्ट के मुकाबिले में सेन्ट्रल ऐक्ट की पाबन्दी हो, तो ज्यादा अच्छा है।

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न उठाया गया है कि कहां तक इसके निकाल देने से सेन्ट्रल ऐक्ट लागू हो ही जायगा, यदि हमने यह संशोधन स्वीकार कर लिया, तो इसकी बहस में जाने की खास जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं पोजीशन यह है कि अगर हमारे ऐक्ट में कोई धारा साइलेंट हो, जो सेन्ट्रल ऐक्ट में हो, तो सम्भव है कि उस ऐक्ट की धाराएं हमारे यहां लागू हो सकेंगी। अगर इसको हम निकाल देते हैं तो अभी हमको प्रेसिडेंट की स्वीकृति लेनी है। वह अगर नहीं मिलेगी तो हमारा सारा संशोधन विधेयक रद हो जायगा, एक तो यह खतरा है। लेकिन मैं उस चीज पर नहीं जा रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि इस धारा का मंशा इतना ही है कि यहां तो एक समिति को ही अधिकार है कि अपनी कन्डीशन्स आफ सर्विस अगर किसी तरह से चेंज होती है तो उसमें किसी के खिलाफ अपील कर सकते हैं और कोर्ट में जा सकते हैं। क्योंकि इतना अधिकार गवर्नमेंट को रहना चाहिए कि कोई ऐसी परिस्थिति हो जाय कि हम कन्डीशन्स आफ सर्विस को चेंज कर दें, ऐसी जरूरत महसूस हो .....

श्री जगन्नाथमल्ल---जरा एक्जाम्पिल दें कि कौन सी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जायगी।

आचार्य जुगलकिशोर---वार हो सकती है। वार कन्डीशन्स में प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाने के लिए कुछ कन्डीशन्स चेंज करने की जरूरत हो, देश में स्केयरसिटी पैदा हो सकती है। ऐसी हालत अगर नहीं होगी तो गवर्नमेंट ऐसा करने क्यों जायगी ? गवर्नमेंट की मन्शा यह तो नहीं है कि श्रमिकों को दिये अधिकारों को छीन ले। एक परिस्थिति हो सकती है जिसमें गवर्नमेंट को यदि अधिकार नहीं होगा तो मुमकिन है उसका काम करना मुश्किल हो जाय, इस खयाल से यह रखा गया है और मैं समझता हूं कि साधारणतया वह अधिकार इस्तेमाल नहीं किया जायगा और अगर इस्तेमाल किया भी जायगा तो उसका गजट में प्रकाशन होगा और हाउस अगर बैठा हो तो सवाल के जरिये से, या एडजर्नमेंट मोशन के जरिये से या किसी और तरीके से वह भवन के सामने मामला विचार के लिए आ सकता है। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि इसके निकालने को कोई खास जरूरत है और इसके रहते हुए न कोई आक्षेप है। केवल ऐसे अधिकार गवर्नमेंट के हाथ में रहने की जरूरत है जिससे परिस्थिति आने पर वह उनको इस्तेमाल कर सके। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)---श्रीमन्, इस पर बहुत सा वाद-विवाद किया गया है कि अगर इसको हटा देते हैं तो सेन्ट्रल ऐक्ट प्रिवेल करेगा। यह एक व्यर्थ की बात है, माननीय मन्त्री जी ने जो मिसाल दी वह तो मेरी समझ में कतई नहीं आयी। आप कहते हैं कि लड़ाई हो जायगी तो शायद काम में दिक्कत हो। अगर्चे मजदूरों की सर्विस कन्डीशन्स को चेंज करना है, तो मिल मालिक नोटिस देगा। लड़ाई होने पर २१ दिन के नोटिस की आवश्यकता रह जायगी, फिर ऐसी कौन सी बात हो जायगी या कोई तोपखाना चला आयेगा। मैं नहीं समझता हूं कि यह अधिकार गवर्नमेंट के पास क्यों रहना चाहिए। इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। जहां तक सेन्ट्रल ऐक्ट के प्रिवेल करने का सवाल है तो इसकी मिसाल मौजूद है। सेक्शन ३३-ए के मुताबिक जो प्राविंशियल नोटिफिकेशन में नहीं था। वह एपिलेट ट्रिब्युनल में गया तो उसने रिपयूज कर दिया। डयुरिंग रिपगसेंनी अगर कोई मजदूर निकाल दिया जाता है तो वह मजदूर जिस कोर्ट में कि मुकदमा दाखिल है, वह सीधा चला जा सकता है। यह चीज समझ में नहीं आती और इसके रखने की आवश्यकता नहीं है सिवाय इसके कि मजदूरों को जो एक प्रिविलेज मिलने जा रहा है, वह छीना जा रहा है। इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, काफी वाद-विवाद हो चुका है और मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

*श्री नारायणदत्त तिवारी---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विधान की धारा २५४ को बतलाना चाहता हूं कि अगर कोई ला सेन्ट्रल ऐक्ट से रिपगनेंट हो और उस पर प्रेसिडेंट की अनुमति मिल जाय तो हमारा ला प्रिवेल करेगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ (ङ) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा ४-ट की पंक्ति २ के शब्द "तो वह किसी भी समय" निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "या जिसकी रिपोर्ट समझौता अधिकारी या औद्योगिक झगड़े से संबंधित मजदूरों से मिलें तो उसके एक मास की अवधि के अन्दर" रख दिये जायें।

अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक मास की जगह दो मास रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप दो मास रखना चाहते हैं?

श्री ब्रजभूषण मिश्र---जी हां, अनुभव बताता है कि मजदूरों के झगड़े निपटाने में अनावश्यक देरी हुआ करती है। जो लेबर समीक्षा १९५५ हमारे सामने है उसके अनुसार देखा गया है कि पहले जो कार्य बीस बाइस रोज में समाप्त किये जाते थे अब उनमें दो दो, तीन तीन महीने लग जाते हैं। मैं प्रमाण के लिये मिर्जापुर का एक मामला बताता हूं। नम्बर २०८, सन् १९५६ जो इलाहाबाद क्षेत्र में पड़ा उसमें करीब तीन महीने लग गये। समीक्षा के पृष्ठ १९६ को देखने से पता चल जायगा कि सन् १९५३ में ५४१६ मुकदमें निपटाये गये, ५४ में ३,५६१ और ५५ में ३,१७१ जब कि ५३ में २० कंसीलियेशन आफिसर्स थे, ५५ में वह २३ थे। तो इन कंसीलियेशन आफिसरों ने उस हिसाब को ही गलत कर दिया कि ४ आदमी एक काम को ८ दिन में करते हैं तो ८ आदमी उसी काम को ४ दिन में करेंगे। बल्कि उन्होंने तो यह किया ४ आदमी एक काम को ८ दिन में करते हैं तो ८ आदमी उसी काम को १६ दिन में करेंगे। कंसीलियेशन आफिसर्स की तादाद तो बढ़ी लेकिन डिस्पोजल उनका घट गया। मैं एक उदाहरण डिस्पोजल के सिलसिले में और बताता हूं। मिर्जापुर बिजली कम्पनी का मामला तीन साल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तक लटका रहा और उसके बाद ऐडजुडीकेशन में भेजा गया। इसके फलस्वरूप मजदूरवर्ग बहुत तकलीफ पाता है, उसको इंसाफ जल्दी नहीं मिलता है और साधारण कहावत है कि "जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड" विलम्बित न्याय अन्याय बन जाता है। मजदूर अपनी हकरसी नहीं कर पाता। मालिक तो पैसे वाला है, उसके तो हक में है कि मामला लिंगर करे। लेकिन मजदूर गरीब है, भूखा है, निर्धन है उसको ही नुक्सान होता है। इसलिये अगर मामला लटका रहे तो उसका नुक्सान ही होगा। मेरे संशोधन का अभिप्राय यही है कि इसमें एक बंधन लगाया जाय कि दो महीने के अन्दर ही वह ऐडजुडीकेटर के पास भेज दिया जाय। मैं समझता हूं कि जब तक इस प्रकार की पाबन्दी नहीं डाली जायगी और जैसा चल रहा है वैसा ही अनावश्यक विलम्ब होता रहेगा तो मजदूरों का नुकसान रहेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह संशोधन स्वीकृत हो जाय और मजदूरों को जो फायदा पहुंच सकता है, पहुंच जाय।

श्री जगन्नाथमल्ल---मैं इस संशोधन का समर्थन करते हुए यह संशोधन रखना चाहता हूं। मैं आप के पास लिख कर भेज दूंगा। मैं चाहता हूं कि २ महीने के स्थान पर १५ दिन....

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---प्वाइंट आफ़ आर्डर। कल मैंने भी ऐसा संशोधन रखा था तो डिप्टी स्पीकर साहब ने डिसएलाउड कर दिया कि १ घंटे पहले लिख कर नहीं दिया। इसलिये यह भी डिसएलाउ होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---इसमें कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि पहले एक महीना था जिसे २ महीने कर दिया, तो उसमें वह संशोधन कर ही सकते हैं। नियम यह है कि अध्यक्ष यदि आज्ञा दे दें तो संशोधन आ सकता है। इजाजत मैंने दे दी है।

श्री जगन्नाथमल्ल---श्रीमन्, उनके संशोधन का कोई मतलब नहीं था, इसलिये डिसअलाउ हुआ। मैं चाहता हूं कि १५ दिन रखा जाय क्योंकि ज्यादा रोकने की आवश्यकता नहीं है। अगर्चे कन्सीलियेशन आफ़िसर कोई समझौता नहीं करा पाता है और सरकार के पास भेजता है तो १५ दिन जांच के लिये काफ़ी हैं। जांच एक दिन में हो सकती है। जितना ज्यादा वह वहां रुकता है उतनी ज्यादा गड़बड़ी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि इस तरह से मुक़द्दमा जल्द होगा। कहीं पड़ताल होने का सवाल हो सकता है। तो सरकार २ महीने में रेफ़र करे, यह समझ में आने वाली चीज नहीं है। मैं आशा करता हूं कि मिश्र जी १५ दिन क़बूल कर लेंगे। शुगर फ़ैक्ट्री में सीजन खत्म होने के बाद झगड़ा ही खत्म हो जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि वह खाली मिर्जापुर फ़ैक्ट्री की ही बात न सोचें, सारे प्रान्त की फ़ैक्ट्रियों की बात सोचें।

आचार्य जुगलकिशोर---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का मतलब यह मालूम पड़ता है कि इससे सरकार को बाध्य कर दें कि वह १५ दिन में या २ महीने में या १ महीने में ही प्रश्न को कोर्ट के सामने भेज दे। सरकार यह पावर ले रही है कि जिसमें रेफ़रैन्स की आवश्यकता हो जल्दी से जल्दी भेज दे और सरकार जल्दी से जल्दी भेजने की कोशिश करेगी। सरकार को अधिकार है कि कौन सा मामला रेफर करे या न करे, इस पर विचार करने में समय लग सकता है। सरकार भेजने में कोई देर नहीं करेगी। यह संशोधन स्वीकार करना सरकार के लिये सम्भव नहीं है। हमारे विभाग की कोशिश रहती है कि जल्दी फ़ैसला करले कि फलां मामला रेफर करना है या नहीं। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री व्रजभूषण मिश्र---अध्यक्ष महोदय, मामलों में अनुभव करके देखा गया और आम शिकायत है कि अनुचित विलम्ब होता है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन के उपरान्त ऐसी व्यवस्था अवश्य करेंगे कि मामले में देरी न हो। मैं ऐसे आश्वासन पर अपना संशोधन वापस लेता हूं।

आचार्य जुगलकिशोर—आश्वासन की बात तो यह है, जैसा कि मैंने पहले ही भी कहा कि गवर्नमेंट की तो कोशिश यही रहती है कि झगड़ा जितनी जल्दी निपटा दिया जाय उतना ही अच्छा है, इसलिये गवर्नमेंट को और अधिक आश्वासन की आवश्यकता मालूम नहीं देती है क्योंकि गवर्नमेंट की सर्वदा कोशिश ही रहती है। यदि वे आश्वासन चाहते ही हैं तो यह आश्वासन दे सकता हूं कि जितनी जल्दी हो सकेगा गवर्नमेंट उनको भेज देगी।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

*श्री जगन्नाथमल्ल—श्रीमन्, मैं १९ और २० दोनों संशोधन एक ही साथ मूव कर देता हूं।

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा ४-ट की पंक्ति ७ में शब्द "सौंप सकती है" के स्थान पर शब्द "अवश्य सौंपेगी" रख दिये जांय।

श्रीमन्, आप की आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा ४(ट) के प्रतिबंध की पंक्ति ३ में शब्द "यदि वह उचित समझे" निकाल दिये जांय तथा पंक्ति ४ के शब्द "अभिदिष्ट कर सकती है" के स्थान पर शब्द "अभिदिष्ट करेगी" रख दिये जायं।

श्रीमन्, यह जो मेरा संशोधन है वह इतना इंपोर्टेंट संशोधन है कि अगर माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लें तो मैं समझता हूं कि इससे जितना भी मजदूरवर्ग है और जितने भी मजदूरों में काम करने वाले लोग हैं वह सभी इस सदन और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देंगे। इसमें मेरा संशोधन यह है कि जो मामले सरकार के सामने आयें यानी कंसीलियेशन में मामले जायं और समझौता न हो तो अभी लेबर डिपार्टमेंट कुछ मामलों को तो एजजूडीकेशन में भेज देता है और ज्यादातर मामलों को रद्दी की टोकरी में फेंक देता है। लेकिन मेरा मतलब यह है कि जितने भी मुकदमें आयें, गवर्नमेंट के लिये यह लाजिमी हो जाय कि वह उनको एडजूडीकेशन में भेज दे। यह कोई मानी नहीं रखता है कि मजदूरों के मुकदमे जायें और अगर समझौता न हो तो उस को न्याय न दे कर सरकार उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दे। भारतीय संविधान के अनुसार हरएक इंसान न्याय पाने का अधिकारी है और सरकार को इस तरह की पावर्स दिया जाना संविधान के विरुद्ध है कि कोई आदमी अपने मुकदमे का फैसला करवाना चाहता है लेकिन गवर्नमेंट अपनी पावर से उसको रोक देती है, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देती है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस किस्म की पावर्स नहीं लेनी चाहिये। जनरल डिसकशन के समय माननीय तिवारी जी ने बतलाया था १९५५ में ३८७३ मुकदमें आये, समझौते के लिये, उनमें से १००८ का समझौता हो गया बाक़ी जो बचे उनमें से महज ७९८ मुकदमे एडजूडीकेशन में भेज दिये गये और बाक़ी सब रद्दी की टोकरी में डाल दिये गये। मैं समझता हूं कि इस तरह का जो एक सबको न्याय पाने का हक़ है वह हक़ सरकार को कतई अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये।

दूसरे माननीय मंत्री जी को यह ग़लतफ़हमी हो गयी कि मैंने यह कह दिया कि आई० एन० टी० यू० सी० के मुकदमे ज्यादा चले गये और हमारे कम गये। मेरे पास तो इसकी फिगर्स ही नहीं हैं और अगर इस बारे में सरकार भी फिगर्स इकट्ठा करना चाहेगी तो उसको भी मुश्किल पड़ेगी क्योंकि नाम से यह पता ही नहीं चलता कि वह मुकदमा आई० एन० टी० यू० सी० का भेजा हुआ है या किसी दूसरे यूनियन का। नामों से पता नहीं चलेगा। इसके आंकड़े इकट्ठा करना कोई मामूली बात नहीं है। आंकड़े इकट्ठा करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है काफ़ी कागज़ देखने पड़ते हैं और उसमें काफ़ी समय लगता है। मैं तो इसको कह नहीं सकता क्योंकि जब सरकार के पास ही आंकड़े नहीं हैं तो मेरे पास कहां से हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि दूसरी पार्टी के लोगों को यह शुबहा रहता है कि उनका मुकदमा एडजूडिकेशन में नहीं भेजा जाता। तो सरकार इस तरह का अधिकार अपने हाथ में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकर अपने ऊपर शुबहा क्यों रखवा रही है, मैं नहीं समझता। पहले जिस तरह से होता था वैसा ही कीजिये। श्रीमन्, यू० पी० में पहले इस तरह की चीज थी कि अगर वह कांसिलिएशन नहीं हो सका तो वह मुकदमा एडजुडिकेशन अपने आप हो जायगा। दायर नहीं किया जाता। मेरे संशोधन का मतलब यह है कि मुकदमा कोई मजदूर या कोई ट्रेड यूनियन दाखिल करती है तो वह रद्दी की टोकरी में न जाय, बल्कि वह किसी आदमी के पास जाय और वह उसके ऊपर अपना फैसला दे दे। इसीलिये मैं चाहता हूं और जहां तक मुकदमें का सवाल है, अगर माननीय मंत्री जी जानना चाहें तो मैं ऐसे केसेज बता सकता हूं क्योंकि मैंने खुद ऐसे केस कराये हैं कि वही केस जो कि रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया फिर वही आदमी उस केस को लेकर आई० एन० टी० यू० सी० में आया और वह एडजुडिकेशन में आ गया। इस वक्त भी हमारे पास ऐसे केस मौजूद हैं कि आई० एन० टी० यू० सी० ने भी भेजा और हमारी यूनियन ने भी रेफर किया लेकिन हमारा नहीं हुआ। तो यह चीज है, इसलिये मैं कहता हूं कि सारा अधिकार सरकार से हटा लिया जाय।

मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस अख्तियार को अपने हाथ में न ले ताकि फिर शिकायतों का मौका मिले। दूसरी चीज यह है कि अगर्चे माननीय मंत्री जी दरअसल इस बिल को एक ऐसा बिल बनाना चाहते हैं जिसका कि लेबर हृदय से स्वागत करे तो मेरे इस अमेंडमेंट को जरूर मंजूर कर लेना चाहिये। मैं समझता हूं कि जितनी भी मजदूर कार्यकर्ता यहां हैं या जितने मजदूरों में काम करने वाले हैं चाहे वे किसी भी दल के हों, वे इस चीज को महसूस करते हैं और वे चाहेंगे और हमारे इस अमेंडमेंट का समर्थन करेंगे। क्योंकि इस अमेंडमेंट को मान लेने से इस बिल की शक्ल काफी अच्छी हो जाती है। दो चार और अमेंडमेंट्स हैं, मैं समझता हूं कि इनको मान लेने से बिल की बहुत अच्छी शक्ल हो जायगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे मेरे इस संशोधन को स्वीकार करें।

*श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--माननीय अध्यक्ष महोदय, जब श्री जगन्नाथमल्ल जी ने संशोधन उपस्थित किया तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ कहना नहीं पड़ेगा। मुझे खेद है कि कहते कहते उनको कुछ नयी चीजों की याद आयी। इस बात में कोई संदेह नहीं कि हम सब लोग इस बात को मानते हैं कि मजदूर जो मुकदमा दायर करते हैं उनका फैसला होना चाहिये। अब प्रश्न यह है कि फैसला किस माने में वे मानते हैं? हमारे यहां पर मुकदमा दायर होता है, इसको न श्री जगन्नाथ मल्ल जी ही इंकार करेंगे और न मैं ही इंकार करता हूं। मुकदमा दायर होता है कांसिलिएशन बोर्ड में। उस कांसिलिएशन बोर्ड में मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधि और एक सरकारी आफिसर बैठ कर बातें सुनते हैं और सुनने के बाद विचार करते हैं कि हमारा मुकदमा कुछ बना या नहीं बना। इस तरह से तीनों बहस करके अपनी रिपोर्ट ज्वाइन्ट सेक्रेटरी यू० पी० लेबरडिपार्टमेंट के पास भेजते हैं। हम लोग भी उससे असंतुष्ट रहते हैं कि हमारा मुकदमा बहुत अच्छा था लेकिन उसको प्राइमाफेसी नहीं बनाया जिससे वह नहीं आया। यह अलग अलग बुद्धि की बात है, अपनी बुद्धि के अनुसार उसे प्राइमाफेसी नहीं बनाते। वे चाहते हैं कि जैसा हमारा पुराना ऐक्ट था जिसके अनुसार हम सीधे जाकर मुकदमा दायर करते थे वैसा ही इस बिल के अन्दर भी प्राविजन कर दिया जाय। लेकिन हमारे यहां जो पुराना ऐक्ट था वह बदल गया। उसका कारण यह था कि भारत सरकार ने संसद द्वारा एक नया ऐक्ट उस वक्त अपने यहां बनाया था और लागू किया था सब जगह और चूंकि संसद के ऐक्ट के विरुद्ध हमारा वह ऐक्ट था जिसको कि हम पहले बनाये हुये थे तो इसीलिये उन्होंने उस ऐक्ट को मानने से इंकार किया और सहमति नहीं दी और इसी कारण से उस वक्त कांनसिलियेशन बोर्ड का ढांचा बदला गया था।

अब संशोधन के द्वारा जो उनकी मांग है उसको मानने से मुझे कोई इंकार नहीं है। मैं तो उनको सपोर्ट करता लेकिन मेरा कहना यह है कि वह किस तरह के केसेज को वहां भेजना चाहते हैं, इसमें अगर कोई चलनी न लगाई गई कोई छानबीन नहीं की गई और शफाखाना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

केवल उन मरीजों से भर गया जिनको केवल छींक आई है और जो टी० बी० के मरीज हैं वह बाहर ही रह गये तो उसका क्या नतीजा होगा, अगर इस तरह के मामूली केसेज ने ही मजदूर अदालतों को घेर लिया तो मजदूरों के जो महत्वपूर्ण मामले होंगे वे बाहर रह जायेंगे। इसलिये इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिये कि फ्रिवुलस मुकदमे अदालतों में न भेजे जायं। हां, मैं इतनी अपील माननीय मंत्री जी से अवश्य करना चाहता हूं कि उस अधिकार का उचित उपयोग होना चाहिये और अगर वह न हुआ तो अधिकार उनके हाथ में बेकार है।

यह भी कहा गया कि आई० एन० टी० यू० सी० के जो मुकदमे जाते हैं वे तो मंजूर हो जाते हैं और जो श्री जगन्नाथ जी मल्ल या उनकी यूनियनों द्वारा ले जाये गये मामले मंजूर नहीं होते और उन्हीं को या बाद में जब आई० एन० टी० यू० सी० वाले ले जाते हैं तो वह मंजूर हो जाते हैं। मैं उनके इस लांछन का उत्तर उन्हीं के शब्दों से देना चाहता हूं उन्होंने खुद अपने भाषण में आगे कहा है कि सरकार को तो पता ही नहीं होता कि कौन मुकदमा किसका है, तो फिर यह बात कैसे हो सकती है कि यह देखकर मंजूरी की जाती है कि किसका मुकदमा है कौन उसको लेकर आया है।

दूसरी बात यह अवश्य है कि उन लोगों ने मुकदमे लड़े, किसी-किसी पार्टीज ने कभी-कभी मुकदमे लड़े और लड़ने में वह हार गये और उसके बाद हम उसी की अपील ऊपर ले गये और जीत कर आये। मैं तो समझता हूं कि श्रम, न्याय और हाईकोर्ट जजेज पर उनका पूरा विश्वास है। उदाहरण के लिये कितने ही मुकदमे हैं कि जो दूसरे दलों ने लड़े लेकिन वे हार गये लेकिन उन्हीं में हमने अपील की और हमने वह जीते, उसमें कुछ अक्ल और बुद्धि का भी सौदा होता है, उसकी जानकारी का सौदा है। अदालत के सामने मामला जाता है तो वहां भी जानकारी और अक्ल का सौदा होता है और वही सवाल उस रिव्यू करने वाली अथारिटी के सामने भी होता है, हो सकता है कि पहले कोई बात रह गई हो और पेश न की गई हो और उसी वजह से मामला पहले रिजेक्ट हो गया हो और बाद में उस बात के आने से वह मंजूर हो गया हो। तो यह बात नहीं है जैसा कि उन्होंने आई० एन० टी० यू० सी० के बारे में कहा और मैं अदब के साथ माननीय जगन्नाथ मल्ल जी से कहना चाहता हूं कि अकेले इलाहाबाद ने जब १०० मुकदमे पेश किये हैं तो उसमें ४५ मुकदमे हर सौ पीछे नामंजूर हो गये, इससे सिद्ध होता है कि कोई मेहरबानी नहीं की गई हमारे साथ, हां यह जरूर है कि जो मुकदमे हमने रखे उनमें हमने उनकी पूरी जानकारी कराई और हर बात रखी। मैं आशा करता हूं कि सरकार भी इस मामले में सतर्क रहेगी और इस संशोधन को प्रेस करने का प्रश्न नहीं उठता, इसलिये मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन का विरोध करता हूं।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री शिवनारायण—माननीय जगन्नाथमल्ल जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें यह है "जब राज्य सरकार की राय में कोई औद्योगिक झगड़ा विद्यमान हो अथवा उसकी आशंका हो तो वह किसी समय लिखित आज्ञा देकर उस झगड़े को, अथवा उससे सम्बद्ध अथवा संगत प्रतीत होने वाले किसी भी विषय को निर्णय के लिये यदि औद्योगिक झगड़े का वह विषय उन विषयों में से एक हो तो प्रथम अनुसूची में उल्लिखित है तो किसी श्रम न्यायालय को और यदि वह विषय प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हो तो उसे किसी न्यायाधिकरण को सौंप सकती है।" "सौंप सकती है" इसका कोई अर्थ नहीं है। तबियत में हो तो सौंपे और तबियत में न हो तो न सौंपे। जब सौंपेगी तो कम्पलशन कर देगी गवर्नमेंट। इसमें तो बाउन्ड होना था तब मैं समझता हूं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें भय होगा और अन्याय नहीं होगा और मजदूरों के साथ ठीक ढंग से फैसले होंगे। मैं तो कहना चाहता हूं कि जो लोग बैठे हैं मजदूरों की हमदर्दी में उनको नाप-तौल कर बात कहना चाहिये और मुंह देखा व्यवहार न करना चाहिये। हाथी के दो दांत की तरह नहीं होना चाहिये एक खाने के लिये और एक दिखाने के लिये। मैं इसलिये मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि हमको ऐसा कानून बनाना चाहिये ताकि कल को रिट न दाखिल हो सके हमारे ऊपर। हम कानून परिपक्व बनायें वर्ना बाहर बड़ी छीछालेदर होती है।

मैं निहायत विनम्र शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि जो कानून बने वह ठीक से बने और सही मानी में बनें जिससे मजदूरों का हित हो और मिलमालिकों के हम कोई विरोधी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आज हमारे देश में सबको खाने, कपड़े और रहने को मिले। हमारी कांग्रेस ने यह डिसाइड किया है कि हमारी सोसाइटी सोशलिस्टक पैटर्न पर चलेगी। न कोई ऊंचा होगा और न कोई नीचा होगा। ऐसी चीज हमको रखना चाहिये जिससे देश के गरीबों का भला हो। आज हमारे देश में ८० परसेंट लोग गरीब हैं। पंडित नेहरू ने जौनपुर में कहा था, वहां के गरीबों की दशा को देखकर कहा था कि मुझे दुख होता है इस गरीबी को देख कर। हम लोग झोंपड़ियों से आने वाले जानते हैं कि मजदूरों के साथ क्या-क्या बेइंसाफियां होती हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो ऐक्ट बने वह मजदूरों के हक में हो, चाहे बड़ों को कुछ तकलीफ ही क्यों न हो। हम उनके विरोधी नहीं हैं। सबूत में मैं कह सकता हूं कि किसी को हमने फांसी पर नहीं चढ़ाया। जमींदारी एबोलीशन किया तो किसी को गोली नहीं मार दी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो जगन्नाथ मल्ल जी का संशोधन है उसे सरकार को मान लेना चाहिये। क्योंकि वह उचित है, इसलिए मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने पेश किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रांत के मजदूरों से उसका बहुत संबंध है, लेकिन मुझे अफसोस है कि जिस स्थान पर वह आना चाहिये था उस स्थान पर नहीं आया। इसकी धारा को पढ़ते हुए माननीय शिवनारायण जी ने कहा है कि मजदूर नेता बहुत ठंडे दिल से सोचें तो उसमें यह "जब राज्य सरकार की राय में कोई औद्योगिक झगड़ा विद्यमान हो अथवा उसकी आशंका हो तो वह किसी भी समय लिखित आज्ञा दे कर उस झगड़े को" जब राज्य सरकार यह जानती है कि कोई झगड़ा यहां मौजूद है तब के लिए उसने यह अधिकार लिए हैं। लेकिन कहीं पर यह नहीं इसमें आया है कि अगर एक ग्रुप, चाहे वह मालिक हो या मजदूर तब भी उसको रेफर करना चाहिए, या जगन्नाथ मल्ल जी यह जोड़ दें कि सरकार की राय में या मजदूरों की तरफ से या मालिक की तरफ से कोई भी एक दल अगर चाहे तब इसको भेजा जाय और अगर उस समय सरकार रोकती है तब ठीक नहीं है, तब तो मजदूरों का मंशा पूरा हो जाता। लेकिन हमें अफसोस यह है कि यह शब्द इसमें नहीं है। जब यह शब्द इसमें नहीं हैं तो निर्णय आ जाता है सरकार पर। तो सम्भव है कि कोई मौका इसमें ऐसा आये कि किसी समय हम खुद कहें कि सरकार जो यह सरकार को भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए लेकिन भेज रही है। इसलिए इस धारा में जगन्नाथमल्ल जी फौरन एक प्रतिबन्ध लगा कर भेज दें और इसको साफ कर दें तो मजदूरों का बड़ा ही हित होगा। ऐसी दशा में उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी शंका में था कि धारा तो कुछ है और हमारे दो नेताओं के जो भाषण हुए वह दोनों एक ऐसी धारा को लेकर चले जिसमें मालिक और मजदूर का नाम ही नहीं है। भाषण यह हो गये कि वह केस आई० एन० टी० यू० सी० को भेजा गया और वह नहीं भेजा गया। यह सवाल यहां नहीं आता। मैं समझता हूं कि माननीय श्रम मंत्री जी भी इस मानी में मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे कि यदि सरकार को भी कभी निर्णय करना पड़े तो वह अपने विवेक बुद्धि को बहुत विस्तृत रखे। सम्भव है कि कहीं पर ऐसी परिस्थिति आ जाय कि हड़ताल होने वाली हो या हो गयी हो, मालिक उस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी]

पर जिद कर रहा है। उस समय न मजदूर या मजदूर नेता कह रहे हैं कि सरकार भेजे और न मालिक कह रहा है कि सरकार भेजे। दोनों समझते हैं कि हम निपट लेंगे और दोनों में संघर्ष हो रहा है। उस समय सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि वह ऐसे मामलों को भेजे। ऐसी और बहुत सी बातें आ सकती हैं। श्री जगन्नाथमल्ल जी ने इस बीज को उठाया तो मैं यह चाहूंगा कि उस प्रतिबन्ध को ला कर जगन्नाथ मल्ल जी पेश करें तो मजदूरों का हित वास्तव में होगा और मैं उसका समर्थन भी करूंगा।

आचार्य जुगलकिशोर---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस वक्त विचाराधीन है उसके विरोध में मुझे यह कहना है जहां तक यह संशोधन है उसका उद्देश्य शायद यह हो कि हर एक झगड़ा किसी न किसी बोर्ड के सामने जाय तो यह तो मैं बतला दूं और उनको मालूम भी होगा कि कोई भी झगड़ा चाहे मिल मालिक की तरफ से या मजदूरों की तरफ से भेजना चाहें, कंसीलिएशन बोर्ड में आ ही जाता है। उसमें कोई झगड़ा, यहां तक मुझे मालूम है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। कंसीलिएशन बोर्ड में इस बात की कोशिश की जाती है कि झगड़े का निबटारा हो जाय। जब दोनों पार्टियों को यह मालूम रहता है कि अगर हमारा झगड़ा नहीं निपटाया गया तभी सम्भव है कि हमारे केस को रेफर न किया जाय। तो वह उस झगड़े को निपटाने की ज्यादा कोशिश करते हैं बनिस्बत यह कि उनको मालूम हो जाय कि हमारा झगड़ा आगे जायेगा ही, रेफर करना ही पड़ेगा तो उस स्टेज पर झगड़े को निपटाना मुनासिब न समझें या न चाहें। इसलिए जहां तक कि झगड़ा उठता है वह कंसीलिएशन बोर्ड में जाता ही है। हमारे प्रदेश की जो नीति रही है वह यह कि हर एक झगड़े को कंसीलिएशन बोर्ड के सामने मजदूरों और नियोजकों को ले जाने का अधिकार है। लेकिन मुझे बतलाया गया है कि अन्य प्रदेशों में यह कंसीलिएशन आफिसर की इच्छा पर है कि अगर वह चाहे तो कंसीलिएशन बोर्ड में भेजे या न भेजे। लेकिन हमारे यहां नियम है कि हर एक केस कंसीलिएशन बोर्ड में श्रमिक या नियोजक भेजना चाहे तो भेज सकता है। तो वह भेज सकते हैं। सवाल आता है उसके बाद क्या किया जाय? आखिरकार कोशिश, इस कंसीलिएशन मशीनरी की, ऐडजुडीकेशन मशीनरी की, लेबर विभाग की तरफ से यही है जहां तक हो सके झगड़े कम हों, उनका निबटारा आपस में हो जाय और ऐसे झगड़े जो कि निपटारा नहीं हो सकते हैं या कोई सिद्धान्त की बात है उनको लेबरकोर्ट के सामने भेज दिया जाय। तो कोशिश गवर्नमेंट की यह रही है इस कानून और इस तरह की धाराओं को बनाने से कि झगड़े जहां तक हो सके सीमित रहें और आपस में ही तय हो जायें। अगर आपस में फैसला न कर सकें तो फिर गवर्नमेंट इस बात का निर्णय करेगी कि कहां तक यह झगड़ा ऐसा है जो कि आगे जाने लायक है। सम्भव है कुछ झगड़े ऐसे हों जिनका पहले ही फैसला हो जाय और उनको फिर बाद में भेजना फिजूल हो। कुछ ऐसे मसअले होते हैं जिससे आगे भेजने से ज्यादा लाभ न हो। तो इस तरह अगर नहीं रहेगा तो झगड़ों की इतनी संख्या हो जायगी जैसा कि बहुगुणा जी ने बताया कि जो मामूली झगड़े हैं वह तो ज्यादा समय ले लेंगे और जो महत्वपूर्ण हैं, आगे लेबर कोर्ट्स में या ट्रिब्यूनल्स में जा सकते हैं वे पीछे रह जायंगे। तो कोशिश यही है कि जो महत्वपूर्ण झगड़े हैं जिसमें एक इंडस्ट्री का ताल्लुक है जिसमें लेबर के कुछ खास अधिकार हैं उनसे उसका ताल्लुक है वह तो आगे भेजे जायंगे और जो मामूली है वह कंसीलिएशन बोर्ड से ही तय हो जायंगे। अगर वह नहीं करते हैं तो फिर गवर्नमेंट सोचेगी कि भेजा जाय या न भेजा जाय। जैसा धारा में बतलाया गया है :'---

"जब राज्य सरकार की राय में कोई औद्योगिक झगड़ा विद्यमान हो या उसको आशंका हो तो वह किसी भी समय लिखित आज्ञा देकर....."

यह तो गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा गया है। धारा का मतलब यही है कि गवर्नमेंट इस बात का निर्णय करे कि झगड़ा है या नहीं और इसको आगे भेजा जाय या नहीं? कंसीलिएशन

बोर्ड में तो हर झगड़ा जायगा ही। लेकिन उससे आगे भेजे या न भेजे यह इस बात पर निर्भर होगा कि झगड़े का क्या महत्व है। झगड़े का फैसला कोई पहले तो नहीं हो गया है? इस खयाल से यह धारा रखी गई है। आमतौर से गवर्नमेंट की कोशिश होती है जो केसेज रेफर किये जाते हैं उनकी तरफ हम देखते रहें, कौन से केसेज भेजे गये हैं कौन से नहीं भेजे गये हैं। यह भी कोशिश करते हैं अगर ज्यादा केसेज भेजने की बात हो तो और ज्यादा भेज दिये जायं।

गवर्नमेंट की कोशिश होती है किसी के प्रति अन्याय न हो। सारी कोशिश गवर्नमेंट की यही रही है कि उद्योग धंधों में जहां तक हो सके शान्ति कायम रहे और उस शान्ति को कायम रखने के लिये लेबर लाज बनाये गये हैं। नहीं तो वैसे केसेज मामूली अदालतों में जा सकते थे। लेकिन उसके बजाय यह मुनासिब समझा गया कि लेबर कोर्ट्स कायम किये जायं उनमें ऐसे विशेषज्ञ रखे जायं जो लेबर कानून को जानते हों, उनकी परिस्थिति जानते हों। लेबर डिपार्टमेंट इसलिये है कि उसके जरिये से इस बात की कोशिश करें कि श्रमिकों के जो अधिकार हैं, उनके स्तर को ऊंचा करने की जरूरत है, वह पूरी कर सकें तो इन सब बातों के होते हुए यह शंका क्यों होती है? गवर्नमेंट इस बात की कोशिश करेगी कि न्यायपूर्ण बात को आगे नहीं भेजेगी। मैं समझता हूं यह खयाल गलत है। इतनी जरूर हमारी कोशिश रही है जहां तक हो सके महत्वपूर्ण मामले जो हों, श्रमिकों के अधिकारों का प्रश्न हो, उसको हम रेफर कर देते हैं, कोर्ट्स के सामने जायं। आगे जैसा वह निर्णय करें, उनके ऊपर छोड़ देते हैं। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसको वापस ले लेंगे।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा एक चीज जानना चाहूंगा मंत्री जी से कि मालिक, मजदूर अगर आपसे नहीं कहते तब तो भेज देंगे। लेकिन अगर मालिक और मजदूर कहते हैं आपसे, जो कि इस धारा में नहीं हैं तब क्या होगा। मालिक और मजदूर का प्रश्न नहीं है। यहां तो आपको भेजना है।

आचार्य जुगलकिशोर—हमारी राय होगी उसे भी भेज सकते हैं, वह भी भेज सकते हैं।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—अगर मालिक और मजदूर दोनों में से एक कहेगा तब आपकी क्या नीति होगी? अभी तो न कहने पर भेज सकते हैं...

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—प्वाइन्ट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय, भवन के अन्दर इस प्रकार से प्राश्नोत्तर मिनिस्टर और सभासद् के बीच में नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष—वह प्रश्न मेरे द्वारा पूछा गया है और वह पूछा जा सकता है।

*__श्री जगन्नाथमल्ल__—श्रीमन्, जो संशोधन मैंने सदन के सम्मुख उपस्थित किया था और इस वक्त भी है उसके ऊपर कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ यह जानकर कि बहुगुणा जी ऐसे संशोधन का विरोध करते हैं, जब कि हर पार्टी के लोग इसका समर्थन आज तक करते आये हैं और यह बहुत बड़ा एक प्रश्न रहा है। इस सदन में भी पच्चीसों दफा इसका प्रश्न उठाया गया। गवर्नमेंट की तरफ से यह जवाब मिला था कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी जिस वक्त श्रम मन्त्री थे उस वक्त उन्होंने जवाब दिया था कि जब दूसरा ऐक्ट आवेगा तब हम ऐसा प्राविजन कर देंगे कि अपने आप मुकदमें ऐडजुडिकेशन में चले जायं। माननीय बहुगुणा जी ने दो तीन प्रश्न उठाये हमारे इस संशोधन का विरोध करते हुए। उनका यह कहना है कि कहीं छींक किसी को आ जाय और कहीं किसी को बहुत भारी बीमारी हो जाय तो दोनों मुकदमें कैसे चल सकेंगे? कहीं छींक की बीमारी के इलाज के कारण बड़ी-बड़ी जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ मल्लव]

बीमारियां हैं, टी० बी० है या कहीं आपरेशन की जरूरत है तो वह रह न जाय। मैं बड़े आदर के साथ माननीय बहुगुणा जी को बताना चाहता हूं कि छींक की बीमारी होगी तो उसकी छींक की दवा दी जायगी और आपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो उसका आपरेशन किया जायगा। यह तो नहीं होगा कि छींक की बीमारी में आपरेशन हो। यह तो माननीय बहुगुणा जी के अस्पताल में ही छींक की बीमारी में नाक का आपरेशन होता होगा। और तो कहीं होता नहीं?

दूसरी चीज इसके बारे में यह कही गयी कि बहुत मुकदमें हैं। श्रीमन्, पहले इसका एक्सपेरिमेंट यहां हो चुका है और मैं समझता हूं कि बहुत मुकदमे नहीं होते थे। जितने मुकदमें आते थे सबका फैसला होता था। इसी प्रान्त में जो व्यवस्था पहले थी कि मुकदमे आते थे और उनका फैसला हो जाया करता था। और श्रीमन् उस वक्त जिस वक्त कि हमारे प्रान्त में ट्रेड यूनियन मूवमेंट पैदा हुआ था और आपको भी ज्ञात होगा और सदन के सदस्य भी जानते होंगे, माननीय बहुगुणा जी तो जरूर जानते होंगे कि जब कभी नयी-नयी ट्रेड यूनियन्स बनती हैं तो उस वक्त ज्यादा मुकदमे खड़े होते हैं। अगर्चे माननीय बहुगुणा जी मेहरबानी करके जा करके देखें कि उस वक्त कितने मुकदमे आते थे और इस वक्त कितने मुकदमे हैं तो उनको पता चलेगा कि उस वक्त ज्यादा मुकदमे आये, क्योंकि उस वक्त पहले पहल ट्रेड यूनियन मूवमेंट चला था। तो यह कहना कि मुकदमों के बोझ के मारे दब जायगा और मुकदमों का फैसला नहीं हो सकेगा यह गलत है। मैं समझता हूं कि फैसला हो सकेगा।

तीसरी चीज आपने अक्ल की बतायी श्रीमन्, कि हमारे पास ढेर अक्ल है इसीलिए हम जीत गये। पता नहीं कि आपके पास अक्ल है या नहीं है या क्या है? अक्ल से दुश्मनी की बात तो आप करते हैं कि हाईकोर्ट के जज को न रखो, किसी भी कानूनदां को मत रखो। तब किसे रखो? माननीय बहुगुणा जी के ही पास सारी अक्ल का ठेका है, उन्हीं को रखा जाय। श्रीमन्, जहां तक अक्ल का सम्बन्ध है यह तो यह होता है कि कोई दस केस एक आदमी ले जाता है, किसी में हारेगा, किसी में जीतेगा। यह कह देना कि हम ही जो मुकदमा करते हैं उसमें जीत जाते हैं, यह मैं समझता हूं कि कोई भी जो बड़े से बड़ा वकील हो चुका है? यहां तक कि स्वर्गीय मोतीलाल जी भी, जो बहुत बड़े वकीलों में से थे, उन्होंने भी ऐसा दावा नहीं किया होगा कि हम जो मुकदमा लड़ते हैं उसमें जीत ही जाते हैं। इस तरह का दावा तो माननीय बहुगुणा जी ही कर सकते हैं, दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता।

जहां तक सेन्ट्रल ऐक्ट का सवाल है, आपने कहा कि सेन्ट्रल ऐक्ट है, फलां है, तो इसकी दुहाई देते-देते, क्या कहूं, लोगों को बुखार आ गया। श्रीमन्, मैं कहता हूं कि सेन्ट्रल ऐक्ट में जरा खोल के देखें तो ये सब प्राविजन लागू ही नहीं हैं। वहां दो-तीन क्लाजेज लागू हैं। वर्कमैन की डेफनीशन लागू है, जहां सेन्ट्रल बैंक को इम्पीरियल बैंक होना है और अपीलेट ट्रिब्यूनल को तोड़ने की दफा लागू है। इतना ही लागू हुआ है और बहुगुणा जी कहते हैं सेन्ट्रल ऐक्ट-सेन्ट्रल ऐक्ट। आप अपना ऐक्ट बनाइये, जितना भी अच्छा हो सके। आप इस चिन्ता में क्यों मरे जा रहे हैं कि सेन्ट्रल इसे मंजूर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जब संविधान ने अख्तियार दे रखा है कि हम अपने प्रान्त की परिस्थिति को देखते हुए जिस तरह से चाहेंगे अपने ऐक्ट को बनायेंगे, तो सेन्ट्रल कैसे उसमें दखल कर सकता है? अगर दखल देता है तो इसका मतलब यह है कि संविधान को मानने से वह इनकार करता है। संविधान ने जब यह प्राविजन दे रखा है कि हम अपने प्रान्त की परिस्थितियों के अनुसार अपना ऐक्ट बना सकते हैं, चाहे सेन्ट्रल ऐक्ट में कुछ भी क्यों न हो, तो फिर मैं नहीं समझता कि सेन्ट्रल कहां दखल देगा और मैं नहीं समझता कि राष्ट्रपति जो कि सब से बड़े हिन्दुस्तान के कांस्टीट्यूशनल हैड होते हैं वह इस किस्म की गलती करेंगे कि कांस्टीट्यूशन के खिलाफ इसमें अपनी स्वीकृति न दें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उनको ऐसा अधिकार है।

श्री जगन्नाथमल्ल---अधिकार तो है, लेकिन वह उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, इस समय मेरा ऐसा विश्वास है। अगर आपका ऐसा विश्वास है कि वह अपने अधिकार का दुरुपयोग करेंगे तो आपको मुबारक हो, मेरा तो खयाल है कि वह दुरुपयोग नहीं करेंगे। माननीय अवस्थी जी को यह भ्रम हो रहा है कि जब राज्य सरकार की राय में कोई औद्योगिक झगड़ा विद्यमान हो, तो मैं कहता हूं कि कोई यूनियन या कोई मजदूर स्ट्राइक का नोटिस देता है तो क्या सरकार की राय अलग हो जायगी कि यहां पर औद्योगिक झगड़ा नहीं है? जब कन्सिलियेशन बोर्ड में कोई केस जाता है तो सरकार की क्या यह राय हो जायगी कि यहां कोई झगड़ा नहीं है, यह कतई नहीं हो सकता। कन्सिलियेशन बोर्ड में कोई केस तभी जायगा जब झगड़ा होगा और जब झगड़ा होगा तो सरकार को मान ही लेना पड़ेगा। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आगे नारायणदत्त जी का संशोधन है और वह उस मामले को और साफ कर देता है कि और जहां कन्सिलियेशन में मामला आयेगा, तो उसमें सरकार की राय जबरदस्ती हो जायगी। मिल की हड़ताल का नोटिस दें तो सरकार ऐडजुडिकेशन बैठायेगी, लेकिन दूसरा जो तरीका है कि कन्सिलिएशन बोर्ड में जो आता है, उसके लिए इसमें प्राविजन नहीं दिया हुआ है। इसलिए नारायणदत्त जी ने उसको भी साफ कर दिया।

श्रीमन्, मैं और क्या कहूं? इसके लिए लड़ाइयां हुई हैं। हर तरह से हर तबके के मजदूर चिल्ला रहे हैं कि हमारा अधिकार मिलना चाहिए। अगर माननीय मन्त्री जी इसको बिल में रख लें तो ज्यादा अच्छा होगा। जिस समय माननीय सम्पूर्णानन्द जी श्रम मन्त्री थे तो उन्होंने तो वादा भी किया था कि जब अगला ऐक्ट आयेगा तो उसमें यह प्राविजन रख दिया जायगा। इसलिए मन्त्री जी हठधर्मी से काम न लें। सरकार हठधर्मी से काम लेती है। ऐसा न करके जो सही राय हो उसको मान लेना चाहिए, जिससे मजदूर को एक आश्वासन मिले और वह समझे कि हां, हमारे लिए एक कानून अभी-अभी बना है जिससे हम फायदा उठा सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं फिर निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री जी से कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार करें।

आचार्य जुगलकिशोर---मैं यह कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि अभी श्री जगन्नाथमल्ल जी ने कहा कि हमारे चीफ मन्त्री महोदय ने कोई ऐसा आश्वासन दिलाया था कि हर एक झगड़ा हाईकोर्ट में दे दिया जायगा, तो जहां तक मुझे सूचना है, ऐसी कोई बात नहीं कही गयी है और जब तक मुझे यह न बतलायें कि कहां ऐसा कहा गया तो मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि यह गलत खयाल है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा ४-ट की पंक्ति ७ में शब्द "सौंप सकती है" के स्थान पर शब्द "अवश्य सौंपेगी" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:---

पक्ष में ---४,

विपक्ष में--- ५० ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा ४-ट के प्रतिबन्ध की पंक्ति ३ में शब्द "यदि वह उचित समझे" निकाल दिये जांय तथा पंक्ति ४ के शब्द "अभिदिष्ट कर सकती है" के स्थान पर शब्द "अभिदिष्ट करेगी" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा ४-ट के पश्चात् निम्न नई धारायें ४-ठ व ४-ड निम्न प्रकार बढ़ा दी जायं ---

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

"४—ठ—राज्य सरकार किसी भी उद्योग के संबंध में मजदूरी, महंगाई एवं बोनस आदि के समुचित निर्धारण के निश्चय करने हेतु नियमानुसार आवश्यकता पड़ने पर एक मजदूरी निर्धारण बोर्ड" (Wage Board) बना सकती है, जिसमें संबंधित मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि अवश्य होंगे।"

"४—ड—राज्य सरकार के लिये प्रत्येक औद्योगिक झगड़े को निर्णयार्थ समझौता अधिकारी द्वारा समझौता न हो सकने पर श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण अथवा पंचनिर्णय के पास नियमानुसार भेजना आवश्यक होगा।"

श्रीमन्, जो धारा ४ में ४—ट का प्राविजन किया गया है उसको देखते हुये दोनों धाराओं का जोड़ा जाना युक्तियुक्त और न्यायसंगत मालूम पड़ता है। पहली धारा में एक महत्वपूर्ण सिफारिश की गई है जिसका पालन दूसरे प्रांतों में भी हो रहा है। पहली धारा ४—ठ में वेज बोर्ड बनाने की व्यवस्था है, अलग-अलग इंडस्ट्रीज के लिये अलग-अलग बोर्ड बनाने की व्यवस्था है। हमारे प्रदेश में टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, शुगर इंडस्ट्रीज हैं, सूट इंडस्ट्रीज तथा शूज इंडस्ट्रीज आदि बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, इन सबके वेजेज के मसले तथा बोनस के मसले प्रतिवर्ष उठते रहते हैं। चीनी मिलों में बोनस का मसला हर साल उठता रहता है, मिनिमम वेजेज का मसला हर साल उठता रहता है। इसलिए यहां के मुख्य उद्योगों में परमानेंट वेज बोर्ड बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है। मिसाल के लिये बम्बई इंडस्ट्रियल रिलेशन्स एक्ट की धारा ८६ ए, बी और सी की तरफ ध्यान दिलाऊंगा। इसमें है कि—

"The Provincial Government may by notification in the Official Gazette constitute for one or more industries a Wage Board for the province."

जिस प्रकार बम्बई में वेज बोर्ड बनाया गया है और उसी प्रकार आसाम में है और प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी सिफारिश है। चैप्टर ५० में जो लेबर पालिसी के बारे में है, कि—

"Permanent Wage Boards with a tripartite composition should be set up in each State and at the Centre to deal comprehensively with all aspects of the question of wages to initiate enquiries, collect data, review the situation from time to time and take decisions regarding wage adjustments *suo motu* or on reference from parties or from the Government."

इसमें लिखा है कि प्रत्येक राज्य में त्रिवर्गीय दृष्टिकोण से स्थायी वेज बोर्ड बनने चाहिये और केंद्र में भी बनने चाहिये ताकि मजदूरों के संबंध में सारे प्रश्नों की बहु जांच कर सकें आंकड़े जमा कर सकें और स्थिति का पर्यवेक्षण भी स्वयं या पार्टियों या गवर्नमेंट के कहने पर कर सकें। यह सन् ५१ से हो जाना चाहिये लेकिन आज तक नहीं हुआ है। इसी सिफारिश के बारे में मैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट के पेज ५८० की ओर आपका ध्यान ले जाऊंगा—

"An authority like a tripartite Wage Board, consisting of equal representatives of employers and workers and an independent Chairman, will probably ensure more acceptable decisions. Such Wage Boards should be instituted for individual industries in different areas."

इस प्रकार का त्रिवर्गीय मजदूर बोर्ड बन जाना चाहिये जिसमें मजदूरों और मालिकों के भी प्रतिनिधि हों और स्वतंत्र विचारधारा के चेयरमैन हों। इस सिफारिश को इस विधेयक में स्थान न देना बड़ी भारी कमी रह जायगी। यदि हमारी सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना को वास्तव में मानती है तो इस विधेयक में इसका स्थान होना चाहिये। हमारे यहां पर हर उद्योग के लिये वेज बोर्ड होना चाहिये। मेरे संशोधन का अर्थ यह होगा कि जिस मामले का निपटारा

कंसीलियेशन बोर्ड में न हों पावे वह नियम के अनुसार या तो न्यायालय को या न्यायाधिकरण अथवा पंचनिर्णय के पास जायगा। इसका ब्यौरा आगे दिया हुआ है कि मुख्तलिफ शैड्यूल्स के कहां जावेंगे। मंत्री जी का कहना है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं कंसीलियेशन बोर्ड के बाद, जिन पर पहले फैसले हुये रहते हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि जो फैसले किसी मामले में हो चुके हैं क्या वे आटोमैटिकली उस केस कर लागू हो जाते हैं? मान लीजिए कि ट्रेड यूनियन वर्कर को विक्टीमाइज नहीं होना चाहिये, यह फैसला हो गया है। लेबर डिपार्टमेंट के सामने मामला आया तो वह यह कहकर टाल देगा कि ऐसे केस में पहले फैसला हो चुका है। अगर हम उसको एडजुडीकेशन में नहीं भेजते हैं तो मामला वैसे ही रह जाता है। अगर कोई ऐसी मशीनरी होती जो यह देखती कि उस मामले पर पहले क्या फैसला हुआ है उसको और इस तरह का अधिकार होता कि वह लेबर आफीसर को या मिल मालिकों को स्वयं लिख देती कि पहले ऐसा फैसला हो चुका है, उस आधार पर यह बात माननी पड़ेगी तो इसका स्वतः ही निर्णय हो जाता। लेकिन जब कोई ऐसी मशीनरी नहीं है तो ऐसा कहना उचित नहीं मालूम होता है कि इस प्रकार का फैसला पहले भी हो चुका है। हम जिन मामलों को महत्व का न हो समझते हैं, हो सकता है कि वे बहुत महत्व के न हों लेकिन वे उस कारखाने के लिये महत्व के हो सकते हैं, उस कारखाने में औद्योगिक संबंधों की रक्षा के लिये वे महत्व के हो सकते हैं। इसलिये किसी पहले फैसले की बिना पर किसी मामले को खत्म कर देना उचित नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तो वह बनी ही रहती है। एक मामला जब कंसीलियेटरी बोर्ड में तय नहीं हुआ है और सरकार ने भी उस पर कोई फैसला नहीं दिया है तो अगर वह एडजूडीकेशन को नहीं भेजा जाता तो वह इंडस्ट्रियल डिसप्यूट बना ही रहता है। इस प्रकार से जो सरकार की मंशा है कि डिसप्यूट्स कम हों, वह भी पूरी नहीं होती है क्योंकि वह डिसप्यूट तो बना ही रहता है।

प्रत्येक डिसप्यूट में यह आवश्यक होता है कि वह कंसीलियेटरी बोर्ड को भेजी जाय और जब भी कंसीलियेटरी बोर्ड को वह भेजा जाता है जो नोटिस उस समय दिया जाता है, उसमें लिखा जाता है कि इंडस्ट्रियल डिसप्यूट हो गयी। कंसीलियेटरी बोर्ड के बाहर भी जब वह मामला जाता है तब भी इंडस्ट्रियल डिसप्यूट के रूप में जाता है। इसलिये जब तक वह डिसप्यूट सैटिल नहीं हो जाती है तब तक वह डिसप्यूट ही रहेगी, समाप्त नहीं हो सकती। इस तरह से आप फिर उसको त्रिशंकु की तरह क्यों लटकाना चाहते हैं, उसका निबटारा क्यों नहीं करना चाहते। आप उसको पंच निर्णय के लिये भेजिये, अदालत को भेजिये अथवा न्यायाधिकरण को भेजिये। मेरा जो संशोधन ४—ड में है उसकी मंशा यही है। इसमें गवर्नमेंट अपना डिस्क्रेशन इस्तेमाल न करे क्योंकि इससे इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स बढ़ती हैं, घटती नहीं। सरकार का यह मिथ्या भ्रम है कि इस प्रकार डिसप्यूट्स को रेफर न करके डिसप्यूट्स घटती हैं। उसके इस कार्य से अधिक समय भी लगता है और उनकी संख्या में भी कभी नहीं होती।

आचार्य जुगलकिशोर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अभी इस भवन के सामने रक्खा गया है उसके सिलसिले में वेज बोर्ड के संबंध में मुझे इतना ही कहना है कि यद्यपि गवर्नमेंट की यह नीति रही है और है कि वेज बोर्ड बनाये जायं तथापि मैं यह बता देना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर विचार कर रही है और इस तरह का कानून लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। प्रदेशीय स्तर पर इस तरह का बोर्ड बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। मान लिया कि टैक्सटाइल इंडस्ट्री के लिये आपने एक बोर्ड बनाया। उसने कोई वेज निश्चित की, लेकिन संभव है दूसरे स्थान पर वेजेज कम मिलती हों तो हमारी इंडस्ट्री को बहुत नुक्सान पहुंच सकता है। इसलिये अगर सेंट्रल ऐक्ट के जरिये से वेज बोर्ड बनता है तो वह सभी इंडस्ट्रीज पर लागू हो जायगा, इससे किसी भी प्रदेश की इंडस्ट्री को नुक्सान नहीं पहुंच सकता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि यह चीज इस विधेयक में शामिल नहीं की गयी है।

जहां तक दूसरी धारा जो उन्होंने रखी है धारा ४—ड, कि "राज्य सरकार के लिये प्रत्येक औद्योगिक झगड़े को निर्णयार्थ समझौता अधिकारी द्वारा समझौता न हो सकने पर श्रम

[आचार्य जुगलकिशोर]

न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण अथवा पंच निर्णय के पास नियमानुसार भेजना आवश्यक होगा" इसके ऊपर तो पहले जो संशोधन आये थे उन पर काफी बहस हो चुकी है। माननीय तिवारी जी ने मेरा ध्यान मेरे उस भाषण की ओर दिलाया है जो कि मैंने अभी दिया था कि वे केसेज जो कि पहले फैसला हो जाते हैं उनको फिर दुबारा नहीं लिया जायगा। मेरा मतलब यह था कि जो फैसले इस प्रकार के हो जाते हैं कि यह नहीं होना चाहिये, जैसे मान लीजिये कि बेजेज के बारे में, बोनस के बारे में कोई फैसला हुआ कि ये बोनस के अधिकारी नहीं हैं या बेजेज नहीं बढ़ सकती हैं या लीव नहीं मिल सकती है तो इस तरह का कोई मुकदमा फिर कोई श्रमिक की तरफ से आता है तो चूंकि उसी तरह के केस में पहले एक फैसला हो चुका है तो दुबारा उसको कोर्ट में भेजने से कोई फायदा नहीं होगा।

दूसरी बात यह है जैसा कि मैंने बतलाया कि गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा इस बात की कोशिश रहती है कि जहां तक हो सके मामले का फैसला कंसिलियेशन बोर्ड में ही हो जाय। कंसिलियेशन आफिसर इसी बात के लिये नियुक्त किये जाते हैं। उनका कार्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि वे कोर्ट की तरह से बैठें बल्कि उनका यह भी कार्य है कि वे आपस में मिलाने की भी कोशिश करें। लेन देन की बातें भी वे वहां करते हैं जिससे श्रमिक भी कुछ अपनी बातें छोड़ें और नियोजक भी अपनी बातों में कुछ कमी करें ताकि आपस में कोई समझौता हो सके। इस तरह से वे आपस में समझौता कराने की भी कोशिश करते हैं और जब समझौता नहीं हो पाता है तब जाकर मामला गवर्नमेंट के पास आता है। अगर गवर्नमेंट यह समझती है कि यह मामला कंसिलियेशन बोर्ड के लायक है तब तो उसे वहां भेज देती है लेकिन जिस मामले को समझती है कि उसके भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे भेजने से कोई फायदा नहीं है, उसे नहीं भेजती है। इसलिये अपने संशोधन के रूप में जो धारा उन्होंने रखी है उसकी मैं मुखालिफत करता हूं और आशा करता हूं कि हाउस भी उसको अस्वीकार करेगा।

*श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने रखा है वह वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन नारायणदत्त जी ने हम लोगों की परिस्थिति ऐसी जगह लाकर खड़ी कर दी है कि आप 'ठ' और 'ड' दोनों को एक साथ ही पास करना चाहते हैं। अब एक को माने और दूसरे को न माने, यह बड़ा मुश्किल सा लगता है। 'ठ' में नारायणदत्त जी ने जो कहा है, यदि वे उस मोटी रिपोर्ट को जो यू० पी० लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से हर साल पब्लिश होती है, देख लें तो शुगर का जहां तक ताल्लुक है हर वर्ष इस तरह का एक बोर्ड या एक कमेटी बैठती है और उनके मिनिमम वेजेज ५५, ५२, या ५४ रु० जो कुछ भी हो फिक्स करती है। इसी तरह से टेक्सटाइल के बारे में भी ३० रु० उन्होंने मिनिमम वेज फिक्स कर रखा है। तो जहां तक बोर्ड का सम्बन्ध है माननीय नारायणदत्त जी देखेंगे कि हमारी सरकार हर तरह के बोर्ड बनाती है कि वे इस तरह के कार्य करें। अगर वे कार्य नहीं करते हैं तो सवाल यह आता है कि बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनका सम्बन्ध केन्द्र से है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमारे प्रान्त में करीब-करीब तीसरे नम्बर पर है जब कि बम्बे और अहमदाबाद हमसे आगे हैं। इसी तरह से एक दूसरी इंडस्ट्री लेबर की है, इसी तरह से और तरह-तरह की इंडस्ट्रीज हैं जिनका केन्द्र से सम्बन्ध रहता है यानी सारे देश की इंडस्ट्रीज से सम्बन्ध रहता है। तो उसके लिये जैसा कि माननीय श्रम मंत्री जी ने बतलाया केन्द्र बोर्ड बनने जा रहा है, तो जब केन्द्रीय बोर्ड बन जायगा तब यह मसला वैसे ही हल हो जायगा।

अब प्रश्न आता है 'ड' का। वास्तव में हम सभी लोग इस बात के लिये बराबर प्रयत्नशील हैं कि मजदूरों को न्याय मिले और जितनी ज्यादा सुविधायें उनको दी जा सकती हों वे दी जायं। जहां तक कंसिलियेशन बोर्ड का सम्बन्ध है उसमें तो हर केस जा सकता है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हर केस में मतभेद भी वहीं से शुरू होता है। एक विचार धारा तो यह है कि ऐसे लोगों को अगर मालूम हो जाय चाहे वे मालिक हों, चाहे मजदूर हों कि हमारा केस यदि यहां तय न हुआ तो आटोमेटिकली आगे चला जायगा। तो अभी तक जो दिक्कत हमारे सामने है वह यह है कि मालिक कहता है कि जब आगे केस रेफ़र होगा तब हम अपने कागजात पेश करेंगे और तभी हम केस को सामने लावेंगे और इसका नतीजा यह होता है कि वह तो जानते हैं कि केस आगे नहीं जायेगा और इससे मजदूरों की हानि होती है। इस सम्बन्ध में अगर सरकार अपनी नीति निश्चित करे या श्रम मंत्री जी सदन में इस तरह का कोई आश्वासन दें कि हम उन मामलों को भेजेंगे जो कंसिलियेशन बोर्ड में तय नहीं हो सकते हैं और उसमें हम अपनी नीति उदार रखेंगे और अपने विभाग के अधिकारियों को भी हिदायत कर देंगे कि इस पर जरा उदारता बरती जाय, मैं समझता हूं कि इतने से ही श्री नारायणदत्त जी का काम चल जायगा क्योंकि यह तो वह स्वयं नहीं चाहते कि वहां इतने केसेज जायं कि महत्वपूर्ण केसेज वहां जाने से रुक जायं। वह यह भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा करके खर्च बढ़ाया जाय और टैक्स पेयर पर बोझ पड़े। वह तो यही चाहते हैं कि सरकार की ऐसी नीति हो कि वह मुकदमों को न्याय के लिये भेजने में जरा उदार नीति रखे।

दूसरी बात यह है कि अब तक विभाग के हाथ में था कि वह किसी केस को भेजे या न भेजे और कंसिलियेशन बोर्ड में जो फैसले हों उनमें जो स्टैंडिंग आर्डर थे वह उनके सामने आते थे यकतरफा, मालिक ने स्टैंडिंग आर्डर सामने रखे, उनको श्रम विभाग ने कनफ़र्म किया लेकिन सवाल यह है कि अगर वह स्टैंडिंग आर्डर मजदूरों के हितों के खिलाफ़ हैं तो उनको अधिकार हो कि वह उनमें संशोधन करा सकें और जो सर्टिफाइंग अफसर हैं उनको भी अधिकार है कि वह देखें कि उन स्टैंडिंग आर्डर्स से मजदूरों का क्या हानि और लाभ होता है। तो जब उनको यह अधिकार मिल गया है तो उनको बदलवाने की कोशिश भी की जा सकती है अब अगर यह हो सकता है तो जिस वजह से मुकदमें बढ़े हुये हैं वह आगे कम हो जायेंगे और फिर यह भी प्रश्न आ सकता है कि इसमें जो शिड्यूल दिया है उसके अनुसार यह चीज साफ़ हो जायगी। अब तक तो यह होता है कि किसी मजदूर को कोई आज्ञा दी गई और मजदूर ने उसको मानने में गुस्ताखी दिखलाई तो यह भी जुर्म है और उसके खिलाफ़ चार्ज लग गया लेकिन अब अगर इस तरह से स्टैंडिंग आर्डर्स बदले जा सकेंगे तो मुकदमें भी कम हो जायेंगे और जैसा मैंने कहा अगर श्रम मंत्री जी जरा उदार नीति की बात करें तो यह शंका खत्म हो जायगी और आशा है कि मंत्री जी इस तरह का आश्वासन अवश्य देंगे।

श्री जगन्नाथमल्ल--उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने उपस्थित किया है सदन के सम्मुख, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वैसे तो तिवारी जी के इस विधेयक में काफ़ी बातें कही जा चुकी हैं और मुझे अधिक कहने की जरूरत नहीं थी लेकिन चूंकि अवस्थी जी ने स्टैंडिंग आर्डर्स का जिक्र कर दिया इसलिये उनके बारे में कुछ निवेदन करना जरूरी हो गया। जहां पर कि स्टैंडिंग आर्डर मिल मालिकों ने बनाये हैं उनका तो लेबर कोर्ट में जाकर फ़ैसला कराया जा सकता है लेकिन शुगर फैक्टरीज के मामले में यह चीज लागू नहीं होती क्योंकि वह यू० पी इंडस्ट्रीज डिसप्यूट्स ऐक्ट की सरकारी विज्ञप्ति के मातहत बने हुये हैं। तो हम शुगर फैक्टरीज के स्टैंडिंग आर्डर्स को नहीं बदल सकते, चूंकि स्टैंडिंग आर्डर्स का जिक्र आ गया इसलिये मैंने सदन में इसका जिक्र कर दिया, मैंने पिछले संशोधन के वक्त ही सब बातें इस विषय में कह दी थीं। इन शब्दों के साथ मैं श्री नारायणदत्त जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*__श्री नारायणदत्त तिवारी__--श्रीमन्, मेरा पहला संशोधन तो वेज बोर्ड की नियुक्ति के बारे में है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है कि केन्द्रीय वेज बोर्ड बनाये जायं और केन्द्र में ही यह संभव हो सकता है। केन्द्रीय सरकार सन् ५१ से इस पर विचार कर रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना बीत गयी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

का प्रथम साल बीत गया। ६ साल बीत गये। सरकार के विचार करने की शक्ति काफी सबल मालूम होती है कि विचार करते-करते ६ साल बीत गये, उसकी विचार शक्ति क्षीण ही नहीं है तो? और कोई संगठन होता तो उसकी विचार शक्ति के बारे में कुछ कहा भी जाता लेकिन सरकार तो महामहिम है, ६ साल उसे लग जाते हैं विचार करते-करते।

प्लानर्स कहते हैं कि वेज बोर्ड हरएक स्टेट में बनना चाहिये, प्रत्येक इंडस्ट्री के लिये बनना चाहिये। सेकेण्ड फाइव ईयर प्लान में सरकार ड्राफ्ट लाइन स्वीकार कर लेती है। प्लानिंग कमीशन के अनुसार हमारे लेबर डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं और प्लान सब स्वीकार कर लेते हैं लेकिन प्लान की जो खास-खास खूबियां हैं वे शायद किताब में खूबियां लाने के लिये रक्खी जाती हैं। प्लानर्स के यह लिखने का आखिर क्या अर्थ था कि "टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो ऐसी चीज है जो आल इंडिया, इम्पार्टेंस की चीज है, केवल स्टेट इम्पार्टेंस की नहीं है कि हरएक स्टेट में वेज बोर्ड होना चाहिये।" यह मेनडेटरी प्राविजन नहीं है कि प्रत्येक इंडस्ट्री के लिये आपको अवश्य वेज बोर्ड बनाना पड़ेगा, जब आवश्यकता पड़ेगी तब बना सकते हैं। यह तो इस राज्य सरकार को एक शक्ति देने वाला प्राविजन है कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी इंडस्ट्री के लिये आप वेज बोर्ड बना लें। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप को हर इंडस्ट्री के लिये बनाना ही होगा। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे पुनर्विचार कर लें।

माननीय मंत्री जी को शायद एक दिक्कत हो रही है। शायद उन्होंने केन्द्रीय सरकार से इस बारे में कुछ बातचीत कर ली है कि ऐसा ऐक्ट हम यहां पास करें। इसीलिये हर संशोधन में कह देते हैं कि अगर हम इस संशोधन को मंजूर कर लेंगे तो हमको स्वीकृति नहीं मिलेगी। डिपार्टमेंट ने अपने मन से एक ऐक्ट बनाया और डिपार्टमेंट ने जो संशोधन आवश्यक समझे उनके बारे में राय ले ली। लेकिन लेजिस्लेचर के मेम्बरों के संशोधनों के बारे में राय लेना आवश्यक नहीं समझा। यह ऐक्ट तो हम लोग पास कर रहे हैं तो बहुगुणा जी की, अवस्थी जी की आप राय ले लें कि आप कौन से संशोधन देना चाहते हैं और उनके वे संशोधन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लेबर डिपार्टमेंट के पास भेज देते। और मेरा सुझाव है कि उन पर भी कंसिडेशन किया जाता लेकिन उन पर विचार ही नहीं हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेबर एक्सपर्ट्स को हमारे संशोधनों पर विचार करने का अवसर नहीं मिला तो हम कैसे समझ लें कि वे हमारी बात मानने को तैयार नहीं हैं। बहुत से प्रोपोजल्स ऐसे हो सकते हैं जिनके बारे में वहां के लेबर एक्सपर्ट्स का ध्यान न रखा गया हो और अगर उनको वहां भेजा जाता है तो मुमकिन है कि उनकी स्वीकृति मिल जाती।

जहां तक कम्पलसरी एडजुडिकेशन की बात है, लेबर डिपार्टमेंट के बजट पर बहस इस सम्बन्ध में हर साल होती है एक मत से। हां, कुछ लोग एक अंग पर जोर देते हैं और कुछ लोग दूसरे अंग पर जोर देते हैं। हर साल यह शिकायत होती है कि एडजुडिकेशन को मामले क्यों भेजे जा रहे हैं। सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे और लेबर यूनियन्स को बताया जाय कि क्यों उनके मामले एडजुडिकेशन को नहीं भेजे गये। काशीपुर लेबर यूनियन का मामला था। १६ टर्म्स आफ रिफरेंस में केवल ४ जो कि महत्व के नहीं थे उनको एडजुडिकेशन को भेजा गया और बाकी जो बहुत महत्व के थे उनको नहीं भेजा गया। हमको यह पता तो लगे कि आखिर काशीपुर चीनी मिल मजदूर यूनियन की तरफ से मामले क्यों एडजुडिकेशन को नहीं भेजे गये? माननीय बहुगुणा जी को तथा अवस्थी जी को पता चले कि लेबर डिपार्टमेंट से क्यों एडजुडीकेशन में रेफ़र नहीं किया गया। हम कहां तक कानपुर दौड़ें यह जानने के लिये कि हमारा मामला क्यों नहीं भेजा गया। तो मैं माननीय मंत्री जी से जोर देकर कहूंगा कि इसको मामूली बात न समझें। यह लेबर यूनियनों के लिये बड़ी भारी मुसीबत है। अगर आप मजदूर आन्दोलन के पक्ष में हैं तो जितनी सीरियसली इस चीज को ले सकें उतनी सीरियसली इसको लें। अगर कोई मामला एडजुडीकेशन को रेफ़र नहीं करते हैं तो बतलाएं कि क्यों रेफ़र नहीं किया गया। और अगर कोर्ट के किसी पुराने फैसले

के आधार पर तय हो चुका हो कि यह छुट्टी का मामला तय हो चुका है और उस आधार पर हम यह कहते हैं कि यह नहीं लाया जायगा, ठीक है, लेकिन मजदूर कोर्ट, हाईकोर्ट और दूसरी कोर्टों में फर्क करना पड़ेगा। जिस मामले में हमने आज यह देखा कि नहीं पूरा होना चाहिये वह इस बदलते युग में, समाजवादी युग में हो सकता है कि कल हो सके। अगर आज मजदूर की ५५ रुपया तनख्वाह है तो कल हो सकता है कि ६० रुपये हो जाय। अगर हम यह कह दें कि पिछले साल कोर्ट ने यह फैसला दे दिया था कि ५५ रुपये तनख्वाह होगी। इसलिये आज ६० रु० नहीं हो सकती तो सोशल जस्टिस के युग में यह नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो मैं कहूंगा कि यह स्टैटिक दृष्टिकोण है।

हमें यह भी सोचना चाहिये कि लेबर कोर्ट्स में सोशल जस्टिस मिल सके, जिस पर आज नहीं कहा गया कल वह हां में परिणत हो सके। इसलिये मैं अपील करूंगा कि चाहे वह मेरे संशोधन को ठुकरा दें, उनके पास बहुमत है और अगर बहुमत चाहता भी है तो भी वह बहुमत को मजबूर कर सकते हैं कि वह उनके साथ वोट करे लेकिन कम्पल्सरी एडजुडीकेशन का मामला न तो सेंट्रल का लेबर डिपार्टमेंट और न प्रान्त का लेबर डिपार्टमेंट मामूली समझे। कई साल से इस बात पर जोर दिया जा रहा है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और जिस प्रकार पहले से नियम बनाये गये हैं उसी प्रकार किया गया है। डिपार्टमेंट के रवइये को अधिक बदलने की आवश्यकता है और कम से कम इस बात की तो बहुत आवश्यकता है कि अगर कोई मामला नहीं भेजा जाता है तो लेबर यूनियन को मालूम हो जाय कि हमारा मामला क्यों नहीं भेजा गया है ताकि कुछ कहने की गुंजायश रहे।

आचार्य जुगलकिशोर--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वेज बोर्ड के सिलसिले में मैंने कभी यह दलील नहीं पेश की कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से इजाजत नहीं मिली है। इसलिए हमने नहीं रखा है। कोई इस तरह की आपत्ति नहीं हो सकती है। इसको हम रख सकते हैं अगर हम मुनासिब समझते हैं। मैंने इसलिए विरोध किया कि प्रदेशीय स्तर पर इस तरह के बोर्ड बनाने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि उससे नुकसान भी हो सकता है और केन्द्रीय सरकार में इस तरह का विचार किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि कोई इस तरह की योजना जल्दी उनकी तरफ से रखी जायगी जिससे वेज बोर्ड बनाये जायं। मैं भी समझता हूं कि वेज बोर्ड का बनाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि समय-समय पर इस बात पर विचार करने के लिये कि वेजेज बढ़नी चाहिए या नहीं या क्या तब्दीली होनी चाहिए इसका भी निर्णय करने के लिए कोई न कोई ऐसी विशेषज्ञों की कमेटी हो जो इस बात पर निर्णय कर सके। मैं इसके विरोध में नहीं हूं। मेरा विरोध केवल इस बात पर है कि इस प्रदेशीय स्तर पर इस संशोधन के रुप में इस विधेयक में लाने की इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

जहां तक दूसरा संशोधन है, कम्पल्सरी रेफरेंस किया जाय कंसीलिएशन के लिए, इस सम्बन्ध में मैंने जो पहले दलीलें रखीं उसमें यही कहने की कोशिश की कि गवर्नमेंट कि कौन से ऐसे केसेज हैं जो भेजने लायक हैं। वह यह नहीं चाहती है कि फिजूल के केसेज कोर्ट्स में जायं और उनका समय बरबाद करें, श्रमिकों का समय बरबाद करें और औरों का भी समय बरबाद करें। अगर कोई ऐसा महत्वपूर्ण केस है जैसा कि माननीय नारायण दत्त जी ने जिक्र किया तो वह मेरे सामने ला सकते हैं, मेरे से ऊपर जो हाउस है उसके सामने ला सकते हैं, प्रश्नों के जरिये या रेजोल्युशन के जरिये या ऐडजर्नमेंट मोशन के जरिये ला सकते हैं। मेरा भी अन्तिम अधिकार नहीं है, मेरे ऊपर भी यह हाउस है। तो इसलिये अगर कोई महत्वपूर्ण चीज रह गई हो और उसका ध्यान दिलाया जाय और मैं उसको करने में असमर्थ हुआ हूं तो उसको हाउस के सामने ला करके उसके ऊपर निर्णय करा सकते हैं। इसलिये कोई इस तरह की बाधा नहीं। परन्तु मैं समझता हूं कम्पलसरी रिफरेंस अगर कोर्ट्स में कर दिया जायगा तो केसेज भी बहुत बढ़ जायंगे और कोर्ट्स के लिये काम करना मुश्किल हो जायगा। और गवर्नमेंट जो चाहती है हमारे प्रदेश में श्रमिकों और उद्योगपतियों के

[आचार्य जुगलकिशोर]

बीच में शान्ति रहे वह खत्म हो जायगी। शान्ति का वातावरण पैदा करने के लिये कोशिश यही होती है, कि जहां तक हो सके वह इस नौबत तक न पहुंचे कि कोर्ट्स में पहुंचाये जायें। जो कोर्ट्स को भेजने लायक होते हैं उनको भेजा जाता है और उनमें भी अगर किसी माननीय सदस्य को कोई शिकायत हो तो वह मेरे पास आवें, गवर्नमेंट के पास आ सकते हैं और यहां भी संतुष्ट न हो तो हाउस के सामने आ सकते हैं। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं एक बात जानना चाहता हूं। क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करने को तैयार है कि अगर कोई केस ऐडजुडिकेशन को न भेजा जाय सरकार के द्वारा तो क्या सरकार उस लेबर यूनियन को या सम्बन्धित व्यक्तियों को कारण बतलाने के लिये तैयार है कि आपका केस इसलिये नहीं भेजा गया?

आचार्य जुगलकिशोर---कोई इस तरह का कारण नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा ४-ट के पश्चात् निम्न नई धारायें ४-ठ व ४-ड निम्न-प्रकार बढ़ा दी जायं---

"४-ठ---राज्य सरकार किसी भी उद्योग के सम्बन्ध में मजदूरी, महंगाई एवं बोनस आदि के समुचित निर्धारण के निश्चय करने हेतु नियमानुसार आवश्यकता पड़ने पर एक 'मजदूरी-निर्धारण बोर्ड' (Wage Board) बना सकती है, जिसमें संबंधित मजदूर-संगठनों के प्रतिनिधि अवश्य होंगे।"

"४-ड---राज्य सरकार के लिये प्रत्येक औद्योगिक झगड़े को निर्णयार्थ समझौता अधिकारी द्वारा समझौता न हो सकने पर श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण अथवा पंचनिर्णय के पास नियमानुसार भेजना आवश्यक होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६ (क्रमागत)

श्री जगन्नाथमल्ल---श्रीमन्, जो संशोधन माननीय पालीवाल जी ने प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। इसलिए करता हूं कि अगर सरकार एक बात मान ले तो फिर इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं रह जायगी। लेकिन अगर उस बात को सरकार नहीं मानती है तो मैं समझता हूं यह संशोधन बहुत जरूरी है। वह बात यह है कि सरकार यह जितने लेबर कोर्ट्स या इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बन रहे हैं उनको हाईकोर्ट के अधीन कर दे। उसमें उनके जितने ट्रांस्फर हों, प्रोमोशन हों, डिग्रेड करना हो तो हाई कोर्ट से ही होगा और जिस तरह से और मातहत कोर्ट्स होते हैं उस तरह से रहें। तो फिर इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो श्रीमन्, हमें सरकार से पूरा डर रहता है। अगर हाईकोर्ट के जज की हैसियत का आदमी नहीं रहेगा तो सरकार उसे जरूर कुछ न कुछ इधर-उधर करने को कह देगी। [**]

यह अखबार में निकला हुआ है लीडर में २९ तारीख के . . .

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---श्रीमन्, अखबार तो कोट नहीं हो सकता . . .

श्री जगन्नाथमल्ल---कोट नहीं कर रहा हूं। मैं इन्फार्मेशन के लिए कह रहा हूं कि जो मन्त्री ऐसा कह सकता है वह क्या नहीं कर सकता। [**]

नोट---(१) खण्ड ५---२९ अक्तूबर, १९५६ को स्वीकृत हुआ।

(२) खण्ड ६---२९ अक्तूबर, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

[**] श्री उपाध्यक्ष के निर्णय के अनुसार हटा दिया गया।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी के सम्बन्ध में जो सूचना आप दे रहे हैं क्या उसकी व्यक्तिगत जानकारी माननीय सदस्य को है कि मन्त्री जी ने ऐसा कहा ? यदि नहीं है तो इस तरह का आक्षेप उनके ऊपर नहीं करना चाहिए।

श्री जगन्नाथमल्ल---मतलब यह है कि अखबार में निकला हुआ है। यह मैं अपनी सूचना जो है वह सूचना मैं कह रहा हूं। अगर मन्त्री जी इसको डिनाई करते हैं तो उस अखबार वाले के ऊपर मुकदमा चला दें। साफ बात है, अगर यह गलत है तो अखबार वाले के ऊपर मन्त्री जी मुकदमा चला दें।

श्री उपाध्यक्ष---मगर कोई आरोप केवल अखबार के आधार पर करना तो ठीक नहीं है।

श्री जगन्नाथमल्ल---आरोप नहीं लगा रहा हूं, श्रीमन्। मैं केवल एक बात बता रहा हूं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं।

वन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह प्रोसीडिंग का पार्ट फार्म करेगा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---यह प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं रहेगा। अगर माननीय सदस्य अपने जाती इल्म से कोई बात कहते हैं तो वह तो प्रोसीडिंग का पार्ट हो सकता है, लेकिन इस तरह यह प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं हो सकता।

श्री जगन्नाथमल्ल---श्रीमन्, जाती और बेजाती का कोई प्रश्न नहीं है। मैं कोई कांग्रेसी तो हूं नहीं कि मैं वहां मौजूद रहा होऊं। लेकिन यह खबर अखबार में निकली हुई है।

श्री उपाध्यक्ष---तो माननीय सदस्य इतना आग्रह न करें, अखबार के ही आधार पर।

श्री नारायणदत्त तिवारी---प्वाइन्ट आफ आर्डर। श्रीमन्, जो वास्तविक वैधानिक प्रश्न है, वह तो आपको यह बतलाना है कि क्या कोई सदस्य सदन में किसी किताब का या किसी अखबार के लेख या समाचार-पत्र की सूचना का मुंहजबानी उद्धरण नहीं दे सकता है, वैसे पढ़ कर नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---उसका जिक्र हो सकता है, लेकिन उसके आधार पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता।

श्री जगन्नाथमल्ल---तो श्रीमन्, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। केवल उसका जिक्र कर रहा हूं। इसके आधार पर वह प्रोसीडिंग का पार्ट रहना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि मैं अपना निर्णय दे चुका हूं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इसमें जरा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वह प्रोसीडिंग का पार्ट होगा या नहीं होगा ?

श्री उपाध्यक्ष---नहीं होगा, यह मैं निर्णय दे चुका।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, जरा साफ हो जाय कि प्रोसीडिंग का पार्ट क्या नहीं होगा, कौन सी बात प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं होगी ?

श्री उपाध्यक्ष---यह अखबार के आधार पर जो आरोप लगा रहे हैं यह प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं होगा। यह जो आरोप मन्त्री जी के ऊपर लगाया है यह प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं होगा।

श्री जगन्नाथमल्ल---मैं जब आरोप लगाऊं तब न श्रीमन्, वह प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं होगा? मैं तो कह रहा हूं कि मेरा कतई आरोप नहीं है। मैं तो एक मिसाल दे रहा था कि इस तरह की बात जब होती है तो एक शुबहा मैं जाहिर कर रहा हूं कि इस किस्म की . . .

श्री उपाध्यक्ष---इस बात का कह देना कि मन्त्री महोदय ने कोई बात कही है तो यह आरोप के तौर पर आ जाता है। इसलिए इस सम्बन्ध में मैं कह चुका हूं।

श्री जगन्नाथमल्ल---तब तो श्रीमन्, मैं क्या करूं? आपकी रूलिंग के आगे तो नतमस्तक रहना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने तो साफ ही कह दिया और अब तो मैं आरोप ही लगा रहा हूं। जब निकल ही जायगा तो मैं यह आरोप ही उनके ऊपर लगा रहा हूं।

तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि यह हम लोगों को डर है कि सरकार इस तरह से अपने अफसरों से जबरदस्ती कोई गड़बड़-सड़बड़ न करा दे, यह मेरा शुबहा है इस सरकार पर। इसलिए मैं चाहता हूं कि हाई कोर्ट का जज अगर रहेगा, तो इस किस्म की चीज नहीं होगी?

आचार्य जुगलकिशोर---मुझे मालूम नहीं कि कौन से संशोधन के ऊपर विचार हो रहा है? पांडेवाल जी के संशोधन के ऊपर? तो यह जो संशोधन है इसके ऊपर तो पहले एक बार विचार कर चुके कि इन जजेज के बारे में हमारी यह राय नहीं है, गवर्नमेंट की, कि जजेज ही लाजिमी तौर से एपवाइन्ट किये जायं।

जहां पर कि लेबर कोर्ट्स और इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल बनायेंगे उनमें जजेज के अलावा और व्यक्ति भी बना सकते हैं जिसका जिक्र पहली धाराओं में किया गया है और यह जो धारा है इसमें तो केवल गवर्नमेंट जब यह समझे कि कोई ऐसा मामला है जो कि एक इन्डस्ट्री से दूसरी इन्डस्ट्री के ऊपर भी असर रखता हो या इतना महत्वपूर्ण हो तब वह किसी तीन व्यक्ति के ट्रिब्युनल की अनुमति दे सकती है और उसमें वे लोग होंगे जो हमारे नियमों के अनुसार जो कि हम कह चुके हैं कि लेबर कोर्ट के और इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल में बैठने के अधिकारी होंगे, उनमें से तीन का सवाल है। तो वह तो गवर्नमेंट की स्वेच्छा पर है कि वह भेजती है या नहीं भेजती है इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल में। अगर भेजती है तो एक के बजाय तीन व्यक्ति हों और वह व्यक्ति हों जो कि ट्रिब्युनल और कोर्ट में बैठने के अधिकारी हों, जैसा कि हम पहले ही निर्णय कर चुके हैं। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा ५-क (१) के अन्त में निम्न शब्द बढ़ा दिये जायं---

"प्रतिबन्ध यह है कि ये तीनों व्यक्ति हाई कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जजों की योग्यता के व्यक्ति होंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा ५-क के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द "संघटन" के बाद एक "अर्ध विराम" रखा जाय।

यह शाब्दिक है ताकि दोनों का अर्थ लगाने में मतभेद न हो। मुझे आशा है कि मन्त्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

आचार्य जुगलकिशोर---मैं यह स्वीकार करता हूं।]

श्री जगन्नाथमल्ल---श्रीमन्, यह हमें भी स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा ५-क के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द "संघटन" के बाद एक "अर्ध विराम" रक्खा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा ५-घ के भाग (१) के अन्त का "पूर्ण विराम" हटाकर "अर्द्ध विराम" रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :---

"अथवा जिसको वह किसी पंचनिर्णय का परिपालन (implementation) स्थापित करने, अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने किसी अन्य कर्त्तव्य को पूरा करने के निमित्त आवश्यक समझता है और उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए समझौता अधिकारी को वही अधिकार होंगे जो कि कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अन्तर्गत लेख्यों (documents) को अपने समक्ष प्रस्तुत कराने के विषय में किसी दीवानी न्यायालय में निहित होते हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें समझौता अधिकारी को अधिकार दे दिया गया है कि कोई समझौता अधिकारी किसी लेख्य को मांग सकता है या उसका निरीक्षण कर सकता है जोकि औद्योगिक झगड़ों का फैसला करने के लिये वह आवश्यक समझता है। उसको पहले यह अधिकार दिया गया है कि जो पंचनिर्णय हो, आर्बिट्रेशन हो उसको कार्यान्वित करा सके। इसलिये उसको यहां भी अधिकार दे दिया जाय जिससे वह उस निर्णय को कार्यान्वित करा सके।

आचार्य जुगलकिशोर---यह आवश्यक है और मैं इसको स्वीकर करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा ५-घ के भाग (१) के अन्त का "पूर्ण विराम" हटाकर "अर्द्ध विराम" रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाय---

"अथवा जिसको वह किसी पंचनिर्णय का परिपालन (implementation) स्थापित करने अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने किसी अन्य कर्त्तव्य को पूरा करने के निमित्त आवश्यक समझता है और उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये समझौता अधिकारी को वही अधिकार होंगे जो कि कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अन्तर्गत लेख्यों (documents) को अपने समक्ष प्रस्तुत कराने के विषय में किसी दीवानी न्यायालय में निहित होते हैं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा ५-घ के भाग (२) की पंक्ति २ और ३ के शब्द "उचित" से "पश्चात्" तक निकाल दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि कोई समझौता अधिकारी किसी झगड़े की आशंका होने पर वहां जाना चाहे तो जो शब्द "उचित नोटिस देने के पश्चात् किसी भी संस्था द्वारा अध्यासित किसी भूगृहादि में प्रवेश कर सकता है" इसमें से यह "उचित नोटिस देने के पश्चात्" शब्द निकाल दिये जायं। इससे मेरी मंशा यह है कि कहीं इसका फायदा मिल मालिक न उठा लें। मान लीजिये किसी फैक्ट्री में झगड़ा हो गया है और समझौता अधिकारी वहां पहुंचता है तो उसको वह रोक सकता है, क्योंकि वह कह सकता है कि इसमें उचित नोटिस देने की बात है तो आपने उचित नोटिस नहीं दिया, इसलिये उसको फैक्ट्री में नहीं जाने देगा और इतनी देर में जो वह कर सकता है, करेगा। ऐसी हालत में मैं चाहूंगा कि ये शब्द निकाल दिये जायं, बल्कि उस अधिकारी को अधिकार रहे कि वह जहां चाहे जा सकता है। यहां यह कहा जायगा कि कहीं इससे वह किसी के मकान में न घुस जाय। उसके लिये मैं यह

[श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी]

कहूंगा कि फैक्ट्री में मकान नहीं होते हैं और वह एक निर्धारित जगह पर होती है, उसमें जो फैक्ट्री लाज हैं वह लागू होते हैं और मेरा ख्याल है कि मंत्री जी इसको अवश्य स्वीकार कर लेंगे।

श्री रामनाथ मल्ल—श्रीमन्, जो संशोधन अवस्थी जी ने रखा है वह ठीक है क्योंकि बहुत से केसेज में मिल मालिक कागजात इत्यादि नहीं देते हैं और कह देते हैं कि हमारे पास नहीं है। यदि उनको उचित नोटिस दिया जायगा तो वह कागजात गायब कर देंगे। इसलिये उसको अधिकार होना चाहिये कि बिना नोटिस के वह कागजात देख सकें। इसलिये ये शब्द निकाल दिये जायं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय अवस्थी जी ने उपस्थित किया है और जिसका समर्थन माननीय मल्ल जी ने किया है, वह संशोधन उन दिक्कतों को अवश्य दूर कर सकता है जिनकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। लेकिन ऐसा संशोधन भले ही हमारी किसी मंशा को पूरी करने वाला हो लेकिन वह वैधानिक होगा या नहीं, यह संदेहात्मक बात है। हर एक को अपनी प्राइवेट प्रापर्टी में एक खास राइट होता है और उसको अधिकार है कि वह अपने मकान के अन्दर आने से किसी को रोके या न आने दे। अगर उचित नोटिस देते हैं तब ठीक है, क्योंकि हमेशा से यह कायदा रहा है कि ऐसे केसेज में जहां पब्लिक इंटरेस्ट इन्वाल्व हो वहां ड्यू नोटिस देकर आदमी जा सकता है। इस हद तक तो हमारी अदालतों ने माना है। इसलिये यदि यह चीज हटा दी जायगी तो हमारी अदालतों में प्राइवेट प्रापर्टी की सैंकटिटी को लेकर कहीं इस कानून की मंशा उस हद तक भी न खत्म हो जाय जिस हद तक कि इस धारा के द्वारा उपस्थित की गई है।

इसलिये यदि माननीय अवस्थी जी स्वीकार कर लें तो उनके संशोधन में "उचित" शब्द के बाद "रीजनेबिल" रख दिया जाय, क्योंकि उचित शब्द बहुत ही वेग है। इसलिये रीजनेबिल भी इसके साथ-साथ रख दिया जाय, दूसरे रीजनेबिल का हिन्दी शब्द उचित, ठीक है या नहीं इसमें मुझे शुबह है। कोर्ट्स में दिक्कत पड़ सकता है। हमें देखना पड़ेगा कि "उचित" शब्द से "रीजनेबिल" का अर्थ निकलता है या नहीं। उपयुक्त शब्द हो सकता है इसलिये "रीजनेबिल" रख दिया जाय तो अच्छा है "रीजनेबिल" शब्द बहुत सी अदालतों से तय हो चुका है। हर एक आफिसर जो नोटिस देगा, उसके लिये यह कहा जा सकता है कि नोटिस उचित समय में नहीं दिया, उचित आदमी के हाथ में नहीं भेजा और कोर्ट में एक लम्बी-चौड़ी फेहरिस्त पैदा हो जायगी और इस "उचित" शब्द के लिखने से तो उसकी इन्ट्री हमेशा के लिये बन्द हो जायगी इसलिये उचित यही है कि शब्द "रीजनेबिल" इसमें रख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—तो मैं क्या यह मान लूं कि आप जो संशोधन पेश कर रहे हैं वह यह है कि "उचित" शब्द के बाद शब्द "reasonable" रख दिया जाय ?

श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—मैं, उपाध्यक्ष महोदय, अवस्थी जी के संशोधन का समर्थन और बहुगुणा जी के संशोधन का विरोध करता हूं। आपने अंग्रेजी का शब्द "रीजनेबिल" रखा है। मैं इसको उचित नहीं समझता कि खामखा अंग्रेजी का शब्द घुसेड़ा जाय। बहुगुणा जी का यह भी तर्क है कि यह अदालत में जाकर खारिज हो सकता है और अमान्य ठहराया जा सकता है, तो उसके लिये यह सदन है जिसे अधिकार है कि जनता के हित के अनुसार समय-समय पर कानून बना सकती है, बदल सकती है। ऐसी अवस्था में संशोधन अवस्थी जी का ही मानना उचित होगा।

आचार्य जुगलकिशोर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अवस्थी जी के संशोधन से तो सहमत नहीं हूं। इस खयाल से यह बात है कि कोई न कोई नोटिस तो देना आवश्यक है ही। जो

संशोधन बहुगुणा जी की तरफ से रखा गया है उससे कुछ हद तक हो सकता है कि उतने वाद-विवाद इस संबंध में न पैदा हों। इसीलिये मैं अवस्थी जी के संशोधन का विरोध करते हुये बहुगुणा जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है कि इस ऐक्ट पर विचार करते समय दूसरे ऐक्ट जो मजदूरों के संबंध में हैं उनको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। फैक्ट्री ऐक्ट में इंस्पेक्टर को पावर्स हैं कि वह बिना किसी नोटिस के किसी फैक्ट्री में जा सकता है और इंस्पेक्शन कर सकता है। लेकिन फिर भी माननीय मंत्री जी को एतराज है तो मैं अपना संशोधन वापस कर सकता हूं क्योंकि अगर बहुगुणा जी का भी न पास हुआ तो "रीजनेबिल" शब्द भी निकल जायगा। ऐसी हालत में मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा ५-घ के भाग (२) की पंक्ति २ के शब्द "उचित" के बाद शब्द "reasonable" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

७---मूल अधिनियम की धारा ६ तथा ६ (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, यथा---

पंच-निर्णय तथा उन पर की जाने वाली कार्यवाही।

"६ (१)---जब कोई भी औद्योगिक झगड़ा किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के पास निर्णयार्थ भेजा जाय तो वह उन पर शीघ्रता के साथ कार्यवाही करेगा और उसकी समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार के पास निर्णय प्रस्तुत करेगा।

(२) श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण का निर्णय लिखित होगा और उस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

(३) उपधारा (४) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक मध्यस्थ निर्णय तथा श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण का निर्णय राज्य सरकार के पास पहुंचने के तीस दिन के भीतर ऐसी रीति से प्रकाशित किया जायगा, जिसे राज्य सरकार उचित समझे,

(४) राज्य सरकार उपधारा (३) के अधीन श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के निर्णय के प्रकाशन के पूर्व स्वतः अथवा उसे प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, निर्णय को निर्णायक प्राधिकारी (adjudicating authority) के पास पुनर्विचारार्थ प्रेषित कर सकती है तथा वह प्राधिकारी पुनर्विचार के पश्चात् अपना निर्णय राज्य सरकार के पास प्रस्तुत करेगा तथा राज्य सरकार उस निर्णय को उपधारा (३) में दी गई रीति से प्रकाशित करेगी।

(५) धारा ६ (क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपधारा (३) के अधीन प्रकाशित निर्णय अन्तिम होगा और उस पर

[श्री उपाध्याय]

किसी भी न्यायालय में किसी भी रीति से आपत्ति न की जा सकेगी।

(६) श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा मध्यस्थ, स्वतः या झगड़े से सम्बद्ध किसी पक्ष द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर निर्णय की किसी भी लिपिक अथवा गणना की अशुद्धि को अथवा किसी भी आकस्मिक त्रुटि अथवा चूक के कारण हुई किसी गलती को ठीक कर सकता है। जब उपर्युक्त प्रकार से कोई गलती ठीक की जाय तो आज्ञा की एक प्रति राज्य सरकार के पास भेजी जायगी तथा निर्णय के प्रकाशन सम्बन्धी इस अधिनियम के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित उस पर लागू होंगे।

निर्णय का प्रारम्भ।

६-क—(१) कोई भी निर्णय (जिसके अन्तर्गत पंच-निर्णय भी है) धारा ६ के अधीन उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन पूरे होने पर प्रवर्तनीय हो जायगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की राय में राष्ट्रीय अथवा राज्य की अर्थ-व्यवस्था अथवा सामाजिक न्याय के आधार पर सम्पूर्ण निर्णय अथवा उसके किसी अंश को कार्यान्वित करना इष्टकर न हो तो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके घोषित कर सकती है कि निर्णय उपर्युक्त तीस दिन की अवधि बीत जाने पर प्रवर्तनीय (enforceable) नहीं होगा,

और प्रतिबन्ध यह भी है कि पंच-निर्णय तब भी प्रवर्तनीय न होगा जब राज्य सरकार का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे यह समाधान हो जाय कि पंच-निर्णय कपट संधि, धोखा अथवा मिथ्या व्यपदेशन (collusion, fraud or misrepresentation) के आधार पर दिया गया अथवा प्राप्त किया गया है।

(२) जब उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धक (proviso) के अधीन किसी निर्णय के सम्बन्ध में कोई घोषणा की जाय तो राज्य सरकार धारा ६ के अधीन निर्णय के प्रकाशन के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर निर्णय को अस्वीकृत अथवा परिष्कृत करते हुए एक आज्ञा जारी कर सकती है तथा प्रथम उपलब्ध अवसर पर आज्ञा की एक प्रति सहित निर्णय की प्रति राज्य विधान मंडल के समक्ष रक्खेगी।

(३) जब उपधारा (२) के अधीन दी गयी आज्ञा द्वारा अस्वीकृत अथवा परिष्कृत कोई भी निर्णय राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाय तो विधान मंडल में उसके रखे जाने के दिनांक से पच्चीस दिन व्यतीत हो जाने पर, वह निर्णय प्रवर्तनीय हो जायगा और जब उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धक के अधीन घोषणा के अनुसार उपधारा (२) के अधीन कोई आज्ञा न दी गयी हो तो उपधारा (२) में अभिदिष्ट नब्बे दिन की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् निर्णय प्रवर्तनीय होगा।

(४) निर्णय की प्रवर्तनीयता के संबंध में उपधारा (१) तथा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निर्णय ऐसे दिनांक से कार्यान्वित

होगा जो उसमें निर्दिष्ट की जाय किन्तु जब कोई भी दिनांक निर्दिष्ट न हो तब निर्णय उस दिनांक से कार्यान्वित होगा जब यथास्थित उपधारा (१) अथवा उपधारा (३) के अधीन निर्णय प्रवर्तनीय हो जाय।"

श्री ब्रजभूषण मिश्र—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा ६ की उपधारा (१) की पंक्ति ४ के शब्द "यथा शक्य शीघ्र" के स्थान पर शब्द "निर्णयार्थ भेजे जाने के डेढ़ मास के अन्दर" रख दिये जावें। इससे यह होगा कि जब कोई भी मामला श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के पास निर्णयार्थ भेजा जाय तो वह उस पर शीघ्रता के साथ कार्यवाही करेगा और उसकी समाप्ति कर निर्णयार्थ भेजे जाने के डेढ़ मास के अन्दर राज्य सरकार के पास निर्णय प्रस्तुत करेगा। इस संशोधन से मेरा वही अभिप्राय है जो मैंने पहले कहा कि इन मामलों में जल्दी लाई जाय। पहले कंसीलियेशन आफ़ीसर के यहां काफ़ी समय लगता है, उसके बाद रेफरेंस में भी समय लगता है और निर्णय के लिये आता है तब भी समय लगता है। इसमें औसत १२६ दिन का दिया गया है लेकिन कहीं-कहीं २ साल और डेढ़ साल भी लग जाता है। इतनी ढीली नीति से निर्णायक काम में लापरवाह होते हैं और यह भी शिकायत मिली है कि ऐडजूडिकेटर्स आफिस में देर से आते हैं और जल्दी उठ जाते हैं। बहुत लम्बा स्कोप देने से अफसरों में ढिलाई बढ़ती है। मैं चाहता हूं कि एक सीमा बांध दी जाय जिसके अन्दर वह अपना फैसला देकर सरकार को सूचित कर दें। फौजदारी के मामलों में भी सरकारी आदेश यही है कि ६ हफ्ते के अन्दर मामला तय हो जाना चाहिये। तो मैं नहीं समझता कि मजदूरों के मामले में इतनी ज्यादा देरी क्यों लगाई जाय जिससे उसे परेशान होना पड़े और न्याय नहीं मिले, जिससे मालिक लोग मौज करते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि मेरा यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मिश्र जी का संशोधन कुछ समझ में नहीं आया। खंड ६ के उपखंड (१) में लिखा है कि जब कोई भी औद्योगिक झगड़ा किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के पास निर्णयार्थ भेजा जाय तो वह उन पर शीघ्रता के साथ कार्यवाही करेगा। अब वह कार्यवाही करेगा, यानी निर्णय देने की कार्यवाही करेगा और उसकी समाप्ति पर, यानी निर्णय देने के बाद, उसे यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार के पास निर्णय प्रस्तुत करेगा। अर्थात् इसका मतलब स्पष्ट यह है कि जब कोई झगड़ा निबट जायगा तो उसकी सूचना मात्र यथाशक्य शीघ्र वह राज्य सरकार के पास भेज देगा। अब मिश्र जी यह प्रतिबन्ध लगा रहे हैं कि वह जब निर्णय कर ले और वह झगड़ा जब समाप्त हो जाय तो वह निर्णयार्थ राज्य सरकार के पास पहुंचे लेकिन राज्य सरकार उस निर्णय पर निर्णय नहीं लेगी बल्कि वह राज्य सरकार के पास केवल सूचनार्थ ही जायगा। तो इस प्रकार फिर से निर्णय के लिये राज्य सरकार के पास भेजना राज्य सरकार को दूसरी पावर देना है। इसलिये मैं समझता हूं कि थोड़ा अनुचित सा है।

अब मिश्र जी का जो भाव कि झगड़ों का निपटारा शीघ्र किया जाय वह बहुत अच्छा है। यह प्रतिबंध जरूर लगाया जा सकता है कि न्यायालयों में जो झगड़े जायं वे ज्यादा से ज्यादा डेढ़ माह के अन्दर तय हो जायं। इस प्रकार उनकी जो स्पिरिट है वह तो ठीक है लेकिन जो संशोधन उन्होंने पेश किया है उसके अनुसार तो राज्य सरकार को एक और अथारिटी दी जा रही है कि जो निर्णय अदालत ने दिया है उस पर राज्य सरकार पुनर्वीक्षण कर सके। इस प्रकार वह उस निर्णय को बदल भी सकती है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मिश्र जी इसको समझ कर इस संशोधन को वापिस ले लेंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय मिश्र जी ने उपस्थित किया है और जिसके सम्बन्ध में माननीय तेजप्रतापसिंह जी ने अपना

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

भाषण दिया उसके सिलसिले में मुझे दो एक बातें कहना है। हमें पहले यह समझना है कि प्रस्तावित विधेयक में जिस खंड को संशोधित करने की बात है वह क्या है। तरीका यह है कि सरकार के पास मामला जाता है कि इस केस में इंडस्ट्रियल डिसप्यूट एग्जिस्ट करती है। सरकार उचित समझे तो उसको कोर्ट में ऐडजूडीकेशन में भेज दे। तो सवाल यह है कि सरकार जिस दिन उसके पास भेजे, उसके लिये विधेयक में यह है कि वह उस को "यथाशक्य शीघ्र" (इसके लिये अंग्रेजी में "ऐज सून ऐज प्रेक्टीकल" शब्द का इस्तेमाल हुआ है), फैसला होने के बाद सरकार के पास भेज दे। वह फैसले को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। उस फैसले को तो सरकार इम्प्लीमेंट करती है। मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुइर मिल के केस में लिखा कि ट्रिब्यूनल को भी कायदे से चलना चाहिये। जब आर्डर शीट लिखा गया हुआ तो स्टेटमेंट के लिये एक डेट लगती है, रिजेक्शन के लिये एक डेट लगती है फिर काउंटर के ऐडमिशन और डिनायल के लिये एक डेट लगती है, उसके बाद ओरल एवीडेंस और फिर एवीडेंस के लिये एक डेट लगती है। इस प्रकार से कितने ही रोज का काम हो जाता है। अब मान लिया कि किसी के बोनस का ही मामला आ गया। तो ६५ चीजें मिलती हैं। उनकी ६५ बैलेंस शीट्स होती हैं और एक-एक बैलेंस शीट को पढ़ने और समझने में २, ३ रोज लग जाते हैं, फिर यह कैद लगा देना कि फैसला डेढ़ या दो माह में कर दिया जाय, इस प्रकार की शर्त लगा कर ऐडजूडीकेशन को दिक्कत में डालना है और उस के काम में परेशानियां पैदा करना है। इसलिये यह संशोधन कुछ उचित सा दिखायी नहीं देता है। मैं मिश्र जी से बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि ट्रिब्यूनल्स के बारे में देर से बैठने और जल्दी से उठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इन अदालतों में जब कभी बड़े-बड़े या छोटे-छोटे मुकदमे आते हैं तो छुट्टी के दिन भी कोर्ट बैठती है और मालिकों और मजदूरों के नुमायंदों के कहने से देर-देर तक भी बैठती है। हम तो कहते हैं कि इतवार के रोज भी बैठो और काम करो और वे उस दिन बैठते भी हैं। इसलिये उनके ऊपर यह लांछन लगाना मेरे खयाल से ठीक नहीं है। अगर उनको किसी ने इस तरह की जानकारी दी है तो वह जानकारी गलत है और यह एक अन्याय की बात हो गयी है। मैं इस संशोधन का इस कारण से मुख्य तौर पर विरोध करता हूं कि गवर्नमेंट या कोई भी निश्चित रूप से इसको कह ही नहीं सकता है कि किस मुकदमे में कितना समय लग जायगा। अगर हमने यहां विधेयक के अन्दर इस तरह की कोई सीमा बांध दी और मुकदमे के फैसला होने में किसी कारणवश कुछ देर हो गयी तब तो सारा ऐक्ट ही इनवैलिड हो जायगा। इसीलिये इसमें "ऐज सून ऐज पासिबिल" रख दिया गया है। इसलिये जो विधेयक का खंड इस सदन में उपस्थित किया गया है उसको तो मैं ताईद करता हूं और संशोधन का विरोध करता हूं।

आचार्य जुगलकिशोर—अध्यक्ष महोदय, डेढ़ मास की मियाद एक देने का जो संशोधन पेश किया गया है मैं समझता हूं कि विधेयक में जो "यथा शक्य शीघ्र" रखा गया है वह तो डेढ़ महीने से जल्दी ही होने की बात है। हो सकता है कि दो दिन के अन्दर ही अगर कोर्ट फैसला कर दे तो वह उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास भेज दे। देर लगने का सवाल तो तब उठता है जब कोई इस तरह का इनजंक्शन किसी कोर्ट की तरफ से आ जाता हो, वरना साधारणतया तो कोर्ट अपनी कार्यवाही समाप्त करने के बाद उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास भेज ही देती है। मैं समझता हूं कि जिस रूप में यह विधेयक के अन्दर मौजूद है उसमें तो वे जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास कार्यवाही करने के लिये भेज ही सकते हैं। फिर डेढ़ महीने की सीमा रख कर एक रोक लगा देना ठीक नहीं होगा। दूसरी बात यह कि हो सकता है कि हाई कोर्ट की तरफ से कोई इंजंक्शन किसी मामले में आ जाय तब तो देर लाजिमी तौर पर हो ही जायगी, ऐसी हालत में भी डेढ़ महीने की लिमिट रखने से कार्यवाही में बाधा पड़ सकती है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मंत्री जी कहते हैं कि "यथाशक्य शीघ्र" तो डेढ़ महीने से भी जल्दी पड़ता है तो फिर उसको रख लेने में आपको क्या

आपत्ति हो सकती है ? इसलिये मैं तो यही निवेदन करूंगा कि इसको रहने दिया जाय। जब आप जल्दी करते ही हैं तो फिर मैं नहीं समझता कि डेढ़ महीने की मियाद रखने से आप के काम में क्या बाधा पड़ेगी ?

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा ६ की उपधारा (१) की पंक्ति ४ के शब्द "यथा शक्य शीघ्र" के स्थान पर शब्द "निर्णयार्थ भेजे जाने के डेढ़ मास के अन्दर" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा——उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करता हूं——

खंड ७ के प्रस्तावित धारा ६ के भाग (४) की पंक्ति २ तथा ३ में शब्द "स्वतः" से "जाने पर" तक निकाल दिये जायं।

यह बहुत मामूली सी बात है क्योंकि यह जो खंड ६ है उसमें कहा गया है कि जब कोई ऐडजुडिकेटर गवर्नमेंट के पास एवार्ड भेजता है और गवर्नमेंट उसमें कोई दिक्कत महसूस करे तो उस को फिर ऐडजुडिकेटर के पास भेज सकती है। इसमें है "स्वतः अथवा उसे प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर" तो यह कोई कैसे समझेगा कि फैसला हुआ है या नहीं फिर कौन प्रार्थना-पत्र देगा ? अगर कोई प्रार्थना-पत्र देगा, इसका मतलब तो यही होगा कि एवार्ड लीक आउट हो गया है। इसलिये मैं यह संशोधन पेश करता हूं और आशा करता हूं कि यह स्वीकार किया जायगा।

आचार्य जुगलकिशोर——मुझे यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड ७ के प्रस्तावित धारा-६ के भाग (४) की पंक्ति २ तथा ३ में शब्द "स्वतः" से "जाने पर" तक निकाल दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथमल्ल——उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा ६ की उपधारा (४) को निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, इसमें सरकार अपने हाथ में यह अधिकार ले रही है कि जब कोई निर्णय उसके पास आवे तो जब चाहे वह उसको फिर से निर्णय के लिये ऐडजुडिकेटर के पास भेज सकती है। इसलिये यह अधिकार सरकार को नहीं लेना चाहिये, जो निर्णय हो जाय वह ठीक है, उस में फिर से सरकार के लिये दखल देना उचित नहीं है।

आचार्य जुगलकिशोर——उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि उसकी कोई अपीलेट कोर्ट तो है नहीं जहां ठीक हो सके, अगर एवार्ड में कोई कमी रह गई तो उसको देखने के लिये सरकार को मौका मिलना चाहिये और उसे देखना चाहिये। इस लिये मैं इसका विरोध करता हूं, आशा है वह इसे वापस लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा ६ की उपधारा (४) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी——उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा ६-क की उपधारा (३) की पंक्ति ४ में शब्द "पच्चीस" के स्थान पर शब्द "पंद्रह" रख दिया जाय।

मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके अच्छा है और बहुगुणा जी को कोई एतराज न हो तो इसे स्वीकार किया जाय।

आचार्य जुगलकिशोर—मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा ६—क की उपधारा (३) की पंक्ति ४ में शब्द "पच्चीस" के स्थान पर शब्द "पंद्रह" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथ मल्ल—उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अब ४ बज गये हैं और १ घंटा बाकी है, अच्छा है कि जो आवश्यक और महत्वपूर्ण संशोधन हैं उन्हीं पर ज्यादा ध्यान दिया जाय।

खण्ड ८

८—मूल अधिनियम की धारा ६—क के पश्चात् नई धारायें ६—ख से ६—द तक के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"६—ख—(१) समझौता कार्यवाहियों के दौरान से भिन्न दशा में मालिक और मजदूरों में करार द्वारा किया गया कोई भी निपटारा सिवाय उपधारा (४) में दी हुई अवस्था के करार के पक्षों पर बन्धनकारी होगा।

समझौते की कार्यवाहियों से बाहर निपटारा।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित निपटारा हो जाने के पश्चात् तुरन्त ही निपटारे के पक्ष अथवा उनमें से कोई संबद्ध क्षेत्र के समझौता अधिकारी के पास नियत रीति से निपटारे के पंजीयन (registration) के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

(३) उपधारा (२) के अधीन पंजीयन का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर समझौता अधिकारी, अथवा राज्य सरकार द्वारा एतद्वर्थ विज्ञापित कोई भी अन्य प्राधिकारी, या तो (१) नियत रीति से निपटारे को पंजीबद्ध करेगा, या (२) यदि वह राष्ट्रीय अथवा राज्य की अर्थ व्यवस्था अथवा सामाजिक न्याय पर प्रभाव डालने वाले सार्वजनिक कारणों से, अथवा इस कारण कि निपटारा कपटसंधि, धोखा अथवा मिथ्या-व्यपदेशन के आधार पर हुआ है निपटारे को पंजीबद्ध करना अनुपयुक्त (in expedient) समझता है तो वह उसे पंजीबद्ध करने से इन्कार कर देगा।

(४) जब उपधारा (१) के अधीन निपटारे का पंजीयन अस्वीकृत कर दिया गया हो तब वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रवर्तनीय न होगा।

६-ग---कोई भी निर्णय प्रथमतः एक वर्ष तक अथवा ऐसी लघुतर अवधि के लिये जो उसमें निर्दिष्ट हो कार्यान्वित रहेगा :

श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा मध्यस्थ का निर्णय तथा इसकी कार्यान्विति ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार समय-समय पर, निर्णय की कार्यान्विति की अवधि बढ़ा सकती है यदि वह ऐसा करना उचित समझे,

और प्रतिबन्ध यह भी है कि जब राज्य सरकार स्वतः अथवा निर्णय से आबद्ध किसी पक्ष के प्रार्थना-पत्र पर यह समझे कि निर्णय हो चुकने के बाद से उन परिस्थितियों में जिन पर वह आधारित था सारवान परिवर्तन हुआ है तो राज्य सरकार ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे निर्णय की कार्यान्विति की अवधि को कम कर सकती है ।

६-घ---किसी भी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों का आरंभ तथा उनकी समाप्ति ।

कार्यवाहियां उस दिनांक पर आरम्भ हुई समझी जायंगी जिस पर झगड़ा निर्णयार्थ उन्हें भेजा गया हो तथा ऐसी कार्यवाहियां उस दिनांक को समाप्त समझी जायंगी जिस पर धारा ६-क के अधीन निर्णय प्रवर्त-नीय होता हो ।

६-ङ---(१) किसी भी औद्योगिक झगड़े के विषय में किसी समझौता अधिकारी अथवा बोर्ड के समक्ष समझौते संबंधी किसी कार्यवाही, अथवा किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही के, विचाराधीन रहने के दौरान में कोई भी मालिक---

कार्यवाहियों के विचाराधीन रहने के दौरान में कुछ परिस्थितियों में सेवा की शर्तों इत्यादि का अपरिवर्तनीय रहना ।

(क) झगड़े से सम्बद्ध किसी विषय में, ऐसी कार्यवाही के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व मजदूरों पर लागू सेवा की शर्तों में ऐसे झगड़े से सम्बद्ध मजदूरों के हितों के प्रतिकूल कोई परिवर्तन न करेगा, अथवा

(ख) झगड़े से सम्बद्ध किसी दुर्व्यवहार के लिये उक्त झगड़े से सम्बद्ध किसी मजदूर को बरखास्तगी द्वारा या अन्य किसी प्रकार से दंडित अथवा सेवामुक्त (discharged) न करेगा सिवाय उस दशा के जब कि एतदर्थ उस प्राधिकारी की जिसके समक्ष कार्यवाही विचाराधीन हो लिखित रूप से स्पष्ट अनुमति न मिल गयी हो;

[श्री उपाध्यक्ष]

(२) किसी औद्योगिक झगड़े के सम्बन्ध में ऐसी किसी कार्यवाही के विचाराधीन रहने के दौरान में, ऐसे झगड़े से सम्बद्ध किसी मजदूर पर लागू स्थायी आज्ञाओं के अनुसार मालिक—

(क) झगड़े से असम्बद्ध किसी विषय में ऐसी कार्यवाही आरम्भ होने से तत्काल पूर्व, मजदूर पर लागू सेवा की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है, अथवा

(ख) झगड़े से असम्बद्ध किसी भी दुर्व्यवहार के निमित्त उस मजदूर को बरखास्तगी द्वारा या अन्य किसी प्रकार से सेवा-मुक्त अथवा दंडित कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई भी मजदूर तब तक सेवामुक्त अथवा बरखास्त न किया जायगा जब तक कि उसे एक महीने की मजदूरी न दे दी जाय तथा मालिक द्वारा उस प्राधिकारी को जिसके समक्ष मालिक द्वारा किये गये कार्य के अनुमोदन के लिए कार्यवाही विचाराधीन हो, एक प्रार्थना-पत्र न दे दिया जाय।

(३) उपधारा (२) में किसी बात के होते हुए भी कोई भी मालिक औद्योगिक झगड़े के सम्बन्ध में विचाराधीन ऐसी किसी कार्यवाही के दौरान में ऐसे झगड़े से सम्बद्ध किसी संरक्षित मजदूर (protected workman) के विरुद्ध—

(क) ऐसी कार्यवाही के प्रारम्भ से ठीक पूर्व ऐसे संरक्षित मजदूर पर लागू होने वाली सेवा की शर्तों में, उसके हितों के प्रतिकूल, परिवर्तन की, अथवा

(ख) ऐसे संरक्षित मजदूर को बरखास्तगी या अन्य किसी प्रकार से दण्ड देकर अथवा उन्मुक्त करने की कार्यवाही नहीं करेगा,

जब तक कि उस प्राधिकारी की जिसके समक्ष कार्यवाही विचाराधीन हो लिखित स्पष्ट अनुज्ञा प्राप्त न हो जाय।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के निमित्त किसी संस्था के सम्बन्ध में "संरक्षित मजदूर" (protected workman) से तात्पर्य है ऐसा मजदूर जो उस संस्था से सम्बद्ध रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का अधिकारी हो और इस सम्बन्ध में बने हुए नियमों के अनुसार इस प्रकार अभिज्ञात हो।

(४) प्रत्येक संस्था में उन मजदूरों की संख्या जो उपधारा (३) के प्रयोजनों के निमित्त संरक्षित मजदूर अभिज्ञात किये जायेंगे, कुल नियुक्त मजदूरों की संख्या के एक प्रतिशत से अधिक न होगी किन्तु कम से कम यह संख्या पांच होगी और अधिकाधिक एक सौ होगी तथा उपर्युक्त प्रयोजन के निमित्त राज्य सरकार संस्था से सम्बद्ध विभिन्न ट्रेड यूनियनों में, यदि कोई हों, संरक्षित मजदूरों के वितरण की व्यवस्था के सम्बन्ध में तथा रीति जिसके अनुसार वे चुने जायेंगे, तथा संरक्षित मजदूरों के रूप में अभिज्ञात होंगे, नियम बना सकती है।

(५) जब कोई भी मालिक उपधारा (२) के प्रतिबन्धक के अधीन बोर्ड, श्रम-न्यायालय, या न्यायाधिकरण के पास अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की स्वीकृति के लिए प्रार्थना-पत्र दे तो सम्बद्ध प्राधिकारी अविलम्ब ऐसे प्रार्थना-पत्र की यथासंभव शीघ्रता से सुनवाई करेगा और तद्विषयक ऐसी आज्ञा पारित करेगा जिसे वह उचित समझे।

कार्यवाहियों के विचार-काल में सेवा आदि के प्रतिबंधों में परिवर्तन के सम्बन्ध में न्यायिक विचार के निमित्त विशेष व्यवस्था।

६-च—जब किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के विचार-काल में कोई मालिक धारा ६-ङ के उपबंधों का उल्लंघन करे तब ऐसे उल्लंघन से क्षुब्ध कोई भी मजदूर श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के पास, जैसी भी दशा हो, लिखित रूप से परिवाद प्रस्तुत कर सकता है तथा इस परिवाद की प्राप्ति पर श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण, जैसी भी दशा हो, उस परिवाद पर इस प्रकार विचार करेगा मानों कि वह इस अधिनियम के अधीन उसके पास अभिदिष्ट अथवा उस के समक्ष विचाराधीन झगड़ा हो तथा वह अपना निर्णय राज्य सरकार के पास प्रस्तुत करेगा और इस अधिनियम के उपबन्ध उस पर तदनुसार लागू होंगे।

कुछ कार्यवाहियों को संक्रामित करने का अधिकार।

६-छ—(१) राज्य सरकार लिखित आज्ञा देकर तथा उस आज्ञा में उल्लिखित कारण पर इस अधिनियम के अधीन किसी भी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन कार्यवाहियों को वापस ले सकती है अथवा किसी विचाराधीन कार्यवाही को एक श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण से दूसरे श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को, जैसी भी दशा हो, उन कार्यवाहियों के विस्तारणार्थ संक्रामित कर सकती है तथा वह श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण जिसे कार्यवाहियां इस प्रकार संक्रामित की जायं, संक्रमण आज्ञा में उल्लिखित किन्हीं विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए या तो नये सिरे से या उस चरण से जहां से कार्यवाहियां संक्रामित हुई हों, सुनवाई आरम्भ करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब धारा ६-ङ अथवा धारा ६-च के अधीन कोई कार्यवाही किसी न्यायाधिकरण के समक्ष विचार धीन हो तो वह कार्यवाही श्रम न्यायालय को भी संक्रामित की जा सकती है।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, कोई भी न्यायाधिकरण यदि राज्य सरकार ने उसे इस प्रकार प्राधिकृत किया हो, तो धारा ६-च अथवा ६-ङ के अधीन अपने समक्ष विचाराधीन किसी कार्यवाही को ऐसी कार्यवाहियों के निस्तारण के लिए राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञापित करके ऐसी कार्यवाहियों के लिए निर्दिष्ट श्रम न्यायालयों में से किसी को संक्रामित कर सकती है तथा वह श्रम न्यायालय जिसे इस प्रकार कार्यवाही संक्रामित की गयी हो उसे निस्तारित करेगा।

मालिक द्वारा देय धनराशि की वसूली।

६-ज—(१) जब किसी मालिक द्वारा धारा ६-ञ से ६-द के उपबन्धों के अधीन अथवा किसी निपटारे अथवा निर्णय, अथवा संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ ई० के अधीन उत्तर प्रदेश औद्योगिक (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५६ के प्रारम्भ से पूर्व, कोई धनराशि किसी मजदूर को देय हो तो वसूली के अन्य किसी ढंग को बाधित न करते हुए मजदूर राज्य सरकार के पास धनराशि की वसूली के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है और यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसी कोई धनराशि देय है तो राज्य सरकार उस धनराशि का प्रमाण-पत्र कलेक्टर को दे देगी जो उसे उसी प्रकार वसूल करने की कार्यवाही करेगा मानो कि वह मालगुजारी की बकाया हो।

[श्री उपाध्यक्ष]

(२) जब कोई मजदूर मालिक से कोई ऐसा लाभ पाने का अधिकारी हो जो धनराशि के रूप में आकलित हो सकता हो तो ऐसी धनराशि जो लाभ के आधार पर आकलनीय हो, उन नियमों के अधीन रहते हुए जो इस सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन बनाये जायं, ऐसे श्रम न्यायालय द्वारा जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट करे, अवधारित की जायगी, तथा इस प्रकार अवधारित धनराशि उसी रीति से वसूल की जायेगी जिसकी व्यवस्था उपधारा (१) में की गयी है।

(३) किसी भी लाभ की धनराशि का आकलन करने के प्रयोजन से श्रम न्यायालय, यदि वह उचित समझे, नियत रीति से एक आयुक्त नियुक्त करेगा जो ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात् जो आवश्यक हो श्रम न्यायालय के समक्ष आख्या प्रस्तुत करेगा तथा श्रम न्यायालय आयुक्त की आख्या पर तथा मामले की अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् इस धनराशि का अवधारण करेगा।

६-झ (१)—उपधारा (२) तथा (३) के अधीन रहते हुए किसी पक्षों का प्रतिनिधित्व। औद्योगिक झगड़े के पक्ष किसी बोर्ड, श्रम न्यायालय, अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष नियत रीति से प्रतिनिधित्व पा सकेंगे।

(२) किसी बोर्ड के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही का कोई भी पक्ष वकील द्वारा प्रतिनिधायित नहीं हो सकेगा तथा किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही से सम्बद्ध कोई पक्ष तब तक वकील द्वारा प्रतिनिधायित न हो सकेगा जब तक वह विरोधी पक्ष की, तथा श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी की, जैसी भी दशा हो, अनुमति न प्राप्त कर ले।

(३) किसी यूनियन का कोई भी अधिकारी तब तक किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत न होगा जब तक कि इंडियन ट्रेड यूनियन ऐक्ट, १९२६ के अधीन यूनियन की रजिस्टरी हुए दो वर्ष न हो गये हों:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह उपधारा यूनियनों के फेडरेशन के किसी अधिकारी पर लागू न होगी।

६-ञ (१)—धारा ६-ट से ६-ड (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) तक सभी धारायें—

कुछ दशाओं में कामबंदी (lay-off) की व्यवस्था का लागू न होना।

(क) उस औद्योगिक संस्था पर जिसमें पूर्वगामी कलेन्डर मास (calender month) में औसतन ५० से कम मजदूर नियुक्त रहे हों, अथवा

(ख) उन औद्योगिक संस्थाओं पर जो मौसम विशेष में कार्य करती हों अथवा जहां सविराम रूप में (intermittently) से कार्य होता है,

लागू नहीं होगी।

(२) यदि यह प्रश्न उठे कि कोई भी औद्योगिक संस्था मौसमी है अथवा वहां सविराम रूप से कार्य होता है तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

स्पष्टीकरण---इस धारा में तथा धारा ६-ट, ६-ठ और ६-ड में शब्द "औद्योगिक संस्था" से तात्पर्य है--

(१) फैक्टरीज ऐक्ट, १९४८ की धारा २ के खंड (एम) में परिभाषित फैक्टरी, अथवा

(२) माइन्स ऐक्ट, १९५२ की धारा २ के खंड (जे०) में परिभाषित माइन (खान), अथवा

(३) प्लान्टेशन लेबर ऐक्ट, १९५१ की धारा २ के खंड (एफ) में परिभाषित प्लान्टेशन।

प्रतिकर के निमित्त कामबन्दी (laid-off) मजदूरों का अधिकार।

६-ट---(१) जब कभी कोई मजदूर (प्रतिस्थानीय अथवा आकस्मिक मजदूर से भिन्न) जिसका नाम औद्योगिक संस्था की उपस्थिति नामावली में हो और जिसने मालिक की अधीनता में कम से कम एक वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण की हो, कामबन्दी पर रहे तो उसे मालिक द्वारा बीच में पड़ने वाले साप्ताहिक अवकाशों को छोड़ कर उन समस्त दिनों के लिए जिस में वह इस प्रकार कामबन्दी पर रहे, प्रतिकर दिया जायगा जो मंहगाई के भत्ते सहित उसके उस मूल वेतन के पचास प्रतिशत के समकक्ष होगा, जो उसे देय होता यदि वह कामबन्दी पर न हुआ होता :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बारह महीनों की अवधि में किसी भी मजदूर को देय प्रतिकर पैंतालिस दिन से अधिक का नहीं होगा।

(२) उपधारा (१) के प्रतिबन्धक में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी भी बारह महीनों की अवधि में कोई मजदूर पैंतालिस दिन से अधिक की अवधि के लिए अविरामतः अथवा सविरामतः कामबन्दी पर रहे तथा प्रथम पैंतालिस दिन की अवधि के पश्चात् की कामबन्दी एक सप्ताह या अधिक की हो तो उस मजदूर को, जब तक कि उस के और मालिक के बीच कोई विपरीत करार न हुआ हो, पश्चात्वर्त्ती एक सप्ताह अथवा उस से अधिक की कामबन्दी के निमित्त उपधारा (१) में निर्दिष्ट दर से प्रतिकर दिया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन पड़ने वाले किसी मामले में किसी भी मालिक के लिए वह वैध होगा कि कामबन्दी के प्रथम पैंतालिस दिनों की समाप्ति के पश्चात् धारा ६-ढ में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार किसी भी समय मजदूर की छटनी कर दे और जब वह ऐसा करे तो कामबन्दी के निमित्त पूर्वगामी बारह महीनों में मजदूर को दिया हुआ प्रतिकर छटनी के निमित्त दिये जाने वाले प्रतिकर में से मुजरा किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण---"प्रतिस्थानीय मजदूर" से तात्पर्य है ऐसा मजदूर जो किसी औद्योगिक संस्था के किसी उस मजदूर के स्थान पर जिस का नाम संस्था की उपस्थित नामावली में दर्ज हो, नियुक्त हुआ हो, किन्तु इस धारा के प्रयोजनों के निमित्त वह प्रतिस्थानीय मजदूर न माना जायगा यदि उसने उस संस्था में क वर्ष की अनवरत सेवा कर ली हो।

[श्री उपाध्यक्ष]

६-ठ—इस बात के होते हुए भी कि किसी औद्योगिक संस्था के मजदूर, काम बन्दी पर रखे जा चुके हैं, प्रत्येक मालिक का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा ६-ञ से ६-द तक के प्रयोजनों के निमित्त उपस्थित नामावली रक्खे तथा उन मजदूरों के लिये, जो सामान्य कार्य के घंटों में निश्चित समय पर संस्था में काम करने के लिए उपस्थित हों, उस उपस्थिति नामावली में इन्दराज करने की व्यवस्था करे ।

प्रत्येक मालिक का कर्त्तव्य होगा कि वह मजदूरों की उपस्थित नामावली कायम रक्खे ।

६-ड—कोई भी वह मजदूर जो कामबन्दी पर रहा हो प्रतिकर पाने का अधिकारी न होगा—

कुछ मामलों में मजदूर प्रतिकर के अधिकारी न होंगे ।

(१) यदि वह उसी संस्था में जहां वह कामबन्दी पर रहा हो, वैकल्पिक कार्य स्वीकार न करे अथवा उसी मालिक के उसी नगर, गांव अथवा उस संस्था से पांच मील के अर्धव्यास में स्थित दूसरी संस्था में ऐसा वैकल्पिक काम करने से इन्कार कर दे जिसमें मालिक के मतानुसार किसी विशेष कुशलता अथवा पूर्व अनुभव की अपेक्षा न हो अथवा जो उस मजदूर द्वारा किया जा सकता हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस मजदूर को इस वैकल्पिक काम में वही वेतन दिया जाय जो सामान्यतः उसे मिला होता ।

(२) यदि वह निश्चित समय पर सामान्य काम के घंटों में कम से कम दिन में एक बार संस्था में काम करने के लिए उपस्थित न हो,

(३) यदि ऐसी कामबन्दी संस्था के किसी अन्य भाग में मजदूरों द्वारा की गयी हड़ताल अथवा उत्पादन के शिथिलीकरण के फलस्वरूप हो ।

६-ढ—किसी उद्योग में नियुक्त किसी मजदूर को जो किसी मालिक की अधीनता में एक वर्ष तक अविराम सेवा कर चुका हो मालिक द्वारा तब तक छटनी नहीं की जायगी जब तक कि—

मजदूरों की छटनी से पूर्व के प्रतिबन्ध ।

(क) मजदूर को एक महीने की लिखित नोटिस, जिसमें छटनी के कारण उल्लिखित होंगे, न दे दी गयी हो तथा नोटिस की अवधि न व्यतीत हो गयी हो, अथवा मजदूर को ऐसी नोटिस के उपलक्ष में नोटिस की अवधि का वेतन न दे दिया गया हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब यह छटनी किसी ऐसे करार के अधीन हो जिसमें सेवा के अवसान का दिनांक निर्दिष्ट किया जा चुका हो तो इस प्रकार की नोटिस आवश्यक न होगी ।

(ख) मजदूर को छटनी के समय प्रतिकर न दे दिया गया हो जो सेवा के प्रत्येक वर्ष अथवा वर्ष के ६ महीने से अधिक भाग के लिए पंद्रह दिन के औसत वेतन के समकक्ष हो; तथा

(ग) राज्य सरकार पर नियत रीति से नोटिस तामील कर दी गयी हो।

उन व्यवसायों में नियुक्त मजदूरों के सम्बन्ध में जो संक्रामित हों, विशेष व्यवस्थाएं।

६-ण---धारा ६-ढ में किसी बात के होते हुए भी कोई भी मजदूर उस धारा के अधीन केवल इसी कारण प्रतिकर पाने का अधिकारी न होगा कि उस संस्था का स्वामित्व अथवा प्रबन्धक वर्ग, चाहे करार के फलस्वरूप, चाहे विधि प्रवर्तनवश एक मालिक से दूसरे मालिक को संक्रामित हो गया हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि---

(क) इस संक्रमण के फलस्वरूप मजदूर की सेवा में कोई विघ्न न पड़ा हो,

(ख) ऐसे संक्रमण के पश्चात्वर्ती सेवा की मजदूर पर लागू शर्तें और प्रतिबन्ध संक्रमण से तत्काल पूर्व मजदूर पर लागू सेवा की शर्तों और प्रतिबन्धों से किसी भी प्रकार कम लाभकर न हों, तथा

(ग) वह मालिक जिसे व्यवसाय का स्वामित्व अथवा प्रबन्ध संक्रामित हुआ हो, संक्रमण के प्रतिबन्धों के अधीन अथवा अन्य किसी प्रकार से मजदूर को छटनी होने की दशा में उसकी सेवा अविराम तथा संक्रमण द्वारा बाधाग्रस्त न होने के आधार पर प्रतिकर का वैधरूपेण देनदार हो।

छटनी की प्रक्रिया।

६-त---जब किसी औद्योगिक संस्था के किसी मजदूर को जो भारत का नागरिक हो, छटनी करनी हो, और वह उस संस्था में मजदूरों की किसी विशेष श्रेणी में हो, तो मालिक अपने तथा मजदूर के मध्य इस सम्बन्ध में किसी करार के अभाव में साधारणतया उस मजदूर की ही छटनी करेगा जो उस श्रेणी में सब से आखीर में नियुक्त हुआ हो जब तक कि मालिक ऐसे कारणोंवश जिन्हें वह अभिलिखित करेगा, अन्य किसी मजदूर की छटनी न कर दे।

छटनी किये गये मजदूरों की पुनर्नियुक्ति।

६-थ---जब किन्हीं मजदूरों की छटनी की गयी हो तथा मालिक किसी व्यक्ति को अपने पास नियुक्त करने का प्रस्ताव करे तो वह ऐसी रीति से जो निर्दिष्ट की जाय छटनी किये गये मजदूरों को उनकी पुनर्नियुक्ति के लिए अवसर देगा तथा छटनी किये गये मजदूरों को जो अपने को पुनर्नियुक्ति कराना चाहें अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिमान मिलेगा।

६-ञ से ६-थ तक धाराओं से असंगत विधियों का प्रभाव।

६-द---(१) ६-ञ से लेकर ६-थ तक की धाराओं के उपबन्ध किसी अन्य विधि में [जिसके अन्तर्गत इन्डस्ट्रियल इम्प्लायमेंट (स्टैन्डिंग आर्डर्स) ऐक्ट, १९४६ के अधीन स्थायी आज्ञाएं भी हैं] कोई असंगत (inconsistent) बात होते हुए भी प्रभावी होंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम में उल्लिखित किसी बात का यह प्रभाव नहीं होगा कि वह किसी भी मजदूर को किसी ऐसे अधिकार से वंचित रक्खे, जो उसे मिनिमम वैजेज ऐक्ट, १९४८ अथवा तदन्तर्गत प्रचारित

किसी विज्ञप्ति अथवा आज्ञा के अधीन अथवा मालिक के साथ तत्समय क्रियाशील (in operation) किसी निर्णय अथवा संविदा के अधीन उसे उपलब्ध हो ।"

(२) सन्देहों के निवारणार्थ एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि धारा ६-ङ से ६-द तक में उल्लिखित कोई भी बात तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के उपबन्धों पर उस सीमा तक प्रभाव न डालेगी जहां तक उस विधि में औद्योगिक झगड़ों को निपटाने की व्यवस्था की गयी हो । किन्तु मालिकों और मजदूरों के अधिकार और दायित्व, जहां तक कि उनका संबंध कामबन्दी (lay off) तथा छटनी से हो, धारा ६-ङ से ६-थ तक के उपबन्धों के अनुसार अवधारित किये जायेंगे ।"

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ६-ख के भाग (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उस निपटारे में, उसके लागू रहने की कोई अवधि न दी हुई हो, तो वह निपटारा एक साल तक अवश्य लागू रहेगा ।"

मेरी मंशा यह है कि कोई फैसला हुआ और उसमें कोई समय न्याय पंचायत या श्रम न्यायालय ने नहीं निर्धारित किया तो वह फैसला साल भर तक कम से कम जरूर लागू रहना चाहिये और साल भर के बीच में मालिक और मजदूर को मौका नहीं होगा कि वह उसको बदलवा सकें । यह छोटा-सा संशोधन है आशा है कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---उपाध्यक्ष महोदय, यदि आपकी आज्ञा हो तो इसके बाद जो मेरा संशोधन है उसको अगर श्री अवस्थी जी के संशोधन के साथ ले लिया जाय तो ठीक रहेगा और वह संशोधित संशोधन शायद मंत्री जी को स्वीकार हो जायगा । वह यह है कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ६-ख के भाग (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धक जोड़ दिया जाय---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसे निपटारे में उसके लागू रहने की अवधि न दी हुई हो तो वह निपटारा पंजीयन की तिथि से एक वर्ष तक लागू रहेगा ।"

माननीय अवस्थी जी का जो संशोधन है उसकी मंशा यह है कि वह एक साल तक लागू रहेगा अगर उस एग्रीमेंट की निश्चित अवधि न दी गई हो और मेरा संशोधन इसमें यह है कि जिस दिन वह एग्रीमेंट रजिस्टर होगा उस दिन से वह एग्रीमेंट लागू होगा । मैं समझता हूं कि माननीय अवस्थी जी मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे और उस संशोधित संशोधन को माननीय मंत्री जी भी स्वीकार कर लेंगे ।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---मुझे स्वीकार है ।

आचार्य जुगलकिशोर---मुझे भी स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ६-ख के भाग (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धक जोड़ दिया जाय---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसे निपटारे में उसके लागू रहने की कोई अवधि न दी हुई हो तो वह निपटारा पंजीयन की तिथि से एक साल तक अवश्य लागू रहेगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ की प्रस्तावित धारा ६-ख के भाग (३) की पंक्ति ५ में से "राष्ट्रीय अथवा राज्य की अर्थ व्यवस्था अथवा" निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, इस खंड ८ की प्रस्तावित धारा ६-क के अन्तर्गत सरकार ने इस सदन से यह अधिकार लेना चाहा है कि यदि कोई फैसला किन्हीं कारणों से उचित न हो तो वह फैसला बदल सकती है, माडिफाई कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है। अब किन-किन कारणों से रिजेक्ट कर सकती है उनमें से एक कारण यह भी दिया हुआ है "राष्ट्रीय अथवा राज्य की अर्थ व्यवस्था के कारण"। यह इतनी वाइड बात हो जाती है कि गवर्नमेंट कभी भी कह सकती है कि इससे राज्य व्यवस्था या अर्थ व्यवस्था में गड़बड़ हो जायगी। इसलिये लिमिटेड स्कोप रहे तो अच्छा है और इसलिये इसमें से ये शब्द "राष्ट्रीय अथवा राज्य की अर्थ व्यवस्था अथवा" निकाल दिये जायं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस हद तक इसको माडिफाई कर दिया जाय।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी--उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के खंड ७ में प्रस्तावित धारा ६-क में ये शब्द रक्खे हुये हैं "कोई भी निर्णय (जिसके अन्तर्गत पंच निर्णय भी है) धारा ६ के अधीन उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन पूरे होने पर प्रवर्तनीय हो जायगा :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की राय में राष्ट्रीय अथवा राज्य की अर्थ-व्यवस्था अथवा सामाजिक न्याय के आधारपर सम्पूर्ण निर्णय अथवा उसके किसी अंश को कार्यान्वित करना इष्टकर न हो तो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके घोषित कर सकती है कि निर्णय उपर्युक्त तीस दिन की अवधि बीत जाने पर प्रवर्तनीय (enforceable) नहीं होगा।"

तो जब आप इस चीज को एक जगह मान लेते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि दूसरी जगह इसको निकाला कैसे जा सकता है। इसलिये माननीय बहुगुणा जी इस को जरा देख लें कि कहीं एक दूसरे के विरुद्ध तो यह नहीं जा रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं एक संशोधन इस प्रकार रखना चाहता हूं कि इस विधेयक में "राष्ट्रीय अथवा राज्य की अर्थ व्यवस्था अथवा" जहां भी ये शब्द आये हों, निकाल दिये जायं। इससे अवस्थी जी का जो आब्जेक्शन है उसका निराकरण हो जाता है और माननीय बहुगुणा जी का भी मंशा पूरा हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--यह मैं समझता हूं कि नया संशोधन है?

श्री नारायणदत्त तिवारी--बहुगुणा जी के संशोधन में संशोधन मान लिया जाय या नया मान लिया जाय?

श्री शिवनारायण--उन्होंने लिखकर नहीं दिया है तो कैसे मान लेंगे?

श्री जगन्नाथमल्ल--लिख कर भेज रहे हैं।

आचार्य जुगलकिशोर--जो संशोधन श्री बहुगुणा जी ने पेश किया है उस को तो मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मुझे दूसरे संशोधन के बारे में ठीक नहीं मालूम पड़ा कि कहां जोड़ना चाहते हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान खंड ७ की ओर दिलाना चाहता हूं। खंड ७ में नयी उपधारा ६-क है। उसका प्रतिबन्ध है--"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की राय में राष्ट्रीय अथवा राज्य की अर्थ व्यवस्था अथवा..." तो वह शब्द यहां पर हैं, "राज्य सरकार की अर्थ व्यवस्था अथवा"।

श्री उपाध्यक्ष--मगर उसमें कठिनाई होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---एक बार हुआ है पहले भी ऐसा। संशोधन हमारा मंजूर भी हो रहा है।

आचार्य जुगलकिशोर---ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि इस विधेयक में "राष्ट्रीय अथवा राज्य सरकार की अर्थ व्यवस्था अथवा" जहां भी ये शब्द आये हों, निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---श्रीमन्, मुझे एक वैधानिक आपत्ति उपस्थित करनी है। श्रीमन्, जब धारा ८ पर चले गये तो धारा ७ में कैसे परिवर्तन करवा सकते हैं यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। मैं आप की इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि अगर इस धारा के बाद वह शब्द आयें तो बदल सकते हैं लेकिन इस धारा से पहले जो धारा मंजूर हुई है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। आप इस पर विचार कर के जब चाहें तब व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष---इसका अनुभव मुझे भी हुआ था और उसका जिक्र भी मैंने किया था। लेकिन यह ऐसा हो सकता है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इस विधेयक में जहां कहीं ये शब्द आये हों इसका अर्थ यह है कि....

श्री जगन्नाथमल्ल---इस सदन को पूरा अख्तियार है कि जो खंड वह चाहे बेश कर ले। इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, अगर सदन ने पहले पास किया है। यह तो ऐसी बाडी है कि जिस तरह से चाहे उलट पलट दें खंड।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मैंने तो वैधानिक प्रश्न उठाया कि जो खंड पास हो चुका क्या उस खंड के पास होने के बाद परिवर्तन हो सकता है? हमारे नियमों के अनुसार एक बात को तय करने के बाद कुछ समय के लिये यह विधान सभा उसी को दोहरा कर बदल नहीं सकती। तो क्या जो खंड पास कर चुके, उसी दिन उस खंड को परिवर्तित कर सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष---यह प्रस्ताव किसी विशेष खंड में परिवर्तन करने के लिये नहीं है। यह तो सर्वत्र जहां कहीं भी ये शब्द हों बदलने के लिये है। मैं इसको सदन के ध्यान में लाया था, लेकिन सदन ने इसको स्वीकार कर लिया है।

आचार्य जुगलकिशोर---सब जगह के लिये तो मुझे नहीं स्वीकार है वह तो उसी खंड के लिये था। उसमें कोई आपत्ति नहीं समझता। लेकिन यह वैधानिक आपत्ति ठीक है। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि जहां-जहां ये शब्द आये हों उनको हटा दिया जाय। मैं जब तक सारा एक्ट न देख लूं, मैं अभी से इस बात के लिये स्वीकृति नहीं दे सकता।

श्री जगन्नाथमल्ल---आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। श्रीमन्, जब आपकी यह रूलिंग हो गयी और इस पर वोट हो गया कि जहां कहीं भी हो यह चीज पास हो गयी तो फिर माननीय मंत्री जी का यह कहना जब कि पास भी हो गया और रूलिंग भी हो गयी.....

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---रूलिंग नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष---मैं तो समझता हूं कि यह तो स्वीकृत हो चुका है। यह कठिनाई मैंने आपके सामने पहले रखी थी लेकिन पहले ऐसे कोई ऐतराजात नहीं आये। सदन ने अब स्वीकार कर लिया है ऐसी हालत में मैं बदलाव नहीं कर सकता।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--उपाध्यक्ष महोदय, एक वैधानिक प्रश्न है कि एक खंड पर यह संशोधन चल रहा है तो कोई जनरल संशोधन तो आया नहीं। तो यह सारे ऐक्ट को, सारे विधेयक को कैसे कवर करेगा, यह एक ऐसी बात है कि जिससे कि बड़ी गड़बड़ पैदा हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष---यह संशोधन जिस वक्त आया था सदन के सामने रखा गया था और इसमें ऐसी कठिनता हो सकती है यह भी मैं सदन के सामने ले आया। उस वक्त किसी ने एतराज नहीं किया। तो अब यह स्वीकृत हो चुका है और अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ६-ख की उपधारा (४) में शब्द "उपबन्धों के अधीन प्रवर्तनीय न होगा" के स्थान पर शब्द "के अधीन बन्धककारी न रह जायगा" रख दिये जायं। यह शाब्दिक है उपाध्यक्ष महोदय, कोई नयी बात नहीं है।

आचार्य जुगलकिशोर---मैं स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ६-ख की उपधारा (४) में शब्द "उपबन्धों के अधीन प्रवर्तनीय न होगा" के स्थान पर शब्द "के अधीन बन्धककारी न रह जायगा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथमल्ल---श्रीमन्, यह जो संशोधन है यह बहुत महत्व का संशोधन है और सरकार इस वक्त जो संशोधन लायी है वह जो पहले से अधिकार था मजदूरों के हक में, उसे खत्म करने वाला संशोधन सरकार ने पेश किया इस बिल में। श्रीमन्, मैं प्रस्ताव तो कर दूं, भूल गया। मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ६-ङ को निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित "(६-ङ)" के रूप में रख दिया जाय---

"(६-ङ) किसी भी औद्योगिक झगड़े के विषय में किसी समझौता अधिकारी अथवा बोर्ड के समक्ष समझौते संबंधी किसी कार्यवाही अथवा किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही के विचाराधीन होने के दौरान में कोई भी मालिक-ऐसी कार्यवाही के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व मजदूरों पर लागू सेवा की शर्तों में कोई ऐसे परिवर्तन न करेगा जो मजदूरों के हितों के प्रतिकूल हो, अथवा किसी मजदूर को बरखास्तगी द्वारा या किसी अन्य प्रकार से दंडित अथवा सेवा मुक्त न करेगा सिवाय उस दशा के जब कि एतदर्थ उस अधिकारी की, जिसके समक्ष कार्यवाही विचाराधीन हो, लिखित रूप से स्पष्ट अनुमति न मिल गई हो।"

(इस समय ४ बजकर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, पहले इस तरह था कि जब कोई केस किसी अदालत में या समझौता अधिकारी के पास हो या कहीं भी रहे तो अगर मिल मालिक मजदूर की सर्विस कंडीशन में कोई चेंज करना चाहे तो नहीं कर सकता था, जो उस मुकदमें के दायर होने के पहले कंडीशन आफ सर्विस उसकी थी वही चलती थी। जैसे कि श्रीमन् सेंट्रल ऐक्ट में जिस प्रकार था धारा ३३ में पढ़ के सुना दूं, वह इस प्रकार था :

"During the pendency of any conciliation proceedings or proceedings before a Tribunal in respect of any industrial dispute, no employer shall—

(*a*) alter, to the prejudice of the workmen concerned in such dispute, the conditions of service applicable to them immediately before the commencement of such proceedings ; or

[श्री जगन्नाथ महन्त]

(*b*) discharge or punish, whether by dismissal or otherwise, any workman concerned in such dispute, save with the express permission in writing of the Conciliation Officer, Board or Tribunal, as the case may be."

तो इस प्रकार था कि अगर कोई पेंडेंसी हो या किसी अदालत में किसी केस के दौरान में कोई मिल मालिक किसी भी मजदूर की जो सर्विस कंडीशन है उसको चेंज नहीं कर सकता और अगर किसी को दंडित करना चाहता है तो बिना उस अधिकारी की परमीशन के जिस अधिकारी की अदालत में वह केस है बिना उसकी परमीशन के न वह उसको डिसमिस कर सकता था और न किसी प्रकार की सजा दे सकता था। यह एक ऐसा अधिकार था कि जिसके द्वारा मजदूरों की बड़ी रक्षा होती थी क्योंकि श्रीमन्, आजकल इस तरह से भी मालिक करते हैं, अभी-अभी अखबारों में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट तक ७४ मजदूरों के निकाले जाने का मुकदमा मिल मालिक ले गये छिंदवाड़ा के और सुप्रीम कोर्ट में जाकर फैसला हो गया कि वह निकाल दिये जायें। अब मजदूर के पास इतना पैसा तो है नहीं, वे बेचारे निकाल दिये गये। अब उनको जो आधी तनख्वाह मिलती थी वह भी शायद मिल मालिक वसूल करने की व्यवस्था करें। तो इस प्रकार मैं समझता हूं कि एक तरह से जो पहले से था वह एक चेक था, वह चेक रहना चाहिये जो हमारे नये विधेयक में है। इसमें यह है कि जब पेंडेंसी होगी और एक आदमी का केस है जो उसने दायर किया है तो उसकी सर्विसेज में कोई चेंज नहीं कर सकेगा या निकाल नहीं सकेगा या कुछ ऐसे मामले में कि इस सेक्शन के लोगों को फलां चीज नहीं मिलती है तो वह चीज उतने ही लोगों के लिये लागू होगी या उन लोगों पर जो यूनियन के पदाधिकारी होंगे। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है, इससे झगड़े बढ़ेंगे। इसलिये सभी चाहेंगे कि हम यूनियन के पदाधिकारी हो जायं ताकि पेंडेंसी के समय हम बचे रहें चाहे मजदूरों को कुछ भी हो। इससे यूनियन को धक्का लगने वाला है और मजदूरों को इस से बड़ी भारी हानि होगी। इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि सेंट्रल ऐक्ट में इस प्रकार की चीज दी हुई है, इसी कारण से हमने यहां दी है। सेंट्रल ऐक्ट में दी है लेकिन वह धारा लागू नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो तीन धारायें लागू की हैं मैं नहीं समझता हूं कि सरकार क्यों इसको अलंड कर रही है। धारा ३ के अनुसार जो कायदा बना हुआ था वह यह है कि किसी भी आदमी की सर्विसेज इधर से उधर नहीं कर सकता है। मैं समझता हूं कि इस धारा के लगाने से जो अब तक मजदूरों को प्रोटेक्शन मिल रहा है, वह खत्म हो जायगा और मजदूरों का अहित होगा इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि इसमें मजदूरों का हित है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय मल्ल जी ने प्रस्तुत किया है उसको और उसके इतिहास को देखा जाय तो स्पष्ट है कि पिछला जो हमारा कानून बनाया उसके अन्तर्गत यह बात थी। उसके पीछे सारे देश में मिल मालिकों की तरफ से, पूंजीपतियों की तरफ से और उद्योगपतियों की तरफ से बहुत से आपत्तिजनक प्रश्न उठाये गये और अन्तोगत्वा यह प्रश्न भारतीय सरकार के श्रम मंत्रणालय द्वारा त्रिदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया, सोशलिस्ट पार्टी के बड़े नेता भी उसमें मौजूद थे और कांग्रेस की तरफ से मजदूरों में काम करने वाले लोग मौजूद थे, उस सम्मेलन में यह बात तीनों दलों की राय से मंजूर की गई कि इस प्रोटेक्शन को लिमिट करना चाहिये। इस समय समय नहीं है इसलिये इसके विवरण में नहीं जाऊंगा। इस तरह से यह संशोधित खंड पुराने कानून के मुकाबिले में वैसा ही खंड आज उपस्थित किया गया है क्योंकि जेंटिलमैनली एग्रीमेंट लेबर की तरफ से भी दिया गया था। मैं आई० एन० टी० यू० सी० के प्रतिनिधि होने के नाते और इस बात का आदर करने के बाद अब पीछे नहीं जा सकता हूं कि इस तरह का खंड उपस्थित किया जाय। मैं समझता हूं कि इसकी जानकारी मल्ल जी को भी होगी, यदि न हो सकी

हो तो अब कर लें। मैं आप के द्वारा प्रार्थना करूंगा कि जिस चीज को मिल मालिकों ने तथा सरकार के प्रतिनिधियों ने बैठ कर स्वीकार किया और हम लोगों ने वर्ड आफ आनर दिया तो फिर इसको बदलना असंगत और अन्यायपूर्ण बात होगी। अतः इसका विरोध करता हूं।

श्री जगन्नाथमल्ल--श्रीमन्, मुझे तो मालूम नहीं कि त्रिदलीय सम्मेलन हुआ था या नहीं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--फाइल यहां मौजूद है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--आपके पास होगी लेकिन मेरी आंखों के सामने से नहीं गुजरी। मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूं कि पूंजीपतियों के कहने पर यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने किया है। अब यह तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट जाने मुझे उसके बारे में क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं। मैं बिलकुल डेफिनिट हूं कि अगर यह संशोधन नहीं रहता है तो जो अधिकार मजदूरों को पहले था वह भी छिन जाता है और इस तरह से विधेयक की शक्ल बिलकुल खराब हो गई। तो मैं इसके ऊपर जोर दे कर कहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करें और अगर नहीं, सरकार, हठधर्मी ही करती है, तो सरकार जाने।

आचार्य जुगलकिशोर--अध्यक्ष महोदय, मैंने कल प्रारम्भिक भाषण में माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाया था कि इसमें कुछ विशेषतायें हैं और उनमें से एक विशेषता यह भी है और उसका कारण भी मैंने बताया था। मैं समझता हूं कि श्री नारायणदत्त तिवारी जी को वह कागज दिखलाया भी गया है जिसमें आल इंडिया बेसिस पर त्रिदलीय सम्मेलन हुआ था। मिल मालिकों, मजदूरों और सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा यह स्वीकृत हुआ था कि इस तरह का लेबर लाज में संशोधन होना चाहिये जिसके जरिये से वे श्रमिक जो कि डिस्प्यूट्स से सम्बन्ध नहीं रखते उनको निकालने का अधिकार मिल मालिकों को होगा परन्तु उनको एक महीने का वेतन देना पड़ेगा। जहां तक श्रमिकों की बात है उनको इस फैसले के खिलाफ़ लेबर कोर्ट में जाने का अधिकार भी रहेगा ही। परन्तु ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है जिसमें किसी श्रमिक को दंड देना या निकाल देना जरूरी समझा जायगा तो वह कर सकेगा। आजकल के जो नियम हैं उनके मुताबिक चाहे डिस्प्यूट किसी तरह का भी हो चाहे श्रमिक उस से सम्बन्ध रखता हो या न रखता हो लेकिन मिल मालिक उस को निकाल नहीं सकता जब तक कि कंसीलियेशन आफिसर या जिस कोर्ट के सामने यह मामला हो उस की इजाजत न ली जाय। तो उस वक्त इसके मातहत इतने मामले कोर्ट्स में जाने लगे कि उनको तय करने में बड़ी मुसीबत होती है। इसलिये इस कानून में यह अधिकार है कि उसको वह निकाल सके, लेकिन मजदूर जा कर उसकी अपील कर सकते हैं। उस को एक महीने का वेतन भी दिया जाता है। इस पर साथ-साथ त्रिदलीय सम्मेलन में समझौता भी हुआ था। मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक भी है इसलिये मैं जगन्नाथमल्ल जी ने जो संशोधन पेश किया है उसका विरोध करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। मैंने कोई समझौता देखा नहीं है। यद्यपि मैंने उस के लिये प्रार्थना भी की थी लेकिन मैंने कोई समझौता ऐसा अभी तक देखा नहीं है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ६-ङ को निकाल दिया जाए और उस के स्थान पर निम्नलिखित "(६-ङ)" के रूप में रख दिया जाय --

"(६-ङ) किसी भी औद्योगिक झगड़े के विषय में किसी समझौता अधिकारी अथवा बोर्ड के समक्ष समझौते सम्बन्धी किसी कार्यवाही अथवा किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही के विचाराधीन होने के दौरान में कोई भी मालिक-- ऐसी कार्यवाही के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व मजदूरों पर लागू सेवा की शर्तों में कोई ऐसे परिवर्तन न करेगा

[श्री अध्यक्ष]

जो मजदूरों के हितों के प्रतिकूल हो, अथवा किसी मजदूर को बरखास्तगी द्वारा या किसी अन्य प्रकार से दण्डित अथवा सेवा मुक्त न करेगा सिवाय उस दशा के जब कि एतदर्थ उस अधिकारी की, जिसके समक्ष कार्यवाही विचाराधीन हो, लिखित रूप से स्पष्ट अनुमति न मिल गई हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ --

पक्ष में---५;
विपक्ष में---७४।)

श्री हिम्मतनन्दन बहुगुणा---अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ६-छ की प्रथम और दूसरी पंक्ति से शब्द "तथा उस आज्ञा में उल्लिखित कारण पर" निकाल दिये जायं।

मैं इसमें ज्यादा वाद-विवाद में नहीं जाना चाहता। सिर्फ इतना ही आप के सामने निवेदन करूंगा कि सरकार को आर्डर करने की उसमें बात है, तो जब आर्डर करेगा तो उसमें एक चीज होगी ही। उसका डुप्लीकेशन करके कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

आचार्य जुगलकिशोर---मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ६-छ की प्रथम और दूसरी पंक्ति से शब्द "तथा उस आज्ञा में उल्लिखित कारण पर" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री पूर्णप्रसाद अवस्थी---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ६-छ के भाग (१) की पंक्ति ७ में शब्द "विस्तारणार्थ" के स्थान पर शब्द "निस्तारणार्थ" कर दिया जाय।

आचार्य जुगलकिशोर---मैं स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ६-छ के भाग (१) की पंक्ति ७ में शब्द "विस्तारणार्थ" के स्थान पर शब्द "निस्तारणार्थ" कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ६-छ निकाल दी जाय। इसमें सरकार यह अधिकार ले रही है कि जो कार्यवाही किसी ऐडजुडीकेटर के पास या न्यायालय में हो उस को वापस ले लेने का सरकार अधिकार ले ले, तो यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं और इसमें दिक्कत हो जायगी। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

आचार्य जुगलकिशोर---मैं पूरे तौर से समझा नहीं। क्या आपने इसे पेश किया है?

श्री जगन्नाथमल्ल---जी हां।

आचार्य जुगलकिशोर---तो मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री जगन्नाथमल्ल---श्रीमन्, मैं आप के विरोध से सहमत नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ६-छ निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ६-झ के प्रतिबन्ध के बाद निम्नलिखित दूसरा प्रतिबन्ध और बढ़ा दिया जाय---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी औद्योगिक संस्था का मालिक, अधिष्ठाता या प्रबन्धक ऐसी अवधि के लिये जो इस आज्ञा के उपबन्धों के अधीन, उसके कारोबार के संबंध में, बोर्ड, श्रमन्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष मुकद्दमा चलाये या जांच करने के लिये आवश्यक हो कम से कम दो मजदूरों को अनुपस्थित रहने की किसी भी समय अनुमति देगा। ऐसे अनुमति दिये हुये मजदूर की अनुपस्थिति वेतन सहित छुट्टी समझी जायगी।"

यह बहुत सीधा सा प्रस्ताव है। मालिक जब मुकदमा चलाता है तो अपने एजेंट या लेबर आफिसर को वेतन से छुट्टी देता है लेकिन मजदूर को वह छुट्टी नहीं मिलती है। मैं चाहता हूं कि उसे भी वेतन सहित छुट्टी दी जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। जब मजदूर अपने मामले की पैरवी करने के लिये जावे तो उसे भी वेतन के साथ छुट्टी मिलनी चाहिये। मिल मालिक अब वेतन के साथ छुट्टी नहीं देता है, इसलिये इस संशोधन को अवश्य मानना चाहिये।

आचार्य जुगुलकिशोर---इस प्रस्ताव का अर्थ यह है कि मजदूर को मुकद्दमे की पैरवी में जाने की छुट्टी का वेतन मिलना चाहिये। लेकिन आमतौर से जो निर्णय होते हैं उनमें ऐसी आज्ञा कोर्ट्स की तरफ से हो जाती है कि उनको हरजाना दिया जाय। इसलिये ऐक्ट में लाजिमी तौर से यह प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या आप इसे रूल्स में ले आयेंगे?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां।

श्री जगन्नाथमल्ल---श्रीमन्, छुट्टी कवर हो जाती है तो ऐक्ट में ही रखना चाहिये क्योंकि कोई शौक से तो मजदूर जाता नहीं है।

आचार्य जुगलकिशोर---रूल्स में आ सकता है।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---रूल्स में आ जाने के विश्वास पर मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ की प्रस्तावित धारा ६-झ के भाग (३) में निम्नलिखित प्रतिबन्ध और जोड़ दिया जाय---

"और प्रतिबन्ध यह भी है कि वह यूनियन केवल एक ही व्यवसाय के क्षेत्र के लिये रजिस्टर्ड हो।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक के १९ वें पृष्ठ पर नीचे आयेगा।

अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन इसलिये रखा गया है कि प्रदेश में जो मजदूर आन्दोलन को बहुत सी यूनियन्स के बन जाने से ठेस पहुंच रही है, उससे उद्धार हो सकेगा। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभार मानूंगा। यदि वे मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

आचार्य जुगलकिशोर---मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ की प्रस्तावित धारा ६-झ के भाग (३) में निम्नलिखित प्रतिबन्ध और जोड़ दिया जाय---

"और प्रतिबन्ध यह भी है कि वह यूनियन केवल एक ही व्यवसाय के क्षेत्र के लिये रजिस्टर्ड हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ६--ढ की पंक्ति २ में शब्द "अविराम" के स्थान पर शब्द "अनवरत" रख दिया जाय।

आचार्य जुगलकिशोर---अध्यक्ष महोदय, मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ६--ढ की पंक्ति २ में शब्द "अविराम" के स्थान पर शब्द "अनवरत" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ६--ण के प्रतिबन्ध (ग) के बाद एक नया प्रतिबन्ध (घ) निम्नरूप से बढ़ा दिया जाय---

"(घ) मजदूर की नौकरी की अखंडता, तथा आर्थिक एवं अन्य प्रकार की जो भी सुविधायें, उसको प्राप्त थीं, वे पूर्ववत् संक्रमण के पश्चात् उस नये मालिक से भी, जिसे व्यवसाय अथवा प्रबन्ध संक्रामित हुआ है, प्राप्त रहेंगी, और उन पर प्रबन्ध अथवा व्यवसाय के संक्रमण से कोई प्रभाव न पड़ेगा।"

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीधासादा सा प्रस्ताव है। मेरी मंशा यह है कि यदि कोई भी मालिक अपनी फैक्ट्री को किसी दूसरे मालिक को बेच देता है तो उनको यह भी मजदूरों को वही अधिकार होने चाहिये जो कि पिछले मालिक के समय में उसको रहे हैं।

आचार्य जुगलकिशोर---अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझता क्योंकि इस विधेयक की धाराओं में यह पहले ही आ गया है उनको कम्पेन्सेशन मिलेगा या उनकी सर्विसेज कंटीन्यूड मानी जायंगी। इसलिये इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री जगन्नाथमल्ल---श्रीमन्, जो संशोधन माननीय अवस्थी जी ने सदन के सामने रक्खा है मैं उसको आवश्यक समझता हूं क्योंकि वह बिलकुल क्लियर है। अगर कोई फैक्ट्री नीलाम हो जाती है या दूसरों के हाथ में चली जाती है पडरौना आदि स्थानों में ऐसा हुआ है, और वहां पर लोगों की नौकरी बिलकुल नयी कर दी गयी है। इसलिये उनकी नौकरी को सुरक्षित रखने के लिये यह संशोधन बहुत जरूरी है। बहुतों के लिये तो कह दिया कि यह वर्कमैन है ही नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस पर पुनः विचार करें। मैं समझता हूं कि माननीय बहुगुणा जी उनको समझा देंगे ताकि वे जल्दी समझ जायं।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी तक माननीय श्रम मंत्री जी की बात नहीं समझ पाया। वह अगर यह कहते कि रूल्स में यह रख दिया जायगा तो भी ठीक होता। जब नया मालिक आता है तो सारे अधिकार समाप्त कर दिये जाते हैं।

आचार्य जुगलकिशोर---अध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ६--ण के प्रतिबन्ध (ग) के बाद एक नया प्रतिबन्ध (घ) निम्न रूप से बढ़ा दिया जाय---

"(घ) मजदूर की नौकरी की अखंडता, तथा आर्थिक एवं अन्य प्रकार की जो भी सुविधायें, उसको प्राप्त थीं वे पूर्ववत्, संक्रमण के पश्चात् उस नये मालिक से भी, जिसे व्यवसाय अथवा प्रबन्ध संक्रामित हुआ है, प्राप्त रहेंगी और उन पर प्रबन्ध अथवा व्यवसाय के संक्रमण से कोई प्रभाव न पड़ेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथमल्ल---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ६--द के बाद निम्नलिखित धारा ६--ध के रूप में बढ़ा दिया जाय---

"६--ध---यदि किसी प्रकार का अभियोग लगा कर मालिक लगाये गये अभियोग के जांच के दौरान में या (६--ङ) के अन्तर्गत अधिकारी से मजदूर की बरखास्तगी या सेवा मुक्त करने की आज्ञा प्राप्त करने तक की अवधि में विलंबित करेगा तो विलंबन की अवस्था में मजदूर को उसके द्वारा प्राप्त वेतन का आधा वेतन निर्वाह भत्ता के रूप में प्रति माह देना पड़ेगा, जो संबंधित मजदूर से किसी भी परिस्थिति में वापस न होगा।"

श्रीमन्, आज मालिकों की हालत यह है कि मजदूर का कोई कसूर न हो तो भी वे क्या करेंगे कि उसको सस्पेंड कर देंगे। वह एक महीने दो महीने तक तो परमीशनके लिये ही इधर उधर दौड़ता रहेगा। परमीशन के लिये वह एप्लीकेशन मूव करेगा और जब एक जगह परमीशन नहीं मिलेगी तो फिर दूसरी जगह मूव करेगा। जैसा कि एक केस छितौनी मिल का हमारे सामने है। छितौनी मिल के मालिकों ने ७४ मजदूरों को इस बिना पर सस्पेंड कर दिया कि उन्होंने स्ट्राइक में हिस्सा लिया था। लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि नहीं मजदूरों ने कोई स्ट्राइक नहीं की। जब अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उनको निकालने की परमीशन नहीं दी तो फिर छितौनी मिल के मालिक हाईकोर्ट में चले गये और वहां जाकर रिट दाखिल कर दी। इस बीच मे वे सारे मजदूर सस्पेंड रहे। हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि ठीक है, मजदूरों को आप निकाल नहीं सकते हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो डिसीजन दिया है वह ठीक है। फिर वे लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गये। वहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ७४ मजदूर निकाल दिये जायं। लेकिन इस बीच में आधी तनख्वाह उन लोगों को निर्वाह भत्ता के रूप में मिलती रही। नतीजा यह हुआ कि दो वर्ष के करीब तक यह मुकदमा चलता रहा इस बीच में मजदूरों को काफी परेशानी रही तथा किसी तरह से आधी तनख्वाह पर ही वे अपनी गुजर करते रहे। माननीय श्रम मंत्री तथा लेबर डिपार्टमेंट को तो अच्छी तरह से मालूम होगा ही कि छितौनी मिल के मालिक लोग किस तरह के हैं। वहां के मैनेजमेंट में रोज कोई न कोई तमाशा होता ही रहता है। इधर दो वर्ष तो मुकद्दमा चला और वे मजदूर निकाले भी गये फिर उन गरीबों के ऊपर वे डिग्री करायेंगे और कहेंगे कि जो तनख्वाह तुमने इस बीच में आधी ली है उसे हमे वापस कर दो। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का कोई कानून बना कर ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे इस तरह के कर्मचारियों को सस्पेंशन पीरियड में जो निर्वाह भत्ता मिले और फिर वह चाहे डिसमिस भी हो जाय तो उससे किसी भी हालत में वह वापिस न लिया जाय। सरकार अपने कर्मचारियों के लिये भी तो ऐसा नियम लागू करती है कि यदि उसका कोई कर्मचारी किसी कार्य में दोषी पाया जाय और वह सस्पेंड हो तो उस बीच में उसे निर्वाह भत्ता मिलता है वह फिर उससे वापस नहीं लिया जाता चाहे वह बाद में डिसमिस भी हो जाय। ऐसी हालत में यदि माननीय मंत्री जी मजदूरों के लिये भी व्यवस्था कर दें तो बहुत अच्छा होगा और इसके साथ ही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स भी कम हो जायंगे क्योंकि मालिक भी समझें कि सस्पेंशन पीरियड की आधी तनख्वाह देनी ही पड़ेगी तो फिर क्यों इस तरह के झंझट मोल लिये जायं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से बहुत नम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि यह आखिरी संशोधन है कम से कम इसको तो वे मान ही लें। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको अवश्य ही स्वीकार करेंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप जब अपने कर्मचारियों को देते हैं तो आप मिल मालिकों से भी दिलावें। आशा है सरकार इस को स्वीकार करेगी।

आचार्य जुगलकिशोर---अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के विषय में जो कुछ श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने कहा उस सम्बन्ध में मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो सुविधा वह देना चाहते हैं उसका अधिकार तो श्रमिकों को स्टैंडिंग आर्डर्स में परिवर्तन कराने के सम्बन्ध में मिल गया है, वह अपनी कन्डीशन्स आफ सर्विसेज को परिवर्तन करा सकते हैं, वह चाहते हैं तो अदालत से तब्दीली उनमें करा सकते हैं। इसलिये इस तरह का कानून में प्रतिबन्ध लगाना कि वह

[आचार्य जुगलकिशोर]

मिल मालिकों को देना पड़ेगा मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है क्योंकि इसी बिल के अन्तर्गत एक ऐसी धारा है कि जिसके अनुसार मजदूरों को अधिकार है कि वह कोर्ट से ऐसा फैसला करा सकते हैं। इसलिये इसकी जरूरत नहीं है। आशा है कि वह इसे वापस ले लें। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर माननीय श्रम मंत्री जी ने दिया उस को सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब इसमें रिट्रेन्चमेंट अलाउन्स देने की गुंजाइश है तो फिर सस्पेंशन अलाउन्स देने की गुंजाइश क्यों नहीं रखी जा सकती है। हजारों फैक्टरीज हैं कहां तक स्टैंडिंग आर्डर्स में परिवर्तन के लिये कोई जायगा और कितना काम बढ़ेगा? इसलिये रिट्रेन्चमेंट एलाउन्स की तरह सस्पेंशन अलाउन्स भी श्रमिकों को दिलाना चाहिये।

श्री जगन्नाथप्रसाद---श्रीमन्, मंत्री जी कहते हैं कि वह स्टैंडिंग आर्डर से ठीक कराया जा सकता है। मैं कह सकता हूं कि वह स्टैंडिंग आर्डर परिवर्तन कराने के लिये किसी कोर्ट में ले ही नहीं जा सकते....

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---ले जा सकते हैं, आपने कानून नहीं देखा।

श्री जगन्नाथप्रसाद---मैंने शुगर फैक्टरीज के मुताल्लिक देखा है कि यू० पी० इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट की धारा ३ के अनुसार वह कानून मिलों में लागू है, वह सरकार की ओर से लागू है, उसका संशोधन कोर्ट से नहीं कर सकते हैं यह मेरा दावा है। बहुगुणा जी समझते नहीं हैं क्योंकि उनको शुगर फैक्टरीज का ज्ञान नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारी यह मुसीबत है और जैसा कि श्री नारायणदत्त जी ने कहा कि आप रिट्रेन्चमेंट अलाउन्स तो दिला सकते हैं, पे-आफ का भत्ता दिला सकते हैं लेकिन अगर मिल मालिक जबरदस्ती किसी को सस्पेंड करता है तो उसका आधा अलाउन्स दिलाने में क्या मुसीबत है? इसलिये मैं फिर कहता हूं कि कृपा कर के मंत्री जी इसे स्वीकार करें।

आचार्य जुगलकिशोर---अध्यक्ष महोदय, मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि शिड्यूल दस में जो कन्डीशन्स दी हुई हैं उन के अनुसार श्रमिक अदालत में उनके परिवर्तन के लिये जा सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इस तरह के सैकड़ों डिस्प्यूट्स कहां तक होंगे?

आचार्य जुगलकिशोर---यह चीज उनके अधिकार के भीतर आ गई है कि अगर मिल मालिक स्टैंडिंग आर्डर के खिलाफ जायं तो वह अदालत में उनको ठीक करा सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं। इसलिये इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ में प्रस्तावित धारा ६-द के बाद निम्नलिखित धारा ६-ध के रूप में बढ़ा दिया जाय:---

"(६---ध)---यदि किसी प्रकार का अभियोग लगा कर मालिक लगाये गये अभियोग की जांच के दौरान में या (६-ङ) के अन्तर्गत अधिकारी से मजदूर की बरखास्तगी या सेवा मुक्त करने की आज्ञा प्राप्त करने तक की अवधि में विलम्बित करेगा तो विलम्बन की अवस्था में मजदूर को उस के द्वारा प्राप्त वेतन का आधा वेतन निर्वाह भत्ता के रूप में प्रतिमाह देना पड़ेगा, जो सम्बन्धित मजदूर से किसी भी परिस्थिति में वापस न होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—५;

विपक्ष में—८१ ।)

श्री अध्यक्ष —प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ९

९—मूल अधिनियम की धारा ७ में शब्द "तीसरी, चौथी और पांचवी धाराओं" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के उपबन्धों के" रख दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष—अब इसके बाद कोई वादविवाद नहीं होगा । जो संशोधन हैं उनको उपस्थित कर देता हूं और यदि माननीय सदस्य संशोधन उपस्थित करना चाहेंगे तो वे खड़े हो जायेंगे और मैं उन पर राय ले लूंगा और यदि खड़े नहीं हुये तो मैं समझूंगा कि वह अपने आप गिर गया ।

प्रश्न यह है कि खंड ९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"९—मूल अधिनियम की धारा ७ में—

(१) शब्द तीसरी, चौथी और पांचवीं धाराओं के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के उपबन्धों" रख दिये जायं ।

(२) खंड २ में शब्द और अंक "छठी धारा में दिये हुए ढंग से" के स्थान पर शब्द "निर्धारित ढंग से" रख दिये जायं ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १०

१०—मूल अधिनियम की धारा ११ के पश्चात् नई धाराओं ११-क से ११-च तक के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"११-क—राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके यह आदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन ऐसे विषयों के सम्बन्ध में तथा ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जो आदेशों में निर्दिष्ट की जायं, उसके द्वारा प्रयोक्तव्य (exerciseable) कोई भी अधिकार राज्य सरकार के अधीनस्थ उन अधिकारियों तथा प्राधिकारियों द्वारा भी प्रयोग में लाये जा सकेंगे जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जायं ।"

अधिकारों का प्रतिनिधायन (deligation) ।

११-ख—(१) यदि राज्य सरकार की राय में निर्णय अथवा निपटारे के किसी उपबन्ध के निर्वचन (interpretation) के सम्बन्ध में कोई कठिनाई अथवा सन्देह उत्पन्न हो तो वह इस प्रश्न को उस श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट करेगी जिसे वह उचित समझे ।

कठिनाइयों के निवारण का अधिकार ।

(२) श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण जिसे ऐसे प्रश्न सौंपे जाएं, पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस प्रश्न का निर्णय करेगा और उसका निर्णय अन्तिम तथा समस्त पक्षों पर बन्धककारी होगा।

स्थायी आदेशों का निर्वचन इत्यादि।

११-ग---यदि इन्डस्ट्रियल इम्प्लायमेंट (स्टैंडिंग आर्डर), ऐक्ट १९४६ के अधीन प्रमाणित स्थायी आदेश के लागू होने अथवा उसके निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठे तो कोई भी मालिक अथवा मजदूर उस प्रश्न को, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसी कार्यवाहियों के निस्तारण के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट श्रम न्यायालयों में से किसी एक को सौंप सकता है, तथा वह श्रम न्यायालय जिसे उक्त प्रश्न सौंपा जाय पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उक्त प्रश्न का निर्णय करेगा और ऐसा निर्णय अन्तिम तथा पक्षों पर बन्धककारी होगा।

समझौता अधिकारियों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों का "जन-सेवक" "होना।

११-घ---प्रत्येक समझौता अधिकारी तथा बोर्ड का प्रत्येक सदस्य तथा अध्यक्ष (Chairman) तथा श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण का प्रत्येक पीठासीन अधिकारी इन्डियन पेनल कोड की धारा २१ के अर्थ में जन सेवक (public servant) समझा जायगा।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त श्रम न्यायालय तथा न्यायाधिकरण का दीवानी न्यायालय समझा जाना।

११-ङ---कोड आफ क्रिमिनल प्रीसीजर, १८९८ की धारा १८० तथा १८२ के प्रयोजनों के निमित्त प्रत्येक श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण दीवानी न्यायालय समझा जायगा।

अवधान के संबंध में श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के अधिकार।

११-च---(१)---यदि कोई व्यक्ति--

(क) जब उसे किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा कोई लेख्य प्रस्तुत करना अथवा देने के निमित्त आज्ञा दी जाय और वह उसके पालन के लिए विधिक रूप से बाध्य होते हुए भी जान बूझकर ऐसा न करे, अथवा

(ख) जब उसे शपथ अथवा प्रतिज्ञान द्वारा सत्य बोलने के निमित्त अपने को बाध्य करने के लिए कोई श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण आदेश दे परन्तु वह वैसा करने से इन्कार करे, अथवा

(ग) किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष किसी भी विषय पर विधितः सत्य कहने के लिए बाध्य होने पर भी अपने से उस विषय पर ऐसे श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार करे, अथवा

(घ) अपने द्वारा दिये गये किसी वक्तव्य पर, श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा उस पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा करने पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करें, अथवा

(ङ) किसी भी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के प्रति उनके समक्ष होने वाली न्यायिक कार्यवाही के किसी भी स्तर पर जानबूझ कर अपमान करे अथवा कोई विघ्न डाले तो वह यथास्थिति ऐसे श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण के अपमान का, दोषी समझा जायगा।

(२) यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करे अथवा कोई ऐसा लेख प्रकाशित करे जिस से किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण पर अनुचित प्रभाव पड़ सकता हो, अथवा जिस से ऐसे श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण, अथवा उसके पीठासीन अधिकारी की बदनामी अथवा अवमान अथवा उसके प्राधिकार में हीनत्व होने की सम्भावना हो, अथवा जिससे किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के विधिक व्यवहार में बाधा पड़ने की सम्भावना हो, तो वह व्यक्ति यथास्थिति श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के अवमान का दोषी समझा जायगा,

(३) श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को अपने प्रति किये गये अवमान के सम्बन्ध में वही क्षेत्राधिकार, शक्ति तथा प्राधिकार प्राप्त होंगे, तथा वह उसी प्रक्रिया एवं प्रथा के अनुसार उन्हें प्रयुक्त करेगा जो हाई कोर्ट को इस सम्बन्ध में प्राप्त है तथा जिनका हाई कोर्ट अपने सम्बन्ध में प्रयोग करता है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० में प्रस्तावित धारा ११-ङ की पंक्ति १ व २ में अंक "१८०" तथा "१८२" के स्थान पर अंक "४८०" तथा "४८२" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११

११---मूल अधिनियम की धारा १२ के स्थान पर निम्नलिखित नयी धारा १२ तथा १२-क के रुप में रख दिया जाय---

"१२---जब तक कि इस अधिनियम के अधीन दी गयी किसी आज्ञा में इसके विपरीत स्पष्ट व्यवस्था न की गयी हो तब तक इस अधिनियम में कोई भी बात राज्य सरकार के किसी भी औद्योगिक झगड़े को अथवा तत्सम्बन्धी विषयों को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ के अधीन अभिदिष्ट करने के अधिकार पर अथवा उस ऐक्ट के उपबन्धों के अनुसार किसी आख्या अथवा निपटारे के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगी।

१२-क---सन्देहों के निवारणार्थ एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम में कोई भी बात केन्द्रीय सरकार को तत्समय

प्रचलित इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ के अधीन नेशनल ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय न्यायाधिकरण) बनाने से अथवा ऐसे ट्रिब्यूनल को उस ऐक्ट के अधीन ऐसे किसी भी अधिकार के प्रयोग से, वंचित करने वाली न समझी जायगी।"

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खण्ड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ११---क

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ११ के बाद एक नया खंड "११--क" को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय---

"(११--क)" ---मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(१४) जो कोई भी इस अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत बने नियम या दिये हुये आदेश का उल्लंघन करेगा वह यदि ऐसे उल्लंघन के लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत कोई अन्य दंड के लिये कहीं उपबन्ध नहीं किया गया है, कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२--१५

१२---मूल अधिनियम की धारा १९ में शब्द "पालन के लिये" और शब्द "कोई लिखित हुक्म दें" के बीच में शब्द "निर्णय (award) से भिन्न" रख दिये जायं।

१३---मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २३ उपधारा (१) के रूप में पुनः परिगणित की जायगी और उसके पश्चात् उपधारा (२) तथा (३) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जायगा :

"(२) पूर्वोक्त अधिकार की सामान्यता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :---

(क) श्रम न्यायालयों तथा न्यायाधिकारणों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की रीति तथा उनकी नियुक्ति की शर्तें;

(ख) श्रम न्यायालय तथा न्यायाधिकरण को अभिवेश करने की रीति ;

(ग) समझौता अधिकारियों की नियुक्ति की रीति तथा उनकी नियुक्ति की शर्तें ;

(घ) समझौता कार्यवाहियों में अनुसरणीय प्रक्रिया;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा निर्णायक प्राधिकारी को निर्णय भेजने की रीति;

(च) निपटारों को पंजीबद्ध करने की रीति;

(छ) मजदूरों की उपस्थिति नामावलियों (muster rolls) रखने की रीति तथा उनका आकार (form);

(ज) वे विषय जो नियत किये जानें हों या किये जा सकें।

(३) इस धारा के अधीन निर्मित समस्त नियम उनके निर्मित होने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जायंगे।"

१४--मूल अधिनियम की धारा २३ के पश्चात् निम्नलिखित प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय अनुसूची के रूप में बढ़ा दिया जाय, यथा--

प्रथम अनुसूची

(धारा ४-क देखिये)

(श्रम न्यायालयों के अधिक्षेत्र के अन्तर्गत विषय)

१--स्थायी आदेश के अधीन मालिक द्वारा प्रचारित आज्ञा का औचित्य तथा उसकी वैधता,

२--स्थायी आदेशों का लागू होना तथा उनका निर्वचन,

३--मजदूरों की बरखास्तगी तथा उनका सेवा मुक्त किया जाना जिसके अन्तर्गत दोषपूर्ण ढंग से बरखास्त किये गये मजदूरों को फिर से उनके पद पर नियुक्त करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना भी है।

४--किसी प्रचलित रियायत अथवा विशेषाधिकार का वापस लिया जाना।

५--किसी भी हड़ताल अथवा द्वारावरोध की अवैधत : अथवा अन्यथा (legality or otherwise) ; तथा

६--द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न समस्त विषय।

द्वितीय अनुसूची

(धारा ४-ख देखिये)

(श्रम न्यायाधिकरणों के अधिक्षेत्र के अन्तर्गत विषय)--

१--मजदूरी, जिसके अन्तर्गत भुगतान की अवधि तथा ढंग है,

२--प्रतिकरात्मक तथा अन्य भत्ते,

३--कार्य के घंटे तथा विश्राम के मध्यान्तरण (rest intervals),

४--मजदूरी सहित अवकाश तथा छुट्टियां,

५--बोनस, लाभांश, भविष्य निधि तथा उपदान,

६--स्थायी आदेशों की प्रणाली से भिन्न पारी का संचालन,

७--वेतन क्रम के अनुसार वर्गीकरण,

८--अनुशासन के नियम,

९--अभिनवीकरण (rationalization),

१०--मजदूरों की छटनी तथा संस्था का बन्द होना, तथा

११--अन्य कोई विषय जो निर्दिष्ट किये जायं।

तृतीय अनुसूची

(धारा ४—झ देखिये)

(सेवा की शर्तें जिनके परिवर्तन के लिये नोटिस दिया जाना चाहिए)

१—मजदूरी जिसके अन्तर्गत भुगतान की अवधि तथा ढंग भी है।

२—मालिक द्वारा भविष्य निधि, सेवा निवृत्ति निधि (pention fund) या तत्समय प्रचलित किसी विधि के अधीन मजदूरों के लाभ के लिये प्रदत्त अथवा देय अंशदान।

३—प्रतिकारात्मक तथा अन्य भत्ते।

४—कार्य तथा अवकाश (rest interval) के घंटे।

५—मजदूरी सहित अवकाश (leave with wages) तथा छुट्टियां (holidays);

६—स्थायी आदेशों से भिन्न प्रकार से पारियों के संचालन का प्रारम्भ, परिवर्तन तथा उनकी समाप्ति।

७—वेतनक्रमों (grades) के अनुसार वर्गीकरण।

८—किसी प्रचलित रिआयत या विशेषाधिकार का वापस लिया जाना या किसी प्रथा (usage) में परिवर्तन करना।

९—जहां तक कि स्थायी आदेश में व्यवस्था है उसे छोड़कर अनुशासन के नये नियमों का पुरः स्थापन अथवा वर्तमान नियमों में परिवर्तन।

१०—अभिनवीकरण (rationalization), प्रतिमानीकरण (standardization) अथवा स्थिर यंत्रों अथवा प्राविधिकता (plant or technique) में सुधार जिसे मजदूरों की छटनी सम्भाव्य हो।

११—किसी भी व्यवसाय अथवा प्रक्रिया अथवा विभाग अथवा पारी में नियुक्त या नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में बढ़ती अथवा घटती (आकस्मिकता से भिन्न), जो किन्ही मजबूरियों के कारण न हो।

१५—यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी औद्योगिक झगड़े के संबंध में संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ जैसा कि वह इस प्रारम्भ के पूर्व प्रचलित था के अधीन संघटित किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाही विचाराधीन हो तो उस झगड़े का निर्णय और उक्त कार्यवाही का निस्तारण ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् उस अधिकारी द्वारा ऐसे किया जा सकेगा मानों यह अधिनियम पारित ही न हुआ हो।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२, १३, १४, और १५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १६

१६—(१) राज्य सरकार, किन्हीं भी कठिनाइयों के निवारणार्थ और विशेषतः उन कठिनाइयों के निवारणार्थ जो मूल अधिनियम के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के संशोधनों के संक्रमण में उत्पन्न हों,

आज्ञा द्वारा आदेश दे सकती है कि उपर्युक्त प्रकार से संशोधित अधिनियम तथा मूल अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित या प्रचारित अथवा आज्ञायें इस अधिनियम के आरम्भ के पश्चात् दो वर्ष पर्यन्त ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए जो परिष्कार, परिवर्द्धन अथवा अकरण (modification, addition or omission) के रूप में किये जायं और जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक अथवा इष्टकर समझे, प्रभावी होंगे।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी प्रत्येक आज्ञा राज्य विधान मण्डप के दोनों सदनों के समक्ष रक्खी जायगी।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १६ में अन्त के पूर्णविराम के स्थान पर अर्ध-विराम रख दिया जाय, तत्पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं--

"और मूल अधिनियम की धारा ६-क के उपबन्ध ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रवर्तनीय बने रहेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों के ऐक्ट, १९४७ में अतिरिक्त संशोधन करने और अन्य विषयों की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि यहां पर आगे दिये हुये प्रयोजनों के लिये संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों के ऐक्ट, १९४७ को संशोधित किया जाय--

इसलिये भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति दे कर निश्चित करे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आचार्य जुगलकिशोर--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६, जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा, (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६, जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब हम अनिश्चित काल तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १ मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
३१ अक्तूबर, १९५६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३२ पर)

सूची

नाम तहसील	प्रार्थना-पत्र जो प्राप्त हुए		प्रार्थना-पत्र जो स्वीकृत हुए		प्रार्थना-पत्र जिन पर सहायता दी गयी		धन जो सहायता के रूप में दिया गया	
	५४–५५	५५–५६	५४–५५	५५–५६	५४–५५	५५–५६	५४–५५	५५–५६
आगरा	५१	७१	४४	६३	९	२०	२,५१३	९,७८६
बाह	४७	३१	४५	२५	१	९	७५१	४,७२७
फतेहाबाद	२६	१७९	२१	१६८	४	२६	१,२४०	१५,८२३
एत्मादपुर	११७	१८१	१११	१७०	१४	६४	४,६६६	३३,३३१
फीरोजाबाद	१२१	२११	११८	२०७	१८	१०२	७,८३४	५४,८७०
किरावली	७८	९२	७४	८८	११	२३	२,७३८	७,५८९
खैरागढ़	६४	२७	६१	२१	१	४	५००	७८५
	५०४	७९२	४७४	७४२	५८	२४८	२०,२४२	१,२६,९११

उदय प्रकाश विधि संस्था

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३४ पर)

राज्य में जिन-जिन जिलों में जिन-जिन मध्यवर्गीय तथा छोटे उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने का आयोजन है उसका विवरण यों है :

क्रम सं०	उद्योग का नाम	जिले का नाम
१	हस्त औजार निर्माण उद्योग	कानपुर
२	खेल के सामान बनाने का उद्योग	बरेली और मेरठ
३	चीनी के बर्तनों का उद्योग	बुलन्दशहर
४	प्लास्टिक उद्योग	मेरठ
५	यन्त्र चालित खिलौने बनाने का उद्योग	अलीगढ़
६	चारा काटने की मशीन के चाकुओं को बनाने का उद्योग	मेरठ
७	सूटकेस का सामान बनाने का उद्योग	अलीगढ़
८	बर्तनों आदि पर कलई करने का उद्योग ..	मुरादाबाद
९	छाते की तीलियां तथा गरारी बनाने का उद्योग ..	अलीगढ़
१०	विभिन्न छोटे उद्योगों के लिए औद्योगिक आस्थान स्थापित करना	कानपुर एवं आगरा

सरकार की ओर से इस प्रकार के उद्योगों को विकसित करन के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है, आर्थिक सहायता दी जाती है, प्राविधिक परामर्श दिया जाता है। मशीनों को हायर परचेज ढंग पर दिया जाता है और कच्चे माल की पूर्ति की व्यवस्था भी यथासम्भव की जाती है।

अवध पद्धति

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४० पर)

१—सहारनपुर—

(१) दि लार्ड कृष्ण शूगर मिल्स, सहारनपुर।
(२) गंगा शूगर कारपोरेशन, देवबन्द।
(३) राय बहादुर नारायण सिंह शूगर मिल्स लि०, लक्सर।
(४) महालक्ष्मी शूगर मिल्स, इकबालपुर।

२—मुजफ्फरनगर—

(५) सर शादीलाल शूगर ऐन्ड जेनरल मिल्स लि०, मन्सूरपुर।
(६) अपर इन्डिया शुगर मिल्स, लि० खतौली।
(७) अमृतसर शूगर मिल्स कम्पनी लि०, रोहाना कलां।
(८) अपर दोआब शूगर मिल्स लि०, शामली।

३—मेरठ—

(९) दि दीवान शूगर ऐन्ड जेनरल मिल्स सकोती टांडा।
(१०) दौराला शूगर बैंकर्स, दौराला।
(११) जसवन्त शूगर मिल्स, मेरठ सिटी, मेरठ।
(१२) राम लक्ष्मण शूगर मिल्स, मोहीउद्दीनपुर।
(१३) मोदी शूगर मिल्स लि०, बेगमाबाद।
(१४) सिम्भौली शूगर मिल्स लि०, सिम्भौली।
(१५) मोवाना शूगर वर्क्स, मोवाना।

४—बुलन्दशहर—

(१६) पन्नी जी शूगर मिल्स, पन्नी नगर, बुलन्दशहर।

५—देहरादून—

(१७) जानकी शूगर मिल्स, डोईवाला।

६—नैनीताल—

(१८) एल० एच० शूगर फैक्टरीज ऐन्ड आयल मिल्स, काशीपुर।

७—एटा—

(१९) दि न्यौली शूगर फैक्टरीज, मानपुर नगरिया।

८—मुरादाबाद—

(२०) कुन्दन शूगर मिल्स, अमरोहा।
(२१) अजोध्या शूगर मिल्स, राजा का सहसपुर, बिलारी।

९—बरेली—

(२२) दि केसर शूगर वर्क्स, लि० बहेड़ी।
(२३) एच० आर० शूगर फैक्टरीज लि०, नेकपुर, बरेली।

१०—पीलीभीत—

(२४) एल० एच० शूगर फैक्ट्रीज ऐण्ड आयल मिल्स, पीलीभीत।

११—बिजनौर—

(२५) दि धामपुर शुगर मिल्स लि०, धामपुर।
(२६) प्रपर गैंजेस शुगर मिल्स लि०, सियहारा।
(२७) सेठ शिव प्रसाद बनारसीदास शुगर मिल्स लि०, बिजनौर।

१२—शाहजहाँपुर—

(२८) कैरियू ऐण्ड कम्पनी लि०, रोजा।

१३—रामपुर—

(२९) रजा शुगर कम्पनी लि०, रामपुर।
(३०) बुलन्द शुगर कम्पनी, लि०, रामपुर।

१४—बाराबंकी—

(३१) दि बुढ़वल शुगर मिल्स लि०, बुढ़वल।
(३२) मेसर्स रामचन्द्र ऐण्ड सन्स शुगर मिल्स, बाराबंकी।

१५—हरदोई—

(३३) दि लक्ष्मी शुगर ऐण्ड आयल मिल्स लि०, हरदोई।

१६—फैजाबाद—

(३४) कमलापति मोतीलाल शुगर मिल्स, बाराबंकी।

१७—सीतापुर—

(३५) दि अवध शुगर मिल्स लि०, हरगांव।
(३६) दि लक्ष्मी शुगर मिल्स कम्पनी लि०, महौली।
(३७) सेक्सरिया शुगर फैक्टरीज लि०, बिसवां।

१८—खीरी—

(३८) दि हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लि०, गोला गोकरन नाथ।
(३९) गोविन्द शुगर मिल्स लि०, एरा।

१९—जौनपुर—

(४०) रतना शुगर मिल्स कम्पनी लि०, शाहगंज।

२०—बस्ती—

(४१) श्री आनन्द शुगर मिल्स लि०, खलीलाबाद।
(४२) श्री माधव महेश शुगर मिल्स, मुण्डेरवा।
(४३) बस्ती शुगर मिल्स लि०, बस्ती।
(४४) बस्ती शुगर वर्क्स लि०, गोविन्दनगर।

२१—गोंडा—

(४५) दि सेक्सरिया शुगर मिल्स लि०, बभनान।
(४६) नवाबगंज शुगर मिल्स कम्पनी, लि०, नवाबगंज।
(४७) बलरामपुर शुगर कम्पनी लि०, तुलसीपुर।
(४८) बलरामपुर शुगर कम्पनी लि०, बलरामपुर।

२२—जिला बहराइच—

(४९) सेठ आर० बी० लक्ष्मण शुगर ऐण्ड जेनरल मिल्स जरवल रोड ।

२३—जिला देवरिया—

(५०) परताबपुर शुगर कम्पनी लि० भैरवां।
(५१) श्री सीताराम शुगर कम्पनी लि०, बैतालपुर।
(५२) दि यूनाइटेड प्राविन्सेज शुगर कम्पनी लि०, सिवराही।
(५३) जगदीश शुगर मिल्स लि०, कठकुइयां।
(५४) रामकोला शुगर मिल्स कम्पनी लि०, रामकोला।
(५५) महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स लि०, रामकोला।
(५६) पडरौना राज कृष्ण शुगर वर्क्स, लि०, पडरौना।
(५७) ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स लक्ष्मीगंज।
(५८) देवरिया शूगर मिल्स लि०, देवरिया।
(५९) कानपुर शुगर वर्क्स लि०, गौरीबाजार।
(६०) शंकर शूगर वर्क्स, लि०, कैप्टेनगंज।
(६१) दि विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स, खड्डा।
(६२) दि लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स, छितौनी।

२४—जिला गोरखपुर—

(६३) दि पंजाब शुगर मिल्स कम्पनी लि०, धुबली।
(६४) महाबीर शुगर मिल्स लि०, सिसवाबाजार।
(६५) सरइया शुगर फैक्टरी, सरदार नगर।
(६६) गनेश शुगर मिल्स लि०, फरेंदा।
(६७) डाइमन्ड शुगर मिल्स, पिपराइच।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४२ पर)

खुर्जा में मिट्टी के बर्तन बनाने की योजना के अन्तर्गत सन् १९४२ में एक केन्द्र स्थापित किया गया जिसका उद्देश्य यह था कि स्थानीय मिट्टी से बर्तन बनाने वालों को श्वेत मिट्टी (white clay) से बर्तन बनाना सिखाया जाय और उनको उसके लिए कच्चे माल की सप्लाई की जाय। आरम्भ में मिट्टी के बर्तन बनाने वालों के दो कुटुम्ब इस केन्द्र में सम्मिलित हुए परन्तु धीरे-धीरे और कुटुम्ब भी इसमें सम्मिलित होने लगे। फलतः इस समय २७ कुटुम्ब इस केन्द्र से लाभ उठा रहे हैं। आरम्भ में इस केन्द्र द्वारा उत्पादन और शिक्षा प्रदान करने का कार्य होता था, परन्तु १९४६ से उत्पादन कार्य बन्द कर दिया गया और तब से यह उत्पादकों को बना हुआ कच्चा माल सप्लाई करता आ रहा है। सन् १९४५-४६ में कच्चे माल की बिक्री केवल ५,००० रुपये की थी, जब कि सन् १९५५-५६ में यह बिक्री बढ़कर ६७,०२० रुपये की हो गई। केन्द्र पर मशीनें भी स्थापित की जा चुकी हैं और उत्पादक विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे फूलों के गमले, चाय के सेट आदि निर्मित करते हैं। इन वस्तुओं की मांग दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही है। यह केन्द्र एक किराये के भवन में स्थापित था, परन्तु पिछले वर्ष से यह अपने निज के भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया है जिसमें अधिक स्थान है। गत वर्ष इस में कुछ अन्य मशीनें भी स्थापित की गयी हैं।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४३ पर)

१—राजस्थान साल्ट सोर्सेज डिवीजन, सांभर लेक से नमक का मासिक एलाटमेंट

जिले का नाम	१ मीटर गाज बैगन में २९५ मन नमक आता है। (मासिक कोटा जो एलाट किया गया है।) (मीटर गाज) बैगन
१—पीलीभीत	२३
२—गोरखपुर	८३
३—बलिया	४३
४—बस्ती	८७
५—देवरिया	७५
६—नैनीताल	२७
७—अल्मोड़ा	३४
८—गढ़वाल	२६
९—टेहरी-गढ़वाल	२१
१०—खीरी	४४
११—गोंडा	७६
१२—बहराइच	४९
१३—आजमगढ़	८६
१४—गाजीपुर	४३
	कुल ७१७ मीटर गाज बैगन

२—खारागोडा सूत्र से नमक का मासिक एलाटमेंट

	(१ ब्राड गाज बैगन में ५८० मन नमक आता है।)
१—देहरादून	८
२—सहारनपुर	३१
३—बिजनौर	२२
४—मुरादाबाद	३४
५—बांदा	२०
६—हमीरपुर	१७
७—झांसी	२२
८—जालौन	१८
९—इलाहाबाद	४७
१०—रायबरेली	२७
११—फतेहपुर	२०
१२—कानपुर	५५
१३—लखनऊ	२८
१४—उन्नाव	१९
१५—सीतापुर	२८

मुख्य पृष्ठ राजस्थान सभा

जिले का नाम	१ ब्राड गाज वैगन में ५८० मन नमक आता है। (मासिक कोटा जो एलाट किया गया) (ब्राड गाज) वैगन
१६—रामपुर	१३
१७—बरेली	२८
१८—आगरा	३४
१९—मथुरा	२३
२०—अलीगढ़	३८
२१—बुलन्दशहर	३५
२२—मेरठ	४२
२३—मुजफ्फरनगर	२८
	कुल ६३७ ब्राड गाज वैगन

३—धारंगधंरा सूत्र से नमक की मासिक एलाटमेंट

	एक मीटर गाज वैगन में २९५ मन नमक आता है।
१—शाहजहांपुर	४९
२—हरदोई	६४
३—फर्रुखाबाद	६२
४—मैनपुरी	६२
५—इटावा	६२
६—बदायूं	५०
७—एटा	४३
	कुल ३९२ मीटर गाज वैगन

४—कान्डला सूत्र से नमक का मासिक एलाटमेंट

१—मिर्जापुर	४६
२—बनारस	८०
३—जौनपुर	६६
४—फैजाबाद	६४
५—बाराबंकी	५८
६—प्रतापगढ़	५२
७—सुल्तानपुर	५४
	कुल ४२० मीटर गाज वैगन

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२४२ एल० ए०—१९५६—७९६।